खण्ड-230, अंक-6
गुरूवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1884
(10 मई, 1962 ई0)

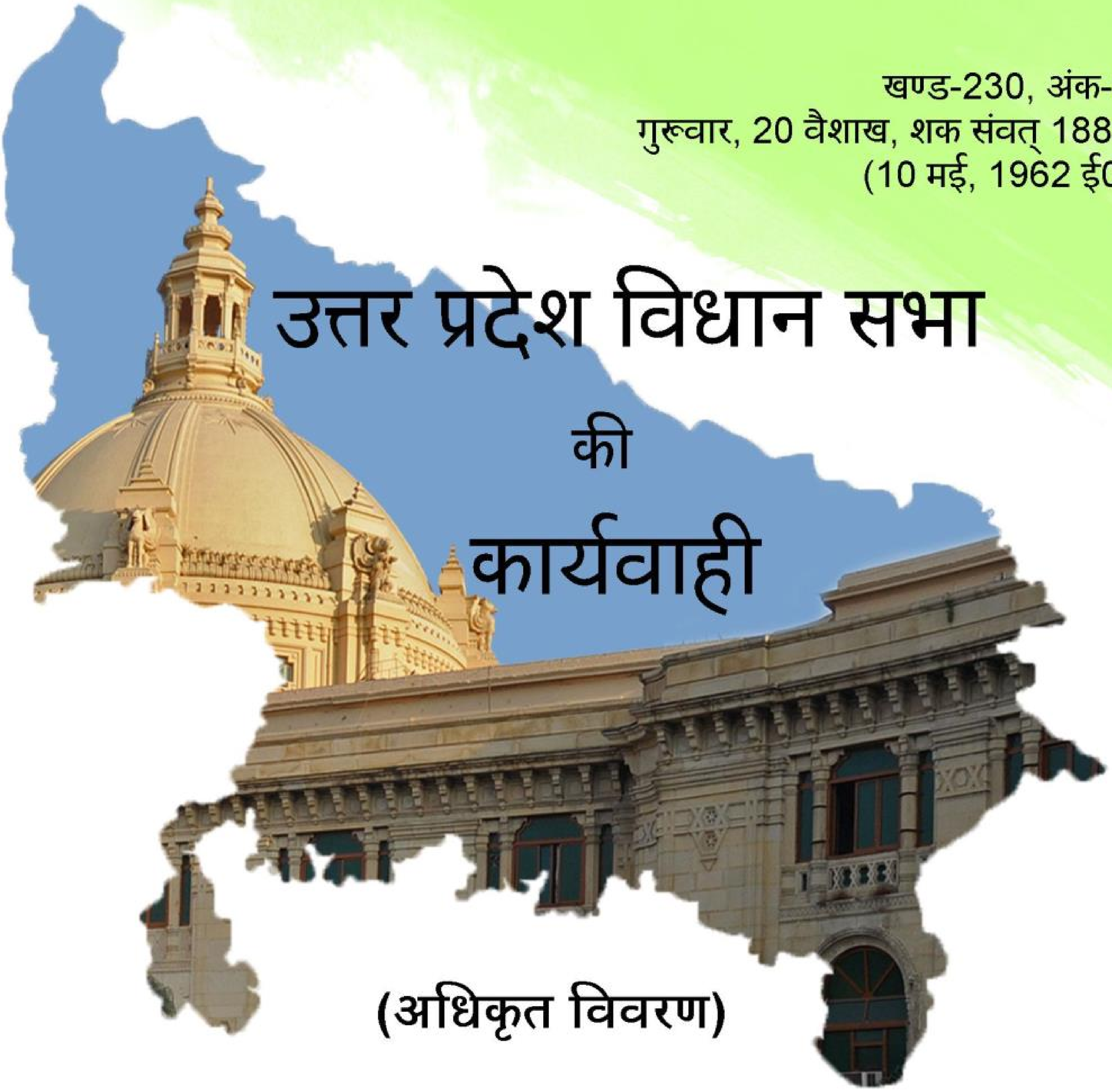

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. ४११–४१५
प्रश्नोत्तर	.. ४१५–४४१
प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति	.. ४४१–४४२
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	.. ४४२
मुख्य मंत्री द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज के एक निर्णय में पुलिस विभाग के विरुद्ध की गयी आलोचनाओं से असहमति प्रकट करने पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	.. ४४२–४६३
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	४६३
गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रोफेसर द्वारा दो छात्राओं के प्रति अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६३–४७३
गोरखपुर और बस्ती जिलों के उत्तरी भाग में नेपाल पुलिस द्वारा आतंक फैलाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	.. ४७३–४७५
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (विचारोपरान्त पारित) ..	.. ४७५–५०३
नस्थियां	.. ५०४–५१६

अमर पत्रकार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

LEGISLATURE LIBRARY
SEP
UTTAR PRADESH

बृहस्पतिवार, १० मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णनन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द्र, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताजमुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ोलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवास, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसदीय विधान सभा

सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैन राम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १० मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर जिले में सुअरों का प्लेग

**१—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को मालूम है कि किसी अज्ञात संक्रामक रोग के कारण मुज्जफरनगर में सुअर बहुत भारी संख्या में मर गये हैं जिससे इस व्यापार तथा व्यवसाय के करने वालों को बहुत भारी क्षति पहुंची है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)—जी हां। सरकार को ज्ञात हुआ है कि मुजफ्फरनगर में काफी संख्या में सूअर मरे हैं । उक्त बीमारी से होने वाली क्षति की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

**२—श्री शुगनचन्द मजदूर—क्या सरकार ने इस रोग के मालूम करने का कोई प्रयास किया है और इस रोग की रोकथाम के लिये क्या-क्या उपाय किये गये हैं और क्या जिनको भारी क्षति पहुंची है उनको सरकार सहायता करने की कृपा करेगी ?

श्री शिवराजसिंह—जी हां, इस रोग को सूअरों का बुखार या सूअरों का प्लेग कहते हैं इस रोग की रोकथाम के लिये कर्मचारियों को आवश्यक निदेश दिये जा चुके हैं । अखबारों द्वारा जनता को भी सचेत किया गया है तथा विदेश से दवाइयां (vaccine) मंगाने का प्रयत्न किया जा रहा है । क्षति ग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री शुगनचन्द मजदूर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बीमारी कब आरम्भ हुई ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इसकी सूचना सरकार को अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मिली है ।

श्री शुगनचन्द मजदूर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सूचना मिलने में इतना अरसा जो लगा उसका कारण क्या है ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इस वक्त कोशिश इस बात की हो रही है कि आगे को क्षति न हो और बीमारी की रोकथाम के उपाय किये जायं। यह भी मैं निवेदन कर दूं कि सुअरों के पालने वाले हर गांव में बिखरे हुए हैं। इसलिये इसमें कुछ समय अवश्य लगा।

श्री शुगनचन्द मजदूर—मरे हुए सुअरों को नष्ट करने के क्या-क्या प्रयत्न किये गये जिससे उनका मांस खाने के काम न आ सके ? इसका कोई उपाय सोचा गया ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सरकार ने तमाम सर्कुलर्स डिप्टी डाइरेक्टर्स को और डी० एल० ओज० को भेज दिये हैं और प्रेस नोट भी दे दिया है कि जो सुअर मरें उनको जमीन में दबा दिया जाय या जला दिया जाय।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से जो प्रिवेंटिव और क्योरेटिव मेथड्स एडाप्ट किये गये उनका नतीजा क्या हुआ ? सुअरों की बीमारी किस हद तक रुकी है या उनके मरने की संख्या में कितनी कमी हुई है ?

श्री शिवराजसिंह—मैंने निवेदन किया कि अभी क्षति के आंकड़े नहीं उपलब्ध हो सके हैं इसलिये इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जबाब देना अभी सम्भव नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—इस रोग का नाम क्या है कहां से यह रोग आया है और किन क्षेत्रों में इसका अधिक प्रकोप है क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री शिवराजसिंह—इस रोग को सुअरों का बुखार या सुअरों का प्लेग कहा गया है। सबसे पहले यह बीमारी हिन्दुस्तान में इसी वर्ष आयी है। इससे पूर्व नवम्बर सन ६१ में यह बीमारी पंजाब में हुई थी, फिर बम्बई में हुई और इसके बाद अप्रैल में इसका प्रकोप हमारे प्रदेश में हुआ है। गालिबन यह बीमारी दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में आयी है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से प्रेस में आपने प्रेस नोट जारी किया है ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, एक प्रेस नोट इन्फार्मेशन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रेस नोट का ब्योरा थोड़ा बता दूं।

श्री अध्यक्ष—कुछ थोड़े में बतला दीजिए।

श्री शिवराजसिंह—इस प्रदेश में जो यह रोग फैल गया है इसकी सूचना सरकार द्वारा प्रेस नोट में दी गई है जो निम्न प्रकार से है —सुअर को तेज बुखार १०६ डिग्री का हो जाता है जिसमें ऐंठन और चलने फिरने में कष्ट हो जाता है। शरीर के पिछले भाग में लकवे का असर और दांतों का पीसना आदि हो जाता है। सुअर आगे पीछे फिरने में असमर्थ हो जाता है इसके अलावा उनके गले में भी कुछ असर हो जाता है। यह तो बीमारी के लक्षण बताये गये हैं जहां तक इसकी रोकथाम की बात है कोई प्रिवेन्टिव दवाई अभी तक इस बीमारी की जानकारी में नहीं आई है। यह फैलनेवाली बीमारी है। इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिये कुछ उपाय बताये गये हैं। इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिये जो सुअर बीमार हो जायं उनको अलग रखना चाहिये। इस बीमारी के किसी एफेक्टिव ट्रीटमेंट की जानकारी नहीं है। सल्फा ड्रगस या अन्टी बायोटिक्स के इस्तेमाल से सेकेन्डरी इन्फैक्शन को रोका जा सकता है। जो बीमार हो जांय उनको अलग रखना चाहिये या उनका बध कर देना चाहिये जो सुअर मरें या जिनका बध किया जाय उनको जला देना चाहिये। जो व्यक्ति सुअरों में काम करे उसको अच्छे सुअरों में नहीं जाना चाहिये या उनके आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

छिबरामऊ तहसील में सीमेंट की कमी की शिकायत

**३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में सीमेन्ट की बड़ी दिक्कत है जिसके कारण विकास कार्य एवं काश्तकारों के कुओं आदि का कार्य रुका पड़ा है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---तहसील छिबरामऊ में सीमेन्ट की कमी की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

**४--श्री कोतवालसिंह भदौरिया---अगर हां, तो क्या सरकार की तरफ से शीघ्र ही कोई व्यवस्था की जायेगी क्योंकि बरसात का सिर्फ डेढ़ माह रह गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात की जानकारी की है कि छिबरामऊ में सीमेन्ट की कमी है और अगर हां, तो माननीय मंत्री जी वहां पर सीमेन्ट की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, ७ अप्रैल को ओपिनिंग बैलेन्स में ४९३ बोरे सीमेन्ट के थे और उसमें से १९८ बंट गये और २९५ अभी भी वहां पर बैलेन्स में हैं ?

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि जो बोरे सीमेन्ट के वहां जाते हैं वे हाथ के सिले होते हैं और वे मशीन के सिले नहीं होते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---क्या सरकार को मालूम है कि सीमेन्ट के रहते हुये भी वहां के अधिकारी किसानों से कह देते हैं कि सीमेन्ट नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि और जिलों से भी इस तरह की शिकायत आई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, आजकल सीमेन्ट की कहीं कोई भी कमी नहीं है ।

उन्नाव जिले में रसेड़ा के पुल पर हत्याकाण्ड

**५--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ को थाना अजगैन, जिला उन्नाव के अन्तर्गत एक ही स्थान पर व एक ही समय पांच हत्यायें कर दी गई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)---जी हां। घटना एवं कार्यवाही के संबंध में विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०४ पर)

श्री भीखालाल---क्या माननीय पुलिस मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ८ अभियुक्तों का जिक्र किया गया है उनके नाम क्या हैं । जो पकड़ लिये गये हैं या हाजिर अदालत हो गये हैं उन अभियुक्तों के नाम क्या है और जो अभी तक पकड़े नहीं गये हैं वे कौन-कौन हैं ?

श्री नवलकिशोर—जो ८ व्यक्ति हैं उनमें श्री मुनवासिंह गिरफ्तार हो चुके हैं । पांच आदमी जिन्होंने अपने को अदालत में हाजिर कर दिया है उनके नाम हैं नत्थासिंह, इकबाल सिंह, मोहनलाल, प्रतापपासी और टिकुवा पासी । दो आदमी गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं जिनके नाम हैं चन्द्रपालसिंह और बूटासिंह और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है ।

श्री भीखालाल—इस जुर्म के सरगना बूटासिंह बतलाये गये हैं और वह गिरफ्तार नहीं हुए हैं । तो क्या पुलिस मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि बूटासिंह एक बहुत बड़े गिरोह के आदमी हैं और ३०७ का मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है और उनका आतंक वहां बढ़ रहा है । उनकी गुन्डई को प्रोत्साहन इसलिये भी मिल रहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी के बड़े-बड़े नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, प्रश्न जो किया गया उसके कई हिस्से हैं । मैं केवल यह बतला दूं कि जो दो साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनके खिलाफ दफा ८७ और ८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है और कोशिश हो रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाय । जहां तक कांग्रेस की बात उन्होंने कही, मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है ।

श्री काशीनाथ—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दफा ८७ और ८८ की कार्यवाही पुलिस फर्जी कागज पर ही कर लिया करती है ?

श्री नवलकिशोर—मैं समझता हूं कि कार्यवाही जाब्ते से हुई है और अगर कोई अतिरिक्त सूचना माननीय सदस्य के पास हो तो मैं नहीं जानता ।

श्री भीखालाल—मैंने अपने प्रश्न में जांच करने का निवेदन माननीय मंत्री जी से किया था, उस संबंध में कुछ उत्तर नहीं मिला । दूसरे निवेदन यह है कि क्या पुलिस मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिले के बड़े-बड़े नेता जिला कांग्रेस कमेटी की जीप पर चढ़ कर थाने गये और उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि बूटा सिंह का नाम रिपोर्ट में न आने पाये ?

श्री नवलकिशोर—वस्तुस्थिति यह है कि उनका नाम रिपोर्ट में है ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि अतगैन थाने का इंचार्ज बूटासिंह का पक्ष ले रहा है और इसी वजह से वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और इसका प्रमाण यह है कि मौके पर जांच के लिये एस० ओ० बाद में पहुंचता है और सर्किल इंसपेक्टर पहले पहुंच जाते हैं ?

श्री नवलकिशोर—इस संबंध में मैं एक बात आपकी आज्ञा से बतला दूं कि इसकी जांच अब सी० आई० डी० को दे दी गयी है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह गिरोह के सरगना हैं, जिनकी अभी चर्चा हुई, उनके खिलाफ पहले भी इस तरह के मुकदमे चल चुके हैं या चल रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—इसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५ व्यक्तियों का कत्ल हुआ है वह किस वक्त हुआ और वह स्थान थाने से कितनी दूरी पर है जहां कत्ल हुआ ?

श्री नवलकिशोर---यह कत्ल तो शाम को साढ़े ६ बजे हुआ, लेकिन थाने से दूरी कितनी है इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दफा ८७ और ८८ की कार्यवाही की गयी है उसमें अभियुक्त का कितना सामान कुर्क किया गया है ?

श्री नवलकिशोर---इतने डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में परिवर्तन करने के संबंध में जानकारी

**६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्री भीखालाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को हटा कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का उसका विचार है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)---जी नहीं ।

**७---श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री भीखालाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को हटाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से उसने लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो क्या लिखा-पढ़ी हुई ?

श्री चन्द्रसिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

**८---श्री कल्याणचन्द्र मोहिले तथा श्री भीखालाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखा जिस प्रकार से लखनऊ ब्रांच खोली गई है उस प्रकार कोई और शाखा बढ़ाने पर वह विचार कर रही है ? यदि हां ? तो कहां-कहां ?

श्री चन्द्रसिंह---जी नहीं ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले---क्या सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ जिलों को हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेन्च लखनऊ में शामिल करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---विचार तो इस संबंध में अर्से से हो रहा है मगर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री भीखालाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका क्या ऐसा विचार है कि लखनऊ बेंच को तोड़ दिया जाय, यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसा कोई विचार इस वक्त नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने कोई प्रस्ताव पास करके भेजा है कि सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई और बेन्च न बढ़ावे और लखनऊ बेन्च को इलाहाबाद में ही शामिल कर दे ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास ऐसा कोई रिजोलूशन नहीं आया है ।

श्री काशीनाथ---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ बेन्च को तोड़ कर इलाहाबाद में मिला देने से सरकार के खर्चे में कितनी कमी होगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इस मसले पर कभी गौर नहीं किया गया । गौर तो तब किया जाता जब यह विचार होता कि उसको तोड़ना है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ बेन्च में कौन कौन से नये जिले मिलाने का विचार सरकार इस वक्त कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार के विचाराधीन तो कुछ नहीं है इस मानी में कि इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा है । लेकिन लखनऊ वालों की यह मांग है कि बहुत से ऐसे जिले हैं जिन्हें लखनऊ होकर ही इलाहाबाद जाना पड़ता है अतः उनको लखनऊ बेन्च में ही शामिल कर दिया जाय । इस पर सरकार विचार करती रही है, लेकिन इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं और अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी कुछ दिन पहले फैजाबाद जिले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकाल कर लखनऊ बेन्च में मिला दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी वजह यह है कि फैजाबाद और सुल्तानपुर पहले लखनऊ में शामिल थे, लेकिन बाद को चीफ जस्टिस के हुक्म से यह दोनों जिले वहां से हटाकर इलाहाबाद में मिला दिये गये । बाद को फिर जब लखनऊ वालों ने यह मांग की कि यह दोनों जिले लखनऊ बेन्च में ही मिला दिये जायें । उस पर सरकार ने विचार किया और फजाबाद जिले को लखनऊ बेन्च में मिला दिया गया । लखनऊ की बार एसोसिएशन भी यही चाहती थी । लेकिन चीफ जस्टिस का कहना है कि सुल्तानपुर की जनता यह नहीं चाहती इसलिये उसको वहां रहने दिया गया ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग केसेज की संख्या को देखते हुये तथा अपने प्रदेश के विस्तार को देखते हुये इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कामों का डीसेन्ट्रालाइजेशन करके इसकी दो बेंचें एक आगरे में तथा एक मेरठ में खोल दी जायं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका तो हमने जवाब दे दिया, इसका न तो अभी विचार है और न सरकार मुनासिब समझती है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मंसूरपुर चीनी मिल मजदूरों की मांगों के लिये श्री ओमदत्त शास्त्री द्वारा अनशन

*१—**श्री झारखंडेराय**—क्या श्रम मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गत १४ अप्रैल से मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री ओमदत्त शास्त्री मंसूरपुर शुगर फैक्टरी के मजदूरों की मांगों के लिये तथा मिल मालिक के वचन भंग के विरोध में आमरण अनशन कर रहे हैं ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—१४-४-६२ से अनशन शुरू किया था जो २७-४-६२ को समाप्त कर दिया ।

*२—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो ये मांगें क्या हैं और सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—मांगों का विवरण संलग्न है । समझौता कराने का प्रयत्न किया गया, पर असफल रहा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०५-५०६ पर)

श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सूचना दी गयी है कि अनशन २७-४-६२ को समाप्त कर दिया गया वह गलत है, अनशन ८ मई को समाप्त हुआ है श्री विजयपालसिंह, एम० एल० ए० के हस्तक्षेप से और उनको माननीय श्रम मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि अगर अनशन समाप्त हो जाय तो सरकार इन मांगों पर विचार करेगी ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार ओमदत्त शास्त्री जी ने अपना फास्ट २७ अप्रैल को रोक दिया था । हमारी कंसीलिएशन मैशीनरी हमेशा खुली है, अगर मजदूर दुखी है किसी बात से तो नार्मल मैशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, मैंने यह कहा कि जो सूचना दी गयी है वह अधूरी है । क्या माननीय मंत्री जी इस पूरी सूचना को फिर से जांच कराकर तब फिर सूचना देंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि समझौता कराने का प्रयत्न किया गया, असफल रहा यह बात भी सही नहीं है । अनशन टूटा है, किसी कारण से भी टूटा हो, वह ८ मई को टूटा है ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दिया कि हमारी सूचना यह है कि २७ अप्रैल को वह खत्म हो गया ।

(श्रीमती सुचेता कृपालानी से)

वह कहते हैं कि २७ अप्रैल गलत है, आप कृपा करके फिर से जांच करा लें कि क्या ८ मई को हुआ ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मेरे पास तो जो सूचना है वह २७ अप्रैल की है । अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि वह गलत है तो मुझे लिख कर भेज सकते हैं या कमरे में आकर बात कर लेंगे ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—क्या माननीय सदस्य विजयपालसिंह जी श्रम मंत्राणी जी से मिले थे या नहीं ? यदि मिले थे तो उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आप इनका अनशन तुड़वा दीजिये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मुझसे जरूर मिले थे । मैंने आग्रह इसी बात का किया था कि हमने अपनी तरफ से यह नीति अख्तियार की है कि चूंकि रोजाना अनशन होता है है और इस चीज को लेबर के मामले में प्रोजेक्ट करना मैं पसन्द नहीं करती हूं । मैंने कहा कि हमने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस अपने डिपार्टमेंट को दिया है, अगर कोई अनशन करे तो जब तक न तोड़ें तबतक हम उस मामले में गौर करने को तैयार नहीं हैं । तो उन्होंने कहा था कि हम अनशन तुड़वायेंगे । हमारे आफिसर उनसे मिले थे २२ अप्रैल को और उनसे कहा था कि अगर वर्कर लोगों को कोई तकलीफ है तो कनसीलिएशन बोर्ड में केस रख सकते हैं, हम अच्छी तरह से गौर करेंगे ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मजदूर अनशन करे तो वह अनशन जबतक रखे तबतक आप दखल नहीं देंगे, लेकिन जब मालिकान समझौते को तोड़ें तो उसके बारे में आप क्या करते हैं ? क्योंकि मुजफ्फरनगर में . . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो हाइपाथेटिकल सवाल है ।

श्री संतसिंह यूसुफ—मुजफ्फरनगर में जो कंसीलिएशन बोर्ड है उसका डिसीशन एम्पलायर्स ने तोड़ा, उसके खिलाफ हड़ताल की गयी उसके लिये सरकार क्या करेगी ? तो अगर वह समझौते को तोड़ते हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष—अगर आप पूछें कि मालिक समझौते को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी वह तो ठीक है, लेकिन जब यह पूछते हैं कि "मालिक अगर तोड़ दें", तो 'अगर' जब जोड़ देते हैं तो वह हाइपाथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। आप सवाल कीजिये, बहस न कीजिये।

श्री संतसिंह यूसुफ—यह जो मुजफ्फरनगर में मालिकों ने समझौते को तोड़ा उसमें सरकार ने क्या किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसके लिये नोटिस चाहिये, पता नहीं किस कारखाने के बारे में कह रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन-सी मुख्य बातें हैं जिनको लेकर श्री ओमदत्त शास्त्री ने अनशन किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—उनकी मांगों की एक लम्बी लिस्ट है, यदि आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री होरीलाल यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उनकी मांगें हैं उसमें इस बात की भी शिकायत है कि कंसिलिएशन बोर्ड के निर्णय को मालिक ने नहीं माना ?

श्री बंशीधर पांडेय—ऐसी बात नहीं है कि कंसिलिएशन बोर्ड के निर्णय को नहीं माना।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं फिर वही सवाल करना चाहता हूं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मंत्री जी और विजयपालसिंह जी की जब मुलाकात हुई वह कौन सी तारीख थी और क्या वह २७ अप्रैल और ८ मई के बीच की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—तारीख याद नहीं है, हो सकता है कि इसके बाद की हो। लिखित रिपोर्ट मुलाकात के बाद भी आई और उसमें कहा गया कि २७ तारीख को अनशन भंग किया।

गंगा ग्लास वर्क्स, बालावली में तालाबंदी

*३—**श्री सत्यवीर कुंवर** (जिला बिजनौर) तथा **श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बालावली गंगा ग्लास वर्क्स, जिला बिजनौर कोयले की कमी के कारण बन्द है ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी नहीं।

*४—**श्री सत्यवीर कुंवर** तथा **श्री शराफत हुसैन रिजवी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कारण सैकड़ों मजदूर अर्द्ध बेरोजगारी की दशा में रह रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी नहीं। केवल कुछ मजदूर समय-समय पर बैठकी के कारण अर्द्ध बेरोजगारी की अवस्था में रहे।

*५—**श्री सत्यवीर कुंवर** तथा **श्री शराफत हुसैन रिजवी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगा ग्लास वर्क्स, बालावली प्रायः बन्द होती रहती है और मजदूरों के सामने वेतन संबंधी और बेकारी संबंधी ऐसी ही विकट समस्या बनी रहती है ? इसके समाधान के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी नहीं। जब भी मजदूरों को बैठकियों पर भेजा जाता रहा है उसकी क्षतिपूर्ति सेवायोजकों द्वारा नियमानुसार बराबर कराई जाती रही है।

श्री सत्यवीर कुंवर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६१–६२ में फैक्टरी कितनी बार बन्द हुई और क्यों बन्द रही ?

श्री बंशीधर पांडेय—१९६१ में तो कई बार बर्नेस के गिर जाने से और कोयले की कमी हो जाने से फैक्टरी बन्द रही लेकिन ६२ में चार बार बन्द हुई जिस समय सारे प्रदेश में कोयले की कमी की स्थिति थी । लेकिन फैक्टरी पूरे तौर से नहीं बन्द हुई, कुछ भाग बन्द रहे और बाकी में काम चालू रहा ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार बतायेगी कि गंगा ग्लास वर्क्स, बालावली फैक्टरी दो सप्ताह से क्यों बन्द थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—असल में १ से १५ तारीख तक अप्रैल में और १ से ७ तारीख तक मई में बन्द रही ।

[१० मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग करने पर विचार

*४—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे जिले कौन-कौन से हैं जिनमें न्याय विभाग और शासन विभाग अलहदा-अलहदा कर दिया गया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—कुमाऊं तथा उत्तराखंड के जिलों को छोड़कर शासकीय कार्यों को न्याय कार्यों से पृथक् करने की योजना प्रदेश के अन्य सभी जिलों में लागू है ।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में न्याय विभाग शासन से अलहदा कर दिया गया है उन जिलों में जुडीशियल आफीसर्स को जिलाधीश अथवा सहायक जिलाधीश के अधीन काम करने के बजाय ऐसा कर दिया जाय कि वे जिला जज और हाईकोर्ट के अधीन काम करें ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जहां तक हाईकोर्ट से संबंधित करने का प्रश्न है, वह सरकार के विचाराधीन है । अभी जुडीशियल आफीसर्स कमिश्नर्स के तहत काम करते हैं ।

श्री रामायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तराखंड में उनको अलहदा न करने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—धीरे-धीरे उत्तराखंड में भी होगा । एक स्कीम के हिसाब से अलहदा किया जा रहा है । उत्तराखंड के बारे में भी विचार हो रहा है ।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि न्याय विभाग अलहदा तो कर दिया गया है लेकिन जुडीशियल आफीसर्स का करेक्टर रोल जिलाधीश के हाथ में रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जुडीशियल आफीसर्स का करेक्टर रोल ए० डी० एम० (जे०) द्वारा कमिश्नर के पास भेजा जाता है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—भारतीय संविधान के अनुसार जिस दिन से संविधान लागू हुआ है, १० वर्ष के भीतर जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव पृथक् हो जानी चाहिये। कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया भी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कठिनाई है कि उसने अभी तक इसको कार्यान्वित नहीं किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने पहले ही कहा कि यह प्रश्न विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां और दूसरे प्रदेश की परिस्थितियां बराबर नहीं हैं, अलग-अलग हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या उन कारणों पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि बाम्बे और मद्रास में तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में जुडीशियरी को अलहदा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब से बड़ी परिस्थिति तो यह है कि यह इतना बड़ा सूबा है कि इसकी परिस्थिति दूसरों सूबों से भिन्न है। इस वजह से अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाये।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन दोनों विभागों का अलहदा न करने का कारण यह तो नहीं है कि अमली जिन्दगी में उनको अलहदा करना तो नहीं लेकिन साथ में रखना अधिक उचित समझा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने ऐसा कोई विचार नहीं बनाया।

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीश और ए० डी० एम० (जे०) दोनों करेक्टर रोल भर कर कमिश्नर के पास भेजते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ए० डी० एम० (जे०) भेजता है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ला कमीशन की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गयी है कि आर्टिकिल ५० में जो डायरेक्टिव स्टेट्स को दिये गये हैं जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के उनका पालन यू० पी० में नहीं हो रहा है और दफा १०७, १४४, १४५, १०८, १०९, ११० सी० आर० पी० सी० आदि के क्रिमिनल केसेज अब भी जुडीशियरी के मातहत नहीं हैं बल्कि एस० डी० एम० के मातहत हैं ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इन दफाओं को सी० आर० पी० सी० के मातहत नहीं समझती है, इसलिये उनको एस० डी० एम० के मातहत रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, वे रखे गये हैं इसलिये कि वे तो प्रीवेंटिव सेक्शंस हैं। ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि अभी एस० डी० ओ० के द्वारा ही उसके मुकदमें इत्यादि तय किये जायं।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया कि प्रत्येक प्रगतिशील कार्य में इस प्रदेश के बड़े होने की वजह से बाधा उपस्थित होती है, तो इसको देखते हुए वे इस प्रदेश के बटवारा करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न कहां से पैदा होता है ?

श्री मैनेजर—अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिये उनको कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न यह है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रदेश का बटवारा हो जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो एक बहस की बात हो गयी। बटवारे का प्रश्न उठता नहीं है। यदि इस प्रदेश को और भी स्थान दे दिये जायं तो उसका भी संचालन सुचारु-रूप से हम कर लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि अब कितना समय न्यायपालिका को एक्जीक्यूटिव से अलग करने में लगेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उतना ही समय जितना किसी विचाराधीन प्रश्न के ऊपर सरकार का लगा करता है।

यूनानी दवाखानों तथा आयुर्वेदिक औषधालयों को अनुदान

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन यूनानी दवाखानों तथा आयुर्वेदिक दवाखानों को सन् १९६१-६२ में कितनी कितनी सहायता किस-किस रूप में दी गई ?

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)---वांछित †सूचना संलग्न है।

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाखाने हैं जिनको सरकार आर्थिक सहायता देती है ?

श्री धर्मसिंह---१५ आयुर्वेदिक और ६ यूनानी। सूची†संलग्न है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अनुदान के वितरण करने का क्या आधार है ?

श्री धर्मसिंह---डाइरेक्टोरेट में जो प्रार्थना-पत्र आते हैं, डाइरेक्टर उनके लिये गवर्नमेंट को सिफारिश करता है और तब गवर्नमेंट उनको अनुदान देती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, उनकी जांच होती है या नहीं ? यदि होती है तो किसके द्वारा ?

श्री धर्मसिंह---यह सही बात है कि उनकी जांच होती है और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जांच होती है।

श्री कल्पनाथसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी संस्था को १०० रु० और किसी संस्था को साढ़े ४ हजार रुपये देने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---संस्था कहां, किस प्रकार और कितना काम करती है, यह एक मुख्य कारण रहता है, जिससे उसका निर्णय होता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रयाग शिवकली औषधालय जिसको १ हजार रुपये की ग्रान्ट दी जाती है, उसमें साल में कितने मरीज आते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री काशीनाथ---क्या सरकार उत्तर प्रदेश के किसी निजी आयुर्वेदिक औषधालय को भी सहायता देती है ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष---यह तो बड़ी लम्बी फेहरिस्त है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न आयुर्वेदिक औषधालयों के अनुदान के सम्बन्ध में किया गया था। वे वही हैं जो मुफ्त में भी मरीजों की दवा इत्यादि करते हैं।

श्री रामायण---इन चिकित्सालयों को अनुदान देने का कोई निश्चित नियम है? यदि है, तो क्या माननीय मंत्री जी उसे सदन को बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने अभी निवेदन किया कि प्रत्येक अस्पताल जिसको अनुदान मिलता है, हमारे जो संचालक हैं और नीचे के अधिकारीगण है जिनमें जिलाधीश आदि भी सम्मिलित हैं, वे सब सरकार को इस बात की जानकारी कराते हैं कि उसमें कितने आउट डोर मरीज आते हैं, कितनी दवायें वितरित होती हैं, किस क्षेत्र में वह स्थित हैं, इन तमाम बातों पर विचार करके संचालक महोदय सिफारिश करते हैं और उस बुनियाद पर ही सरकार उसको स्वीकार करती है।

इलाहाबाद में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज तथा हवाई फायरिंग

*७---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के थाना कैन्टूनमेंट के समीप हजारों नागरिकों के ऊपर तारीख २४ मार्च, १९६२ की रात्रि को गोली तथा लाठी चार्ज किया गया? इसके फलस्वरूप कितने आदमी घायल हुये तथा मरे? ऐसा करने का क्या कारण था?

श्री नवलकिशोर---तारीख २४-३-६२ को थाना कैन्टूनमेंट इलाहाबाद की पुलिस को ३००-४०० की भीड़ पर एक लाठी चार्ज व हवा में फाइरिंग करना पड़ा। इसका कारण यह था कि दो आदमियों को गिरफ्तार करके जब वहां से थानेदार थाने पर ला रहे थे तो उनके साथी उनके साथ हो लिये। रास्ते में काफी लोग इन लोगों के मजमे में शामिल हो गए और भीड़ में करीब ३००-४०० आदमी हो गये। भीड़ वाले नारे लगा रहे थे कि इन दो व्यक्तियों को छोड़ा जाय। थाना पहुंच कर इस भीड़ ने थाने पर ईंट व पत्थर बरसाये। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हलका लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके फलस्वरूप ६ व्यक्ति घायल हुए। चूंकि लाठी चार्ज का कोई असर भीड़ पर नहीं हुआ तो पुलिस ने मजबूरन हवा में गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप न कोई घायल हुआ और न कोई मरा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २ व्यक्ति गिरफ्तार हुये वे किस अपराध में गिरफ्तार हुये थे?

श्री नवलकिशोर---जब पुलिस ने गिरफ्तारी करना चाही तो उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने दी और जो लाउड स्पीकर बज रहा था जब उसको कब्जे में करने की कोशिश की गई तो उन्होंने वह भी नहीं करने दिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भीड़ ने जो ईंटें चलाईं तो उनसे कितने आदमी घायल हुये?

श्री नवलकिशोर---थानेदार, हेड कांस्टेबिल और कुछ कांस्टेबिलों को चोटें आईं।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि कोई लाउडस्पीकर बज रहा था और उसको बन्द करने में उन लोगों ने अड़चन डाली इसलिये उनकी गिरफ्तारी की गई, तो वह लाउडस्पीकर क्यों बन्द किया जा रहा था?

श्री नवलकिशोर--शिकायत आई थी कि लड़कों की परीक्षा का समय है और लाउडस्पीकर बज रहा है उससे उनको डिसटरबेंस होता है। इस सम्बन्ध में सिटी मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिये थे कि बिना उनकी इजाजत के कोई लाउड स्पीकर न बजाये। जब वहां पुलिस गई तो मालूम हुआ कि लाउडस्पीकर बजाने का उनके पास कोई परमिट नहीं था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--यह फायरिंग जो हुई वह किस के आर्डर से हुई ?

श्री नवलकिशोर--जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि जब भीड़ पर कहने से और लाठी चार्ज करने से कोई असर नहीं हुआ तो उस थानेदार ने भीड़ को हटाने के लिये हवा में ४ फायर किये।

श्री रामायण--उन्होंने बताया कि पब्लिक ने थानेदार पर ईंटें फेंकी तो मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक के पास वहां ईंटें कहां से आईं ?

श्री नवलकिशोर--इसका तो मेरे पास कोई विवरण नहीं है।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)--क्या थानेदार या सिपाहियों में से किसी को कोई गम्भीर या हल्की चोट आई ?

श्री नवलकिशोर--मामूली चोटें आईं।

श्री नरसिंहनारायण--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी मैजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया था ? किस के हुक्म से यह लाठीचार्ज व गोली चलाई गई ?

श्री नवलकिशोर--मैंने अर्ज किया कि थानेदार ने स्वयं गोली चलाई और किसी के आर्डर देने की बात नहीं थी।

श्री दीपनारायणसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस के लोग घायल हुये उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया ? यदि हां, तो उसकी कापी आपके पास आई है या नहीं ?

श्री नवलकिशोर--उस मुआयने की कोई रिपोर्ट यहां नहीं है।

श्री झारखंडराय--जहां कहीं भी लाठीचार्ज, अश्रुगैस, या गोली चलाई जाती है वहां सब जगह पुलिस रिपोर्ट में कहा जाता है कि पब्लिक की तरफ से ढेले, ईंट और पत्थर चलाये गये। क्या सरकार इस बात को मानती है कि यह गोली कांड वहीं होते हैं जहां पहले से ढेले, ईंट और पत्थर रहते हैं या पब्लिक उनको लेकर जाती है ? क्या सरकार ने ढेले, ईंट, पत्थरों का उस जगह पर रहना इस के कारण पर गौर किया है कि क्यों ऐसा ही होता है ?

श्री नवलकिशोर--मैंने बताया कि जहां तक इन ईंट, पत्थरों का जिक्र है अभी मेरे पास ज्यादा विवरण नहीं है लेकिन इसकी जांच मैजिस्ट्रेट के द्वारा कराई गई। उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। सरकार कुछ प्वाइंट्स पर चूंकि मुतमइन नहीं थी लिहाजा फिर स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--मंत्री जी बतायेंगे कि थानेदार को बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के स्वयं गोली चलाने का अधिकार है कानून में।

श्री नवलकिशोर--मैंने कहा अभी इसकी इनक्वायरी चल रही है बराबर।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा---मैंने तो यह पूछा है कि क्या किसी थानेदार को कानूनन अधिकार है कि बिना उच्चाधिकारियों के आदेश के स्वयं गोली चलावे ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह है कि बगैर किसी अधिकारी के आदेश के क्या कोई थानेदार स्वयं गोली चला सकता है।

श्री नवलकिशोर---ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां मैजिस्ट्रेट की बिना इजाजत के थानेदार को गोली चलानी पड़ सकती है।

(शोर---'नहीं है', 'नहीं है' की आवाजें)

श्री अध्यक्ष---आप शोर न मचाइये, जो सवाल आपको पूछना हो पूछ लीजिये।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---क्या कानून के अन्दर थानेदार को अधिकार है कि मैजिस्ट्रेट के वहां मौजूद रहते हुए उससे इजाजत लिये बगैर गोली चला दे ?

श्री अध्यक्ष---उनका जवाब यह है कि बगैर किसी अधिकारी की मौजूदगी में भी थानेदार विशेष परिस्थितियों में गोली चला सकता है।

श्री जगदम्बाप्रसाद---वही मैं पूछना चाहता हूं जरा मंत्री जी कानून का हवाला दें कि सी० आर० पी० सी०, या आई० पी० सी० की किस धारा में थानेदार को अधिकार है कि वह बिना उच्चाधिकारी की स्वीकृति के गोली चला सकता है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मैं तो इस प्वाइंट पर बिल्कुल मुतमइन हूं कि थानेदार को अधिकार है कि वह अनलाफुल असेम्बली को बाई-फोर्स डिस्पर्स कर दे, यह उसका डिस्क्रिशन है कि उस परिस्थिति में जो कुछ मुनासिब समझे करे। उसके बाद मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी होती है यह देखने के लिये कि उसने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---देखिये यह प्रश्न कानून का है। मंत्री जी का यह ख्याल है कि कानूनी उसे हक है और आदरणीय सदस्यों का यह खयाल है कि ऐसा हक उसे नहीं है। अब यह बात प्रश्नों से तो तय होगी नहीं। आप बाद में इस सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं और कानून की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या यह सही है कि अनलाफुल असेम्बली घोषित हुए बिना दरोगा गोली नहीं चला सकता है और अनलाफुल असेम्बली दरोगा घोषित नहीं कर सकता है बल्कि मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दरोगा सेल्फ डिफेन्स में गोली भी चला सकता है और वह सारे कार्य कर सकता है जिनसे वह अपना बचाव कर सके, सरकारी आपत्तियों का बचाव कर सके। जनहित में वह यदि यह महसूस करता है कि अगर ऐसा नहीं करता है तो उससे अधिक नुकसान होगा, और ऐसी अवस्था में जब उसे कोई सलाह देने वाला व्यक्ति न हो तो अवश्य वह सेल्फ डिफ़ेन्स में गोली भी चला सकता है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि चुने हुए चन्द आदमी यहां हैं उनसे आप प्रश्न पुछवाते हैं और जो बैंक बैंचर्स हैं उनसे प्रश्न नहीं पुछवाते हैं। हजारों दफा मैं खड़ा हुआ, लेकिन मेरी तरफ तवज्जह ही नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि क़ानूनन एक दरोगा को क्या अधिकार है इसी पर बातचीत हो रही है। अब मैंने जैसा निवेदन किया माननीय मंत्री जी एक उत्तर दे रहे हैं। अब वह उत्तर अगर गलत है या कानून के प्रतिकूल है तो मेरा आपसे निवेदन

था कि वह प्रश्नों से साल्व नहीं होगा। आप प्रश्न कीजिये, उनका एक दृष्टिकोण है तो प्रश्नों से उस समस्या का समाधान नहीं होगा वह बात किसी कानून के जरिये तय होगी। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन यह था कि प्रश्न आप घटना पर कीजिये, कानून पर प्रश्न करने से यह मसला हल नहीं होगा।

श्री मैनेजर--किस सेक्शन के अन्तर्गत दरोगा को यह अधिकार है कि वह गोली चलाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उसी धारा के तहत दरोगा गोली चला सकता है जिस धारा के तहत प्रत्येक सदन का सदस्य यदि उसके ऊपर ऐसी मुसीबत आये कि वह मारा जा सकता है तो अपने सेल्फ डिफेन्स में वह गोली चला सकता है, उसी धारा के अन्तर्गत थानेदार भी गोली चलाने का अधिकार रखता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--माननीय नवलकिशोर तथा माननीय चन्द्रभानु गुप्त दोनों के उत्तरों में भेद है। माननीय नवलकिशोर कहते हैं कि दरोगा को हर हालत में अधिकार है ....

श्री अध्यक्ष--माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी बैठ जाइये।

श्री श्यामलाल--माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि दरोगा को यह अधिकार है कि सेल्फ डिफेन्स में वह लाठी चार्ज कर सकता है या गोली चला सकता है और माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जिस समय ढेले पड़ने लगे तो दरोगा या सिपाही के चोट आई तो ऐसी परिस्थिति में सेल्फ डिफेन्स में क्या गोली चला देना उचित है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं समझता हूं कि थानेदार को यदि ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जिसमें भीड़ भाग सकती है तो वह हवा में फायर करवा दे, तो यह अधिकार उसको है कि वह हवा में फायर कर सकता है और करता भी रहा है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--एक निवेदन है कि जब हम सवाल करते हैं रूल पर तो आप कहते हैं कि रूल देख लिये जायं और माननीय मुख्य मंत्री रूल का इंटरप्रिटेशन बराबर अपने मन से करते चले जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कहते और एक ही तरफा बात आप जस्टीफाई कर रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--मेरा निवेदन है कि यह लोगों की जिन्दगी व मौत का सवाल है। इसलिये किसी समय इस पर बहस करने का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जो बात माननीय लखपतराम शर्मा कर रहे हैं वह ठीक है। जब किसी प्रश्न से सन्तोष न हो तो इतने तरीके हैं जिनसे उसके सम्बन्ध में व्याख्या हो सकती है। तो उसमें कोई बात नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा--इस मामले पर चूंकि शकर की गोलियां नहीं तकसीम की गयीं बल्कि बन्दूक की गोलियां थीं इसलिये जल्दी से जल्दी कोई समय निर्धारित कर दीजिये ताकि....

श्री अध्यक्ष--वह तो सूचना दे दीजिये, तो हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह--श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय गृह उपमंत्री और मुख्य मंत्री के उत्तरों से स्पष्ट हो गया है कि पुलिस की ओर के चोटहिल कर्मचारियों की चोटों के बारे में कोई मेडिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं है और मुख्य मंत्री का यह कहना है कि आत्मरक्षा के प्रश्न पर जैसे जनसाधारण को अस्त्रों को इस्तेमाल करने का हक है उसी के अन्तर्गत उन्होंने किया होगा। (व्यवधान) कोई विशेष धारा उन्होंने नहीं बतायी। फिर उन्होंने अपने आप को कैसे सन्तुष्ट कर लिया कि पुलिस

[श्री दीपनारायणसिंह]

ने सेल्फ डिफेन्स में गोली चलायी ? और अगर सन्तुष्ट नहीं हुये तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की। इसके अलावा क्या मुख्य मंत्री जैसे उच्च पद पर आसीन लोगों को सेल्फ डिफेन्स के ऊपर निर्णय करने का अधिकार है जब कि यह काम अदालतों का है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय दीपनारायणसिंह जी ने जो प्रश्न रखा है वह व्यवस्था का नहीं है। उनका चैलेन्ज यह है कि जो स्टेटमेंट मुख्य मंत्री जी ने दिया वह कानून की दृष्टि से सही है या गलत उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस प्रश्न के उत्तर में जो बातें आयी हैं अगर उनसे आप असन्तुष्ट हैं तो नियम ५० है और बहुत से तरीके हैं जिनसे इसका निराकरण हो सकता है लेकिन यहां पर कानून पर प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री काशीनाथ---माननीय दीपनारायणसिंह आपकी राय जानना चाहते थे कि सेल्फ़ डिफ़ेन्स की थ्योरी ऐग्रेसर की तरफ़ से शुरू होती है या ऐग्रीव्ड की तरफ से शुरू होती है।

श्री अध्यक्ष---यही तो मैं कह रहा था कि यह कानून का प्रश्न है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ४३ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि---

"नियम ३२ के अन्तर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न पर अथवा किसी प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी।"

तो यह जो वाद विवाद चल रहा है यह नियमावली के अनुसार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये तो मैंने रूल आउट कर दिया है।

श्री कल्पनार्थसिंह---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या थाने पर टेलीफोन है या नहीं और अगर है तो क्या थानेदार ने अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कोई आदेश लेने का कष्ट किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवल किशोर---जिस समय यह भीड़ बढ़ी तो उन्होंने इस बात की कोशिश की कि अथारिटीज़ से कि उनके पास कुछ फोर्स ज्यादा आ जाय मगर जब भीड़ ने इस बीच में थाने के अन्दर घुसने की कोशिश की तब उन्होंने हवा में फ़ायरिंग की।

*८---श्री ऊदल--- [हटा दिया गया।]

बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐन्ड पावर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की मांग

*९---श्री ऊदल---क्या सरकार बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर कम्पनी व उसके कर्मचारियों के बीच सन् ४७ के अवार्ड के मुताबिक जो विवाद था उसमें पंचनिर्णय न्यायाधिकरण के फैसले नवम्बर सन् १९५२ के मुताबिक न लागू करने की वजह से इस कम्पनी का तथा इससे सम्बन्धित जो कम्पनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--- जी नहीं।

*१०---श्री ऊदल---क्या सरकार प्रदेश की बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बंशीधर पांडेय---जी नहीं।

श्री ऊदल—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में जो फैसला हो गया उसको कम्पनी ने अभी तक लागू नहीं किया तो सरकार ने उस कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय—१९५२ में जो फैसला हुआ उसके बाद जो इम्पलायर्स थे उन्होंने लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दी और प्रोसीडिंग्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रहीं तो इम्पलीमेंटेशन का सवाल नहीं उठता ।

मैनपुरी जिले में वृद्धावस्था पेंशन

*११—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वृद्धावस्था योजना के मुताबिक मैनपुरी जिले में इस वक्त कितने वृद्धों की पेंशनें दी जा रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत मैनपुरी जिले में इस समय १०० वृद्धों को पेंशन दी जा रही है ।

लूमामऊ तथा बलरामपुर के झगड़ों से संबंधित मुकदमे

*१२—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित) तथा श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले आम चुनाव के दौरान में लूमामऊ, जिला हरदोई में बन्दूक चलाने से कुछ हत्यायें हो गईं ? अगर हां, तो वह घटना क्यों घटी तथा इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आम चुनाव के दौरान में तो नहीं परन्तु चुनाव से कुछ दिन पहले लूमामऊ, हरदोई में दो दलों में झगड़ा हुआ जिसमें गोली चलाई गई । इस सिलसिले में ३ व्यक्ति मारे गये। चुनाव के सिलसिले में दोनों दलों द्वारा पास ही पास सभाओं का आयोजन किया गया था । दोनों ओर की भीड़ उत्तेजित हो गई और झगड़ा हो गया जिसमें पुलिस वालों को भी चोटें आईं । झगड़े के दौरान में बन्दूकें भी चलाई गईं । इस सिलसिले में ३९ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है ।

*१३—श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बसन्तसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री बेदराम (अनुपस्थित)—क्या आम चुनाव के दौरान में बलरामपुर जिला गोंडा में कुछ लोग हताहत हुये ? इस घटना का संक्षिप्त विवरण मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, घटना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इस सिलसिले में २१ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे कायम किये गये हैं जो अदालत के विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०७ पर)

लेबर क्वार्टर्स, जूही, कानपुर

*१४—श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि कानपुर में जूही इत्यादि एरिया में पिछले दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितने लेबर क्वार्टर बने हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कुल १६,२६२ मकान बने हैं ।

*१५—श्री किशोरीलाल अग्रवाल—उनमें से कितने क्वार्टर खाली पड़े हैं और कब से खाली पड़े हैं तथा किन कारणों से ?

नोट—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी केवल १३,७५१ मकान पूरी तरह से बन पाये हैं इनमें से केवल १०४ खाली हैं। मकान समय-समय पर खाली होते रहते हैं और उठते रहते हैं।

*१६--**श्री किशोरीलाल अग्रवाल**--इस प्रकार से इन क्वार्टरों के खाली रहने से ३१ मार्च, १९६२ तक कितने रुपये किराये का नुकसान हुआ इस नुकसान से बचने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--एलाटमेन्ट होने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। अतः किराये की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

*१७--**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

उत्तराखंड विकासार्थ अनुदान की व्यपगत धनराशि

*१८--**श्री हिम्मतसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखण्ड के विकास के लिये कितना-कितना रुपया अलग मदों में सन् १९६०-६१ में व १९६१-६२ में रक्खा गया तथा उसमें से कितना-कितना व्यपगत हो गया तथा क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०८ पर)

*१९-२०--**श्री चन्द्रजीत**--[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य नियोजन बोर्ड के पुनर्गठन पर विचार

*२१--**श्री चन्द्रजीत**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को स्टेट प्लानिंग बोर्ड गठन करने का परामर्श दिया है? यदि हां, तो इस परामर्श की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और अब राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कोई निर्णय लिया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। राज्य नियोजन बोर्ड के पुनर्गठन के विषय में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को कुछ सुझाव अभी हाल में भेजे हैं। उद्देश्य यह है कि एक छोटा और सुसंगठित बोर्ड बनाया जाय जो मंत्रि-परिषद् को दीर्घ कालीन योजनायें बनाने, आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करने और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने में सहायता दे सकें।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रश्न विचाराधीन है।

*२२--**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर), **श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर) तथा **श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर)--[वापस ले लिया गया।]

कानपुर में जे० के० ग्रुप काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड पर ऋण

*२३--**श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री जगन्नाथ** तथा **श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**--क्या सरकार बतायेगी कि इस समय कानपुर में जे० के० ग्रुप तथा बी० आई० ग्रुप तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल पर प्रदेशीय सरकार का कितना-कितना ऋण का देय बाकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कानपुर में जे० के० ग्रुप के काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड पर प्रदेशीय सरकार के ऋण की देय किस्तों में से १६ लाख रुपया बाकी है। अन्य को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

*२४—श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री जगन्नाथ तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

चीनी मिलों पर किसानों के बकाया की वसूली के लिये कार्यवाही

*२५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों पर अलग-अलग कितना किसानों का गन्ने का मूल्य बकाया है ? इस मूल्य को किसानों को दिलाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस प्रदेश की चीनी मिलों पर १९६०–६१ तथा १९६१–६२ (३१ मार्च, १९६२ तक) गन्ने की कीमत की मिलवार बकाया रकम और उसकी वसूली के लिये की गई कार्यवाही का संबंध है, इसका उत्तर श्री रामसुन्दर पान्डेय तथा श्री शिवेन्द्रप्रताप द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत सदन में २३ अप्रैल, १९६२ को दिया जा चुका है। १९६०–६१ सीजन से पूर्व सीजनों के गन्ने की कीमत जो निर्दिष्ट तारीख को मिलों पर बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है इस रकम की वसूली के लिये रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०९ पर ।)

*२६–२७—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८–२९—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये ।]

जगम्मनपुर तथा मेंड अस्पतालों में स्टाफ क्वार्टर्स बनाने की योजना

*३०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकेन्द्र अस्पताल जगम्मनपुर, जिला जालौन के डाक्टर व कम्पाउन्डर के क्वार्टर तथा राजकीय एलोपैथिक अस्पताल मेंड़, जिला जालौन के डाक्टर के क्वार्टर बनवाने को मंजूरी हो चुकी है? यदि हां, तो कृपया बतायेंगे कि यह कब से बनना प्रारम्भ हो जायंगे और कब तक बन जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । जगम्मनपुर जिला जालौन के क्वार्टस के नक्शे तथा तखमीने इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। उन पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात् निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

मेंड, जिला जालौन के अस्पताल के क्वार्टर के नक्शे तथा तखमीने पर सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायगा । इस समय यह बतलाना कठिन है कि उपरोक्त क्वार्टर्स कब तक बन जायेंगे ।

जालौन जिले में आयुर्वेदिक औषधालय तथा बिना डाक्टर के अस्पताल

*३१—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला जालौन के देहाती क्षेत्र के कितने एलोपैथिक अस्पतालों में डाक्टर नहीं है ? उनकी सूची नामवार देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जालौन जिले के देहाती क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित सरकारी एलोपैथिक अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं :—

१—कुदारी ।
२—रामपुरा ।
३—डाकोर ।
४—माधोगढ़ ।

*३२—श्री विजयसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं और वह उस जिले में कहां-कहां पर हैं ? उनकी सूची नामवार देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला जालौन में आठ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं। उनकी सूची निम्नांकित है—

१—कुथांड
२—टिमरौन
३—रूरा अड्डू
४—कोटरा
५—हरदोई गूजर
६—उदनपुर
७—उमरी
८—हदरूख

गोंडा जिले में पंचायत मंत्रियों के निवासस्थान से कार्यक्षेत्र की दूरी

*३३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि पंचायत मंत्री अपने निवासस्थान से २० मील के अन्दर न नियुक्त किये जायं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, ऐसे आदेश जारी किये गये थे कि साधारणतया पंचायत मंत्रियों को उनके निवासस्थान से २५ मील की दूरी पर नियुक्त किया जाय, परन्तु अब उक्त आदेश निरस्त कर दिये गये हैं।

*३४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर—यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि यह आदेश अब निरस्त हो चुका है अतएव उसकी प्रति मेज पर रखना उपयोगी न होगा।

*३५—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री काशीनाथ बहादुर—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में कितने ऐसे मंत्री हैं जो उपरोक्त आदेश के प्रतिकूल अपने निवासस्थान से १० मील के अन्दर स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आदेश की प्रतिकूलता का अब प्रश्न नहीं उठता। वैसे गोंडा जिले में ६२ पंचायत मंत्री अपने निवास स्थान से १० मील के अन्दर कार्य कर रहे हैं।

*३६-३८—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सिसौली के निकट पड़ी डकैतियों की जांच

*४०—श्री शुगनचन्द मजदूर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फर नगर में शिकारपुर क्षेत्र के अन्दर एक ही रात में जो डकैतियां कस्बा सिसौली के निकट फरवरी, १९६२ में पड़ी थी, उस संबंध में क्या किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शिकारपुर क्षेत्र में २५-२६ फरवरी, १९५२ की रात्रि में कस्बा सिसौली के पास २ डकैतियां पड़ीं। दोनों में पुलिस द्वारा जांच जारी है।

*४१-४२—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३—श्री होरीलाल यादव—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

गौरैया गांव की श्रीमती बिटोल की कथित हत्या

*४४—श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि उन्नाव जिलान्तर्गत थाना बिहार हल्के के गांव गौरैया में गत १३ दिसम्बर, ६१ की रात में एक नव-विवाहिता स्त्री बिटोल की हत्या करके १४ दिसम्बर, १९६१ को उसकी लाश मुंह अंधेरे गंगा जी में बहा दी गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हत्या नहीं हुई। श्रीमती बिटोल का विवाह ६-७ वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में उनके शव का सुबह ९ बजे जल प्रवाह किया गया था।

असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर का नया पे स्केल तथा मकान भत्ता बढ़ाने पर विचार

*४५—श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट में असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर (ए० पी० पी०) के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की गयी है? यदि हां, तो उसको सरकार कब से लागू करने जा रही है? नहीं तो, क्यों नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। सरकार का विचार है कि नया स्वीकृत वेतन-क्रम जनवरी १, १९६२ से लागू किया जाय।

*४६—श्री उमाशंकर—क्या यह सत्य है कि कबाल टाउन्स में सब-इन्सपेक्टर को मकान किराया ३० रु० मासिक मिलता है और ए० पी० पी० को १८ रु० ७५ न० पै०। यदि हां, तो ऐसा क्यों है जब कि ए० पी० पी० का पद सब-इन्सपेक्टर से ऊंचा समझा जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, किन्तु १ अप्रैल, १९५८ के पहले सब-इन्सपेक्टरों को भी मकान किराया १८.७५ रु० की दर से मिलता था। असिस्टेन्ट पब्लिक प्राजीक्यूटर के मकान के किराये की दर रिवाइज्ड करने पर सरकार विचार कर रही है।

*४७-४८—श्री भीखालाल—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९—श्री रघुवीर—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के कारीगर श्री जयन्ती लाल की बर्खास्तगी

*५०—श्री नरसिंहनारायण, श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री चन्द्रजीत तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयन्तीलाल जो सरकारी चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री के एक कारीगर हैं, उन्हें ३ मई, १९५६ ई० को नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*५१—श्री नरसिंहनारायण, श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री चन्द्रजीत तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कारीगर ने अपने इस बरखास्तगी के विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट में कोई रिट फाइल किया था और वह फैसला कारीगर को काम पर लेने के सम्बन्ध में कारीगर के माफिक हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार उस कारीगर को सवेतन रखने के लिये आदेश प्रदान करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है, किन्तु सरकार ने माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये आवेदन-पत्र माननीय हाईकोर्ट में दिया है, अतः उक्त कारीगर को पुनः सवेतन काम पर रखने के प्रश्न पर विचार उक्त आवेदन-पत्र अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरान्त किया जावेगा।

कौड़ियाला नदी के घाट, मरतापर का बहराइच जिले में शामिल होना

*५२—**श्री रामचरणशाह** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६०–६१ तथा ६१–६२ में अन्तरिम जिला परिषद्, खीरी का मरतापुर कौड़ियाला नदी का घाट बहराइच जिले के ग्राम समाज में ट्रांसफर किया गया है? अगर हां, तो कब?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है।

अहरौला थाने के हेड मुहर्रिर के क्वार्टर में चोरी

*५३—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के थाना अहरौला में सितम्बर, सन् ६० ई० के किसी दिन थाने के हेड मुहर्रिर के क्वार्टर में चोरी हुई थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, दिनांक १९/२०–९–६० की रात में चोरी की घटना हुई थी।

*५४—**श्री उमाशंकर**—क्या मन्त्री जी यह बता सकते हैं कि इस चोरी की जांच किसने की और उनकी रिपोर्ट में किसी पुलिस कांस्टेबिल पर भी शक है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त चोरी की प्रारम्भिक जांच एस० आई०, जोगेन्द्रनाथ ने की और तत्पश्चात् सब-इंस्पेक्टर शिव बहादुर राय ने जांच पूरी की। इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने थाने पर नियुक्त एक कांस्टेबुल पर शक किया था किन्तु पर्याप्त प्रमाण न मिलने के कारण इस कांस्टेबुल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

*५५–५७—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद्, इटावा का प्रस्ताव

*५८—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा अन्तरिम जिला परिषद् ने अपने प्रस्ताव संख्या ६, दिनांक २६ मार्च, १९६२ में यह पास करके सरकार के पास भेजा है कि जिस प्रकार शासन अपने कर्मचारियों को मंहगाई का भत्ता दे रही है उसी प्रकार स्वायत्त शासन के अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों को भी दे? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर कौन-सी कायवाही की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। अन्तरिम जिला परिषद् इटावा का प्रस्ताव संख्या ६, दिनांक २६ मार्च, १९६२ शासन को दिनांक २७ अप्रैल, १९६२ को प्राप्त हुआ है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

*५९–६०—**श्री शुगनचन्द मजदूर**—[२८ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १०२–१०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बांकेगंज प्राइमरी हेल्थ यूनिट डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना

*६१—**श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय अस्पताल बांकेगंज विकास क्षेत्र खास में कब से डाक्टर नहीं हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांकेगंज प्राइमरी हेल्थ यूनिट डिस्पेन्सरी, जिला खीरी में २३ जुलाई, १९६१ से डाक्टर नहीं है।

*६२—**श्री छेदालाल चौधरी**—क्या सरकार यथाशीघ्र वहां अस्पताल में डाक्टर देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, प्रयत्न किया जायगा।

झांसी बिजली कम्पनी की दरें

*६३—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी बिजली कम्पनी किन दरों पर जनता को बिजली कई वर्षों से दे रही है और पावर किस रेट पर जनता को दिया जाता है ? झांसी बिजली कम्पनी की तरह भारी रेट उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों में जनता से वसूल किये जाते हैं क्या सरकार बतायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—"झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड" नामक संस्था झांसी व गोरखपुर शहरों में बिजली का उत्पादन व वितरण करती है। इन दोनों स्थानों की बिजली की दरें संलग्न तालिका (क) में दी हुई हैं।

जिन दूसरी बिजली कम्पनियों की दरें लगभग झांसी बिजली कम्पनी की दरों के समान हैं उनके नाम संलग्न तालिका (ख) में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५१० पर)

करहल तहसील में बघरों का आतंक

*६४—**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल में जिला मैनपुरी, तहसील करहल व शिकोहाबाद में किसी जंगली जानवर के द्वारा कई बच्चों की जानें गई हैं जिसके कारण जनता में भयंकर भय उत्पन्न हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तहसील करहल में बघरें द्वारा ४ बच्चों की जान गई है किन्तु तहसील शिकोहाबाद में ऐसी किसी घटना की सूचना जिलाधिकारियों को नहीं मिली है।

*६५—**श्री रामसिंह**—यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है और ऐसे जानवरों से रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बघरें द्वारा मारे गये बच्चों की संख्या ४ है। जिलाधिकारियों द्वारा समस्त थानाध्यक्षों को लैसन्सदारों की सहायता से बघरों को मारने की कार्यवाही की जा रही है। एक बघरा मारा भी जा चुका है।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, कटरा में निर्माण-कार्य

*६६—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड कटरा में सन् १९५९-६० तथा ६१ में कितने पानी पीने के कुओं के लिये अनुदान दिया गया और किन-किन गांवों में इनमें से कितने कुएं बन कर पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने शेष हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वर्ष १९५९ में २१, वर्ष १९६० में १८ तथा १९६१ में शून्य, अर्थात् कुल मिलाकर इन तीन वर्षों में ३९ कुओं पर अनुदान दिया गया। ये सब कुएं बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनकी एक तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५११ पर)

*६७—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ब्लाक में कितने व्यक्तियों को नलकूप लगाने के लिये अनुदान दिया गया? इनमें से कितने नलकूप बन चुके हैं और कितने शेष हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ब्लाक बजट से नलकूप के लिये अनुदान देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

*६८—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ब्लाक में किन-किन ग्राम सभाओं में पुल तथा पुलियों का निर्माण कराया है? इनमें से कितना धन ब्लाक से अनुदान के रूप में मिला तथा कितना धन सम्बन्धित ग्राम सभाओं ने अपने कोष से व्यय किया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ग्राम सभाओं में १४ पुलियों का निर्माण कराया गया है, जिसके लिये ब्लाक अनुदान के रूप में १२,८९४ रु० ५० नये पैसे तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं के कोष से १२,९०६ रु० ३४ नये पैसे व्यय किया गया है। इनमें से ३ पुलियां ऐसी हैं जिनके अनुदान का सम्पूर्ण भुगतान अभी नहीं हो सका है क्योंकि उनकी पूर्ति-रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५१२–५१३ पर।)

रिहन्द बांध से बिजली का वितरण

*६९—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध विद्युत् योजना से फिलहाल कितनी किलोवाट बिजली तैयार हो रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय रिहन्द में एक मशीन चालू है और उससे फिलहाल लगभग १९,००० किलोवाट उत्पादन किया जा रहा है।

*७०—श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें से कितनी-कितनी किलोवाट बिजली किन-किन जिलों को फी किलोवाट किस दर से दी जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:—

					किलोवाट
वाराणसी	..	..	..	..	९,०००
इलाहाबाद	..	..	..	..	३,०००
मिर्जापुर	..	..	..	..	७,०००

बिजली की दर फिलहाल ५ नये पैसे प्रति यूनिट है।

*७१—श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साहू कैमिकल ऐण्ड फर्टीलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी तथा विरला कैंसर आल्म्यूनियम फैक्टरी, मिर्जापुर को अलग-अलग कितनी-कितनी किलोवाट बिजली किस दर से दी जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—साहू कैमिकल्स, साहूपुरी, को इस समय ६,००० किलोवाट बिजली ५ नये पैसे फी यूनिट की दर से दी जा रही है। हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम कारपोरेशन को ५५,००० किलोवाट बिजली १.९९७७१७ नये पैसे फी यूनिट की दर पर देना निश्चय किया गया है।

*७२–७४—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—[२४ मई, १९६२ को लिये स्थगित किये गये।]

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

*७५—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न प्रदेशीय सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर है।

*७६—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के कर्मचारियों के रहने के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब के लिये नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से जो भवन सरकार निर्मित करती है उसमें चिकित्साधिकारी के निवास की व्यवस्था है।

*७७—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक औषधालयों में शल्य कार्य के औजारों की कमी है तथा क्या उनके लिये उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में केवल लघु शल्य कार्य किया जाता है और उसके लिये जो औजार दिया जाता है वह पर्याप्त है।

लैन्सडाउन कैण्टूनमेंट के निकट नरभक्षी व्याघ्र का आतंक

*७८—श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि लैन्सडाउन कैण्टूनमेंट के आस-पास की सील, कौड़िया और बदलपुर की पट्टियों से एक आदमखोर बाघ ने पिछले डेढ़ साल के अन्दर करीब २२ व्यक्तियों को मार डाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की सूचना के अनुसार लैन्सडाउन कैण्टूनमेंट के आस-पास की सील, कौड़िया और बदलपुर की पट्टियों में लगभग एक साल से एक आदमखोर बाघ ने आतंक कर रखा है। उसके द्वारा अब तक ११ हत्यायें हुई हैं और १० व्यक्ति घायल हुए हैं।

*७९—श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार को सूचना मिली है कि २५ मार्च, १९६२ को असनखेत गांव में और ८ अप्रैल को बरस्वाड़ गांव में आदमखोर बाघ ने २९ वर्ष की आयु की स्त्री को मार डाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मिली हुई सूचना के अनुसार २४ मार्च, १९६२ को (न कि २५ मार्च, १९६२ को) ग्राम असनखेत, पट्टी तल्ला बदलपुर में इस आदमखोर बाघ ने एक बालक को मार डाला। बाद में ८ अप्रैल, १९६२ को उसी ने ग्राम बरस्वाड़ पट्टी तल्ला बदलपुर में एक स्त्री की हत्या की।

*८०—श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नरभक्षी व्याघ्र के आतंक की सूचना सरकार को पहले-पहल कब मिली और उसे मारने का क्या-क्या प्रबन्ध अब तक सरकार की ओर से किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को इस बाघ के बारे में प्रथम सूचना ९ मई, १९६१ को मिली थी। इसको मारने के लिये जो प्रबन्ध किये गये हैं, उनका खुलासा मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५१४–५१५ पर)

*८१—श्री हरीशकुमार गंगवार—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

देवीगंज—सुबेहा मार्ग पर राड़ी नाले के पुल की आवश्यकता

*८२—श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी से सुबेहा मार्ग के देवीगंज से सुबेहा के मध्य अब तक राड़ी नाले पर कोई पुल नहीं है? यदि हां, तो क्या यहां पुल निर्माण पर सरकार विचार करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, यह सत्य है कि उक्त स्थान पर कोई पुल नहीं है। वह मार्ग जिस पर यह पुल पड़ेगा अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार में है। अतः उसे बनाने का दायित्व परिषद् का ही है।

*८३—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—[२४ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी नगरपालिका सम्बन्धित चुंगी की फर्जी वापसी विषयक मुकदमा

*८४—श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि झांसी म्यूनिसिपल बोर्ड की चुंगी की चोरी का जो मुकदमा कानपुर में कई वर्षों से चल रहा है वह अब किस स्टेज में है? क्या यह सच है कि उपरोक्त मुकदमें की पैरवी प्रान्त की सी० आई० डी० कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त मुकदमा चुंगी की चोरी का नहीं है बल्कि चुंगी की फर्जी वापसी का है। यह मुकदमा इस समय न्यायालय में विचाराधीन है और प्रदेश की सी० आई० डी० इसकी पैरवी कर रही है।

*८५—श्री जेड० ए० अहमद—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह मामला कब पकड़ा गया व किसकी रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ व अब तक उसका फैसला न होने का क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १८-४-५६ को सर्वश्री जे० एन० वर्मा, डी० के० जैन, लखपतराम शर्मा, बाबूलाल गर्ग, म्युनिसिपल कमिश्नर, झांसी व दो अन्य व्यक्तियों ने जिलाधीश झांसी को एक शिकायती-पत्र दिया था जिसके आधार पर धारा ४०९/४७७-ए एवं १२० बी-भारतीय दंड विधान का मुकदमा थाना कोतवाली, झांसी में ३०-४-५६ को दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। बाद में मामला सी० आई० डी० को सौंप दिया गया। अन्त में सी० आई० डी० द्वारा अभियुक्तों का धारा ४२०/४६५/४६८/५७१/४७७-ए, २०१/१०९/१२०-बी, भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान कर दिया गया।

मुकदमें के दौरान में अभियुक्तों ने समय-समय पर रिवीजन और ट्रांसफर के लिये आवेदन-पत्र दिये, जिन पर निर्णय होने में काफी समय लगा और मुकदमें में प्रगति न हो सकी।

*८६—श्री जेड० ए० अहमद—क्या सरकार उन मुलजिमों के नाम, पेशा, सकूनत व उनके विरुद्ध जिन धाराओं में मुकदमा है, बतायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५१६ पर।)

मछलीशहर—कठिरांव मड़ियाहूं-नेवढ़िया सड़कों के निर्माणार्थ अनुदान

*८७—श्री जगन्नाथ तथा श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर से कठिरांव तक मड़ियाहूं से जाने वाली सड़क के लिये कितना अनुदान कब स्वीकार हुआ है और उस पर कितना काम हुआ है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मछलीशहर से कठिरांव तक जाने वाली सड़क पर मछलीशहर से मड़ियाहूं तक सड़क के लिये वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कुल ३,३५,२५० रुपये का अनुदान केन्द्रीय सड़क निर्माण कोष योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है। चूंकि सड़क निर्माण में स्थानीय लोगों की सहायता वांछनीय है अतः स्थानीय ग्राम सभाओं को, श्रमदान कार्य सम्पन्न कराने के लिये, सड़क पर डिमारकेशन प्रदान किया जा चुका है।

*८८—**श्री जगन्नाथ तथा श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक जाने वाली सड़क पर किस समय कितना धन तथा किस रूप में स्वीकार हुआ है और उस पर कितना काम हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मड़ियाहूं से नेवढ़िया जाने वाली सड़क पर ३ मील ६ फर्लांग की लम्बाई के निर्माण हेतु जिला नियोजन समिति ने ३७,५०० रुपये का अनुदान १९५६-५७ में स्वीकृत किया। अब तक सम्पन्न हेतु कुल कार्य की लागत ४३,२२० रुपये है।

गन्ना विकास विभागीय मैनुअल न होना

*८९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने आज तक विभागीय मैनुअल नहीं बनाया ? यदि हां, तो मैनुअल न बनाने का कारण क्या है ? क्या गन्ना विकास कामदार संघ सन् १९५४ से ही मैनुअल बनाने की मांग करता चला आ रहा है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी हां, विशेषतया विभागीय कार्य की अधिकता और अधिकारियों की कमी के कारण मैनुअल अभी तक नहीं बन सका। १९५४ में गन्ना विकास कामदार एसोसियेशन ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। हां, उन्होंने अप्रैल, १९५५ में इस संबंध में गन्ना आयुक्त को एक प्रार्थना-पत्र भेजा था।

प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि नत्थी 'क' में भीखालाल जी का पाचवां प्रश्न था और पांच हत्यायें हो गई हैं और उस प्रश्न पर २/३ मिनट के बाद सदन आगे बढ़ गया जबकि उस पर और ज्यादा विचार होना चाहिये था। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसका पूर्ण विवरण दें ताकि सदन वाकिफ हो सके। इस पर बहुत कम समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—देखिये, इसका तरीका यह है कि आप दूसरा प्रश्न करते। यह तो प्रश्न हो चुका है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों को पूरक प्रश्न के उत्तर ठीक तरह से मन्त्रिमंडल की ओर से नहीं मिलते हैं। मेरा जो प्रश्न था जिसका अभी जिक्र हुआ है, मैं उसी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था लेकिन प्रश्न करने में रुकावट आती, इसलिये नहीं उठाया। मैंने प्रश्न किया था कि हमारे यहां उन्नाव में एक ही समय पर पांच हत्यायें हुईं। यह पहली मर्तबा ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि साल भर में ४०/५० कत्लों की घटनायें हो चुकी हैं। इसलिये मैंने इशारा किया था कि ऐसे बढ़ते हुए जुर्मों को प्रोत्साहन किस तरह से मिल रहा है, क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और मैंने तथ्य बताया था कि ऐसे जुर्मों के करने वालों को संरक्षण नेतागण दे रहे हैं। इस पर मन्त्री जी ने यह जवाब दिया कि ऐसा कहना अनुचित है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा आपके जरिये से ही होती है। इस तरह से उत्तर देना सदन में मुनासिब है क्या ? इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उत्तर देना तो मन्त्री जी के अधिकार की बात है और आपने एक इशारा किया और उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ऐसी बात हो रही है। मेरा आप से निवेदन था कि ऐसा हो सकता है कि आप इस सम्बन्ध में फिर से प्रश्न कर लें कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं बिल्कुल स्पष्ट, तो बात साफ हो जायगी।

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री अध्यक्ष—अब सचिव आइटम नम्बर २ की घोषणा करेंगे।

सचिव विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १२ अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १ मई, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

मुख्य मंत्री द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज के एक निर्णय में पुलिस विभाग के विरुद्ध की गयी आलोचनाओं से असहमति प्रकट करने पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब आपके समक्ष विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में जो सूचनायें मिली थीं उस सम्बन्ध में मैंने आप से निवेदन किया था कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना उन तथ्यों पर निहित होती है जिनका वर्णन इन सूचनाओं में है। आपकी याद ताजी कराने के लिये कदाचित् यह जरूरत होगी कि उन सूचनाओं को मैं आपके सामने पढ़ दूं। माननीय नरसिंह नारायण जी पांडेय ने अपनी सूचना में यह कहा है :—

> "विधान तथा उसकी समिति और सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं वे वही हैं जो प्रेसीडेंट, हाउस आफ कामंस, उसकी समितियों व सदस्यों के हैं।" अनुच्छेद १९४ (३), भारतीय संविधान। 'सदन के नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है।' नियम २८९ (२) (ख) के अन्तर्गत किसी ऐसे शख्स पर जो न्यायालय में विचाराधीन हों कोई माननीय सदस्य न विचार प्रकट करेगा, न उसकी आलोचना करेगा। किन्तु माननीय चन्द्रभानु गुप्त जो इस सदन के सदस्य हैं उन्होंने ४ मई, १९६२ को विधान सभा की बैठक में पुलिस अनुदान पर भाषण देते समय एक ऐसे मुकदमें पर अर्थात् इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज, मुल्ला के इस फैसले पर, जिसमें उन्होंने पुलिस दल के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं और जिसके विरुद्ध अपील राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में कर रखी है और जो अभी विचाराधीन है, उस पर विचार प्रकट किये तथा आलोचना की। इस प्रकार उन्होंने सदन के नियमों की अवहेलना की।"

यह माननीय नरसिंह नारायण जी का है और माननीय चन्द्रजीत जी यादव की भी इसी विषय के सम्बन्ध में सूचना है जो मुझे उसी दिन मिली थी। उसमें एक नयी बात है वह यह है कि "चूंकि मुख्य मन्त्री ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना करके भारतीय संविधान की धारा २११ का उल्लंघन किया है।" इसमें यह विशेष बात है उसके साथ-साथ वही २८९ (२) (ख) का उल्लेख इसमें भी है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—इसमें ५ कारण दिये हैं, एक ही बात नहीं है। इसमें यह है कि संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन किया है जो इस सदन ने निश्चित किये हैं और वह सब अपमान है इस हाउस का।

श्री अध्यक्ष—पहला अंश जो है वह २११ के सम्बन्ध में है, जो मैंने पढ़ा है। दूसरा वही है जो माननीय नरसिंह नारायण जी ने कहा है २८९ (२) (ख) से सम्बन्धित है। और ३, ४, ५ में उन परम्पराओं का विस्तार किया गया है जो इन धाराओं के कारण सदन में स्थापित हुई हैं। इसके अतिरिक्त कोई नयी बात नहीं है।

श्री चन्द्रजीत—इसमें ३, ४ और ५ में कुछ परम्पराओं का जिक्र है जिनकी अवहेलना भी की गयी है, यह कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—जो हमारी संसदीय परम्परायें हैं वह तो २८९ (२) (ख) व (च) के अनुरूप ही हैं कुछ आलोचना नहीं होगी, वह तो उसी के अनुरूप है मैंने जैसा कहा कि खंड ३, ४ व ५ जो आपकी सूचना में हैं वह उसी १ और २ के खंडों से कवर हो जाते हैं।

अब यह ४ मई को जो घटनायें हुई थीं उनसे तो माननीय सदस्य परिचित हैं और उस समय एक प्वाइंट आफ आर्डर माननीय दीपनारायण सिंह ने उठाया था। माननीय दीपनारायण सिंह ने जो प्रश्न उठाया था, वह भी मैं पढ़ दूं. . .

श्री चन्द्रजीत—प्वाइंट आफ आर्डर ! जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले माननीय मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के उस अंश को आप पढ़ दें क्योंकि बहुत से लोग उस समय सदन में नहीं थे और उसके बारे में पेपरों में जो छपा वह पूरी बातें उसमें नहीं थीं। इसलिये उसको भी आप पढ़ के सुना दें।

श्री अध्यक्ष—वह भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी उस समय कह रहे थे।

> "मैं मुल्ला जी के विचारों से, इस सदन के बाहर कई मौके आये हैं और जहां मुझे बोलने का अवसर मिला है, अपनी असहमति प्रकट कर चुका हूं। मैं माननीय मुल्ला जी का आदर करता हूं और वह मेरे पुराने मित्र हैं। आठ दस वर्ष तक मेरे क्लासफेलो रहे हैं। लेकिन जो विचार उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं कि वह विचार जिस ओहदे पर बैठकर उन्होंने व्यक्त किये हैं, उनकी आलोचना करने की धृष्टता तो मैं यहां नहीं कर सकता, मगर यह अवश्य कह सकता हूं कि वे विचार वास्तविकता से परे हैं और वे उस सन्तुलन से परे हैं जो इतने ऊंचे पद पर आसीन न्यायाधीश के विचार से सन्तुलित होने चाहिये। बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठकर एक जज का परम पुनीत कर्तव्य होता है कि अपने दृष्टिकोण को ज्यादा व्यापक बनाये और जब उस पैमाने से मैं उन विचारों को तौलता हूं और आंकता हूं तो मुझे कुछ कमी महसूस होती है। बहरहाल, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसके सम्बन्ध में उनके जो विचार हैं और जिसके विषय में उन्होंने इतनी बड़ी मीमांसा की है वह उस वास्तविकता से सम्बन्ध नहीं रखती जिस वास्तविकता के तहत में उत्तर प्रदेश की पुलिस आज चल रही है, कार्य कर रही है और अपने उत्तरदायित्व को निभा रही है।"

यह उन्होंने कहा था। तब माननीय दीपनारायण सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वह इस प्रकार है—

> "एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। क्या माननीय हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करने का अधिकार माननीय मुख्य मन्त्री को इस तरह से है और इससे क्या हमारी न्याय प्रणाली को धक्का नहीं लगता है और क्या यह मानहानि नहीं है न्यायाधीश महोदय की ?"

[श्री अध्यक्ष]

यह उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस पर मैंने यह कहा था कि ओबिटर डिक्टा के ऊपर अर्थात् जो प्वाइंट इन ईश्यू न हो, तो भी उस विषयान्तर विषय के संबंध में, जो ख्याल व्यक्त किये जाते हैं, उनके ऊपर यह कहा जा सकता है कि मैं उस ओबिटर डिक्टा से सहमत नहीं हूं। तो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया और उस वक्त मैंने एक व्यवस्था दी। इसके बाद फिर ५ तारीख को इसका कुछ उल्लेख हुआ .....

एक सदस्य--ओबिटर डिक्टा किसे कहते हैं?

श्री अध्यक्ष--जो विषय विचाराधीन न हो, जो विचारणीय विषय न हो, उस विचारणीय विषय पर अपना निर्णय देते हुए, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे विषय पर अपने विचारों को जो जज व्यक्त करता है, उसको ओबिटर डिक्टा कहते हैं।

५ तारीख को माननीय नेकराम शर्मा ने यह कहा कि 'श्रीमन्, सदन के उठने के पूर्व मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमान्, ने कल इस सदन में यह रूलिंग दी थी कि माननीय मुल्ला साहब ने जो जजमेंट दिया था वह ओबिटर डिक्टा था।' उस पर मैंने यह कहा कि मैं स्वयं उस पर अन्वेषण कर रहा हूं और अगर मेरी गलती होगी, तो मैं सदन को बतला दूंगा। जब मैंने इस संबंध में अपना निश्चय दे दिया था, अपनी रूलिंग के बाद भी मेरे सामने एक गंभीर प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि क्या ओबिटर डिक्टा होते हुये भी मैं यह रूलिंग दे सकता हूं या नहीं और वह अनुच्छेद २११ और नियम २८९ (२) (ख) के अन्दर आ जाता है या नहीं। मुझे इस बात में उलझन थी इस वजह से मैंने उसी दिन निवेदन किया कि मैं स्वयं इस पर अन्वेषण कर रहा हूं और अगर मेरी गलती होगी तो मैं सदन को बतला दूंगा। उसके बाद उसी दिन नेकराम जी ने फिर कहा कि सेकेंड डिसीजन के मातहत हाईकोर्ट के जजमेंट के विषय में यहां पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता और यदि वह नहीं हो सकता, तो वह कार्यवाही से....। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं इस विषय में अध्ययन कर रहा हूं और अध्ययन करने के बाद, अगर मैं देखूंगा कि मेरा निर्णय गलत है तो उसको इस सदन में निवेदन कर दूंगा। तो यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की बात ५ तारीख को सायंकाल के समय आई। उसके पश्चात् श्री चन्द्रजीत जी यादव ने कहा कि वह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मुख्य मंत्री जी ने सब-जुडिस केस के संबंध में कहा है, तो मैं इस समय विशेषाधिकार के प्रश्न को लाने का नोटिस देता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--मैंने उस दिन यह भी कहा था कि सेकिंड जजमेंट में उन्होंने कहा है कि वह ओबिटर डिक्टा नहीं था।

श्री अध्यक्ष--जो है, वह मैंने पढ़ा। तो उसके बाद मैंने चन्द्रजीत जी यादव से कहा कि मैंने उस जजमेंट को मंगाया है और उसका अध्ययन करने के बाद, मैं अपना विचार निश्चित करूंगा। जब आपने कहा कि आप विशेषाधिकार का प्रश्न लाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि मैं स्वयं पढ़ रहा हूं, और मैंने जजमेंट मंगाया है और उसके बाद मैं अपने विचार निश्चित करूंगा।

जब यह सूचना आदरणीय सदन के समक्ष रखी तो इस सूचना को पढ़ने के बाद फिर मैंने सदन से निवेदन किया था, जैसा कि मैंने परसों सदन के समक्ष निवेदन किया था, कि मैं स्वयं इन फैसलों को मंगा रहा हूं जिन फैसलों में जस्टिस मुल्ला ने अपने विचार पुलिस के संबंध में प्रकट किये हैं। वह अभी मुझे मिला नहीं है। आजकल में मिल जायगा। इसके अलावा मुझे वह अंश भी माननीय मुख्य मंत्री के भाषण का देखना है कि उन्होंने किन शब्दों में इस संबंध में अपने भाषण में उल्लेख किया है। अगर मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं, तो इन दोनों सूरतों को मुझे इस आदरणीय सदन को अवगत कराना है। तो उन दोनों बातों को मैं बाद में लूंगा। अब माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि निर्णय देने के पहले विशेषाधिकार के प्रश्न पर, उन्हें सुन

लिया जाय । मैं यह भी आदरणीय सदन को बतला दूं कि मैंने जस्टिस मुल्ला का निर्णय देखा । मैंने यह भी देखा कि उन निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी है । सुप्रीम कोर्ट में जो प्रश्न है वह स्पष्ट रूप से यह है कि आया मुल्ला साहब ने जो विचार अपने व्यक्त किये हैं जजमेंट में, वे आबिक्टर डिक्टा हैं या नहीं, यह भी प्रश्न है कि आबिटर डिक्टा होते हुए भी उनको रखना चाहिये या नहीं रखना चाहिये । यह भी अपील में लिखा गया है कि जो कुछ उन्होंने अपने निर्णय में लिखा है उसके लिये कोई काफी साक्षी नहीं थी । यह सब बातें सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं और मामला जैसा चन्द्रजीत जी ने कहा, सबजुडिस है । अब प्रश्न यह है कि अगर एक विषय किसी न्यायालय के विचाराधीन है और उसकी चर्चा हो जाती है तो उससे कोई प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न उठता है या कोई विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है । हमारा नियम २८९ (२) (ख) बहुत स्पष्ट है कि किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन है, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा । तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि अगर कोई इस नियम को भंग करता है तो यह प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न होगा अथवा विशेषाधिकार का प्रश्न होगा, उसके उल्लंघन का यह प्रश्न हमारे सामने है और पहले मैं माननीय चन्द्रजीत जी से कहूंगा कि वे अपने विचार इस संबंध में प्रकट कर दें ।

*श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस सबजुडिस केस पर अपने विचार सदन में प्रकट किये वह प्वाइंट आफ आर्डर का विषय है अथवा विशेषाधिकार का और मैं अपने को इसी प्रश्न तक सीमित रखूंगा । श्रीमन्, मेरा निश्चित मत है कि मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार न्यायालय के एक न्यायाधीश के फैसले का यहां जिक्र किया, जिक्र ही नहीं बल्कि उसकी आलोचना की और ऐसा करके उन्होंने उस कार्य को अपने जिम्मे ले लिया जिस कार्य का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है । चूंकि वह विषय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और मुल्ला जी ने जो कुछ कहा, सरकार के सारे प्रयत्नों के बावजूद कि वे आब्जरवेशन्स निकाल दिये जायं, उस न्यायालय के न्यायाधीश ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर गयी हुई है । तो उचित था कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो प्रदेशीय कार्यकारिणी के प्रमुख हैं, जो इस बात को जानते हैं कि उनकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर ली है, ऐसी बात को न कहते । उन्होंने खुद ऐसी राय देकर विशेषाधिकार की अवहेलना की है और अनुपयुक्त ढंग से अवहेलना की है । उसका उन्होंने गलत रूप प्रयोग किया है । हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८९ (ख) में यह स्पष्ट कहा गया है कि "किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा ।" हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है ।

अब श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जब उन्होंने इस नियम को तोड़ा है तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है या नहीं ? यह वह प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न बनता है । हमारे यहां इसी सदन में भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि रूल्स की पाबन्दी न करने तथा उनको तोड़ने से भी ब्रीच आफ प्रिविलेज समझा जायेगा और इसी प्वाइंट पर मैं मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के पेज १११ (एडीशन १६) के एक अंश को पढ़ देना चाहता हूं—

"Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजी]

from doing a particular act, or contravention of any rules of either House, is a contempt of that House."

इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अपने नियमों के तोड़न से कन्टेम्प्ट आफ दि हाउस होगा ।

इसके अलावा श्रीमन्, हमारे संविधान में भी इस बात की व्यवस्था है कि जुडीशियरी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाय। अपना काम करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिये । संविधान के अनुच्छेद २११ में स्पष्ट यह लिखा है कि---

"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties."

अब प्रश्न यह है कि जिस माननीय जज की आलोचना की गयी है क्या उससे उनके कान्डक्ट की आलोचना हुई है या नहीं ? अब आप देखें कि उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा था। मैं उसका केवल एक सेन्टेन्स पढ़ देना चाहता हूं ।"....के विचार वास्तविकता से परे हैं और वे उस सन्तुलन से परे हैं जो इतने ऊंचे पद पर आसीन न्यायाधीश के विचार से संतुलित होने चाहिये .....।" यही नहीं, आगे कहा है ....,

श्री अध्यक्ष---मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि वह प्वाइंट आफ आर्डर था या ब्रीच आफ प्रिविलेज। मेरा निवेदन यह है कि चाहे नरम और चाहे उग्र जैसी भी आलोचना की जावे वह तो २११ के अन्दर आ जायगा । तो शब्दों की विशेषता कुछ नहीं है । वह तो यह है कि आलोचना हुई है तो २११ के अन्दर आ जाता है ।

श्री चन्द्रजीत---अगर आप समझते हैं कि आलोचना की गयी है, लेकिन मैं चाहता था कि आलोचना के पीछे उसके करने वाले का इन्टेंशन क्या है, उसे बताऊं । अगर इन्टेंशन है कि आलोचना करना चाहता है और जजमेंट का क्रिटिसिज्म करता है तो आप इसको देखेंगे और अगर आप होल्ड करते हैं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो फिर यह होगा कि सजा दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष---वह प्रश्न तो बाद की बात है । वह तो उस समय आयेगा जब हम यह निर्णय करें कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो उसके पनिशमेंट के लिये क्या ऐक्शन लिया जाय, उसकी गंभीरता के सम्बन्ध में प्रश्न उठेगा। इस समय हमें यह देखना है कि ब्रीच आफ आर्डर और ब्रीच आफ दि रूल्स सिर्फ प्वाइंट आफ आर्डर है या यह ब्रीच आफ दि प्रिविलेज भी हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत---मैं वही कह रहा था कि मंत्री जी ने संविधान की मंशा या व्यवस्था जो उसके प्रावीजन की है उसको तोड़ा । जब हम सदस्य होते हैं तो वे संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे । तो जब संविधान के किसी भी अंश का हनन होता है या उसको तोड़ते हैं तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट होती है और वह सदन की भी कंटेम्प्ट होती है। तो यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से ब्रीच आफ प्रिविलेज है और इससे पूरे सदन की मर्यादा पर ठेस पहुंचती है । यदि सदस्य निरंकुश होकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की आलोचना कर सकते हैं तो जुडीशियरी में डिमारेलाइजेशन हो जायगा और मुल्क में डेमोक्रेसी सुचारुरूप से काम नहीं कर सकती । इन सब बातों से स्पष्ट है कि यह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस है, क्योंकि यह प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—एक निवेदन मेरा यह है कि जो माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा है उसको फिर न दोहरायें, उसके अतिरिक्त कहें । श्री नरसिंह नारायण ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया गया है इसको उपस्थित करते समय हमें क्लेश और दुःख हो रहा है । श्रीमन्, ४ तारीख को "उच्छृंखल" शब्द का प्रयोग किया गया था जिसको लेकर हमारे सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को और सदस्यों को सदन त्यागना पड़ा था ।

श्री अध्यक्ष—आप इसी पर बोलें ।

श्री नरसिंहनारायण—मैं वही कह रहा हूं कि हमने उस रोज उपस्थित न करके दूसरे दिन क्यों किया । हमारे वही अधिकार हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामंस के समिति तथा सदस्यों के अधिकार हैं, उसी से सम्बन्धित वह धारा है । मैं आपकी आज्ञा से भारतीय संविधान की धारा १९४ (३) पढ़ देना चाहता हूं :

"In other respects, the powers, privileges and imunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and until so defined shall be those of the House of Commons of Parliament of the United Kingdom."

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हाउस आफ कामन्स का यह प्रोसीजर है कि वहां पर जो "ब्रीच आफ आर्डर" होता है उसी को माना जाता है, "प्रिविलेज आफ दि हाउस" । हमारी प्रक्रिया नियमावली की धाराओं के अनुसार, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, धारा २८९ (२) (ख) के अन्तर्गत ऐसे तथ्य पर जो न्यायालय के विचाराधीन हो उस पर कोई माननीय सदस्य विचार प्रकट नहीं करेगा और न आलोचना करेगा । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का मूल प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री ने जो पुलिस अनुदान पर भाषण दिया उसको आपने पढ़ कर सुनाया है । वह भाषण इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने इस सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न इस माननीय सदन के सम्मुख उपस्थित कर दिया है । परन्तु क्या मैं आप से अर्ज करूं कि हमारे माननीय नेता सदन ने क्या इसी सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

श्री अध्यक्ष—यह विषय नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण—मैं स्पेसिफिक केस रेफर कर रहा हूं । १९३९ की ए० आई० आर० किताब में लिखा हुआ है कि माननीय नेता सदन ने चीफ कोर्ट में कन्टेम्पट (मानहानि) किया और एक महीने की सजा हुई है । और आज इस सदन में कन्टेम्प्ट (मानहानि) करते हैं, विशेषाधिकार की अवहेलना करते हैं । ये बार-बार करते चले जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, इस समय केवल प्रश्न यह है कि यह प्वाइंट आफ आर्डर है या ब्रीच आफ प्रिविलेज ।

श्री नरसिंहनारायण—यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

श्री अध्यक्ष—अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज मान लिया जाय और उसके पश्चात् क्या कार्यवाही हो, यह प्रश्न हो तब आप यह बातें कह सकते हैं । इस समय तो आप केवल इस बात पर अपने को सीमित रखें कि यह प्वाइंट आफ आर्डर है या ब्रीच आफ प्रिविलेज ।

श्री नरसिंहनारायण—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैंने अर्ज किया कि जिस दिन प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया उस दिन मैं सदन में मौजूद नहीं था । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख पेश किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, प्रक्रिया नियमावली का अपहरण है इसलिये इनको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न सदन के सामने रखा वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री का उस दिन का भाषण प्वाइंट आफ आर्डर है या ब्रीच आफ प्रिविलेज । श्रीमन्, दोनों में बड़ा फाइन डिस्टिंक्शन है । मैं जहां तक समझ पाया हूं—

"The point of order relates to the business and conduct of the House but which does not have any effect outside the House."

जिसके बारे में बाहर असर न पड़ता हो । इस सदन में जो भी कुछ होता है उसके बारे में यहां के नियमों में व्यवस्था की गयी है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण से खासतौर से केवल दो शब्द पढ़ देना चाहता हूं :—

"ये विचार वास्तविकता से परे हैं और वह उस संतुलन से परे हैं जो इतने ऊंचे पद पर आसीन न्यायाधीश के विचारों से संतुलित होने चाहिये ।" श्रीमन्, इसका अर्थ क्या है ? इससे जुडीशियल कांडक्ट के बारे में इशारा किया गया है । अगर इन शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के बाहर करते तो जस्टिस मुल्ला अथवा कोई भी अन्य उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकता था लेकिन आज उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग इस सदन में किया जो कि एक प्रिविलेज्ड जगह है और आर्टिकिल २११ कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया के अनुसार एक प्रिविलेज्ड प्लेस है । यहां पर जिसके कान्डक्ट के विरुद्ध यह रिफ्लेक्शन किया गया है वह भी कोई रेमेडी नहीं कर सकता है । यदि इन शब्दों का प्रयोग इस सदन के बाहर किया गया होता तो उनके विरुद्ध लीगल रेमेडी की जा सकती थी । अतः इस प्रिविलेज्ड फ्लोर का लाभ उठाकर, यह मैं नहीं कहता कि ज्ञान में अथवा अज्ञान में, मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा है जिससे बाहर भी वातावरण भीषण बन गया है और उन्होंने एक ऐसी पर्सनेलिटी पर आक्षेप किया है जिसके विरुद्ध ऐसा कहने से डिफेमेशन का केस बन जाता है । इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी का जो कदम है उससे यह क्लीअरली साबित होता है कि यह प्वाइंट आफ आर्डर हो ही नहीं सकता । क्योंकि इस विषय का संबंध यहां की व्यवस्था अथवा यहां के किसी व्यवहार से ही नहीं है, उसका असर यहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि इसका असर बाहर भी पड़ेगा । जिस कंटेक्सट में यह बात कही गयी है और जिस व्यक्ति के बारे में कही गयी है उसको अपने विषय में कहने का कोई उपाय नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर इसको इस दृष्टि से देखा जाय तो यह चीज वास्तविक रूप से एक प्रिविलेज की चीज है । दूसरे यह प्वाइंट आफ आर्डर की चीज नहीं हो सकती ।

उदाहरण के लिये मैं बतलाऊं, मान लीजिये मैं बोल रहा हूं और कोई माननीय सदस्य खड़े हो जायं । साधारण नियम तो यह है कि एक माननीय सदस्य के बोलते हुए कोई दूसरा माननीय सदस्य खड़ा नहीं हो सकता, उसको इंटरफियर नहीं कर सकता लेकिन वे खड़े होकर यह कह सकते हैं कि उनका एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है और बोलने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का उल्लंघन किया है । वह उचित है । लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसमें तो ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिये कही गयी है जिसको उनके खिलाफ कोई लीगल रेमेडी का अधिकार नहीं है । उसमें उसके मानापमान का प्रश्न निहित है । इस प्रकार से अपनी स्थिति का और सदन के प्रिविलेज का अनुचित लाभ उठाया गया है । इन दोनों दृष्टियों से ग्रेविटी आफ क्राइम और बढ़ जाती है । इसलिये यह प्रश्न प्वाइन्ट आफ आर्डर में नहीं बल्कि प्रिविलेज में आता है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार क दो प्रश्न इस सदन के सम्मुख और आपके सामने प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें दो अलाहिदा-अलाहिदा प्रश्न हैं और ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे से मिलाकर उठाया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ४ मई को कुछ कहा और उस पर शिकायतकर्त्ताओं की शिकायत यह है कि उन्होंने किसी पेंडिंग मुकदमे के बारे में क्यों जिक्र कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने २८९ के बाई लाज (२) का उल्लंघन किया है। उसी के बीच-बीच में आर्टिकल २११ आफ दि कान्स्टीट्यूशन भी पढ़ कर सुना दिया गया। लेकिन ये दोनों अलाहिदा-अलाहिदा चीजें हैं। इसलिये विचार करने के लिये उसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिये। एक तो यह कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसके मुताल्लिक माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ जिक्र किया है। हर एक निर्णय के लिये आपको देखना पड़ेगा उस कानून की किताब में जिसके द्वारा आपको यह शक्ति प्राप्त हो रही है और माननीय सदन को यह शक्ति प्राप्त हो रही है कि इस पर निर्णय लिया जाय। उसमें लिखा हुआ है—

"289 (2) (ii) Express any opinion or make any comment on any matter of fact on which a judicial decision is pending."

इसलिये इसका उल्लंघन तो इस आधार पर नहीं है कि यह कोई मैटर आफ फैक्ट नहीं था। इसकी शुरुआत तो आपोजिशन के मेम्बरों ने ही की। पुलिस संबंधी जस्टिस मुल्ला के जजमेंन्ट को बार-बार पढ़ कर सुनाया गया। अगर किसी पेंडिंग या सबजुडिस मैटर का रेफरेंस न होना चाहिये, तो उसकी तारीफ भी गलत है और उसकी बुराई भी गलत है। जब उसकी तारीफ की जायगी तो लाजिमी है कि उसके जबाब में कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। अगर उस दिन की प्रोसीडिंग्स को निकाल कर देखा जाय तो सुबह से शाम के ४ बजे तक यही सारी बातें कही जाती रहीं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, माननीय सदस्य दो बातों को एक में मिला रहे हैं, यह बहस क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष—मैंने प्रश्न यह रखा है कि आया यह प्वाइंट आफ आर्डर है या प्वाइंन्ट आफ ब्रीच आफ प्रीविलेज है। उनका कहना है कि यह ब्रीच आफ प्रीविलेज नहीं है, उस आर्गुमेन्ट को वे डेवलप कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह ब्रीच आफ आर्डर है।

श्री बृजभूषण शरण—जैसा अभी दूबे जी ने कहा अगर इस तरीके से निर्णय लिया जाने लगेगा तो एक सदस्य बोल रहे हैं और दूसरे सदस्य बोलने लगते हैं, दस-दस आदमी एक साथ शोर मचाने लगते हैं, यह सब ब्रीच आफ प्रीविलेज हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि जब आप कोई निर्णय दे रहे हों तो उस बीच में किसी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये, बीच में बोलना नहीं चाहिये क्योंकि उसका असर सदन के बाहर भी पड़ता है कि हम लोग कैसी अनुशासनहीनता से सदन की कार्यवाही करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री की एकबात को लेकर बहस नहीं होनी चाहिये। अगर कोई मैटर सब जुडिस है तो आप उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा फैसला किया गया है। इससे दूसरी अदालत प्रिजुडिस हो सकती है जिसको अभी इसके ऊपर निर्णय देना है। ऐसी हालत में उस नियम की अवहेलना किसी को नहीं करनी चाहिये। फिर जिस रूल को आपने अभी रेफर किया उसमें लिखा है, "मैटर आफ फैक्ट" तो यह कोई मैटर आफ फैक्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस खराब है या नहीं, यह तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है उस रिमार्क के खिलाफ जो यहां की पुलिस के संबंध में है और उस रिमार्क को एक्सपंज करने की बात है। कोई मैटर आफ फैक्ट पेंडिंग नहीं है, जिसको स्पीच में नहीं कहा जा सकता।

[श्री बृजभूषणशरण]

एक बात आर्टिकिल २११ में है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी कोर्ट के जज के कांडक्ट को कहीं डिस्कस नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, जो प्रश्न यहां उपस्थित है, वह बहुत महत्व का है और इसके लिये रूल ३०० के एक-एक लफ्ज को पढ़ कर देखना पड़ेगा ।

"300. *Points of Order and Decisions thereon*—(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the congnizance of the Speaker.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment."

तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसका हिन्दुस्तानी में यह माने है कि अगर किसी कांस्टीट्यूशन या किसी रूल के इन्टरप्रिटेशन या उसका एन्फोर्समेन्ट से संबंध मालूम होगा या संविधान के किसी आर्टिकल से संबंध मालूम होगा कि जो हाउस के बिजनेस को रेगुलेट करता होगा तो उस पर प्वाइन्ट आफ आर्डर उठेगा, यह तो एक एनेबलिंग सेक्शन है । उसके द्वारा उसका इन्टरप्रिटेशन या एनफोर्समेन्ट होगा और इस तरह से यह प्वाइन्ट आफ आर्डर की बात है । मैं सदन का अधिक समय खराब नहीं करूंगा । तो स्पीकर ने तो अपना फैसला दे दिया कि इस तरह से कोई अवहेलना नहीं होती और स्पीकर का जो फैसला है वह फाइनल है और उसको चैलेन्ज करके नया सवाल उठाने के बारे में, मैं निवेदन करूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है या सदन में व्यवस्था को कायम करने का लेकिन उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी की या शिकायत करने वाले सज्जन की क्या भावनायें रहीं हों इसका प्रश्न नहीं है, महज रूल ३०० पर फैसला होना चाहिये । इसमें कोई भाषा, इन्टरप्रिटेशन या एम्बीग्यूटी का सवाल नहीं है, बिलकुल साफ चीज है कि हाउस में प्वाइन्ट आफ आर्डर होगा, वह रेज किया जा चुका, उसका फैसला हो चुका । वह फैसला फाइनल है ।

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो २ प्रार्थना-पत्र विशेषाधिकार की अवहेलना के पेश किये गये हैं उन दोनों में यह कहा गया है कि नियम २८९ (२) की अवहेलना की गई है। जैसा कि आपके सामने अभी बयान किया गया कि कोई वाकयाती मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है । मैं उसी नियम २८९ के मुताल्लिक संक्षिप्त वादविवाद करना चाहता हूं क्योंकि अगर कोई लम्बी स्पीच दी जाय तो इस नियम की अवहेलना हो जायगी और विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे खिलाफ भी खड़ा हो जायगा। मैं केवल आप का ध्यान जस्टिस मुल्ला के उन पैसेजेज की तरफ दिलाऊंगा जिस में उन्होंने स्वयं कहा है कि यह मेरे रिमार्क्स आबिटर डिक्टा हैं । उन्होंने कहा है कि . . . . . मैं अंग्रेजी में ही पढ़े देता हूं राजा साहब समझ ही लेंगे ।

"The learned Assistant Government Advocate advanced only one contention before me. He contended that the remarks sought to be expunged were not on a justiciable issue but were obiter dicta and so the observations made above do not apply to this case. In my opinion that distinction cannot be drawn. Since the time the Courts of Law have started giving decisions obiter dicta has found a place in decisions. As a matter of fact the obiter dicta brings in relief the dicta contained in the decisions. Every obiter dicta cannot be expunged. Only that obiter dicta which amounts to an over—statement or which does not form part of the "Ratio Decidendi' of the decision and its deletion is also necessary in the interests of justice, can be expunged."

उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि यह दोनों बातें नहीं लगती हैं इसलिये मैं इन दोनों आबिटर डिक्टा को डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि अगर ऐसा किया जायगा तो जजेज डिमारेलाइज हो जायंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे उन्होंने कहा है कि सभी पुलिस बेईमान नहीं है उसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं और कहा कि गवर्नमेन्ट को कोई हक नहीं है ।....

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---मेरा, अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं । प्रश्न तो केवल यह है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर है या ब्रीच आफ प्रिविलेज है । इसके पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष---जरा दो मिनट उनकी बात तो सुन लीजिये ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---तो उन्होंने फिर यह कहा अगर मैंने पुलिस के खिलाफ कहा तो ऐग्रीव्ड पार्टी पुलिस है न कि सरकार । और सरकार की यह गलतफहमी है कि सरकार यह नहीं समझती कि जुडीशियरी भी एक पार्ट आफ दी गवर्नमेन्ट है।

श्री नरसिंहनारायण---आप डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट्स को या प्वाइन्ट आफ आर्डर और ब्रीच आफ प्रिविलेज का जवाब दे रहे हैं ? आप तो डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट्स को । यह प्वाइन्ट आफ आर्डर या प्वाइन्ट आफ प्रिविलेज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी ने जो कहा उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं । वह केवल यह बता रहे हैं कि जस्टिस मुल्ला ने क्या कहा । माननीय मंत्री जी, आप जरा संक्षेप में कह दें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जस्टिस मुल्ला ने यह कहा कि सरकार का कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है जो रिमार्क को रिमूव करावे । यह सब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अब जो केस था जिसमें यह था कि एक शख्स पर असाल्ट किया गया, वह मरा नहीं और इतने मुल्जिम छोड़ दिये गये, रिपोर्ट झूंठी लिखी गई, यह क्वेश्चन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है नहीं । केवल प्रश्न यह है कि सरकार को उन रिमार्क्स को ऐक्सपंज कराने का अधिकार था कि नहीं ?

तो मैं कह रहा था कि नियम २८९ (२) (ख) की अवहेलना नहीं हुई । अगर अवहेलना नहीं हुई है तो मैं अर्ज करूंगा, न तो प्वाइन्ट आफ आर्डर है और न ब्रीच आफ प्रिवलेज है। यह दोनों चीज नहीं है ।

अब आप देखें कि जो आर्टिकिल १९४ है जिसके ऊपर हमारे कम्प्लेनेन्ट ने अपना आर्गुमेन्ट निर्भर किया है....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---'कमप्लेनेन्ट' शब्द श्रीमन्, अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---रूल्स में कम्प्लेन्ट शब्द लिखा हुआ है उसी से मैंने 'कमप्लेनेन्ट' शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आपको एतराज है तो मैं प्रार्थी कहे देता हूं । आर्टिकिल १९४ में लिखा हुआ है ।

"194. (1) Subjeet to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State."

इसी आर्टिकिल में लिखा हुआ है फ्रीडम आफ स्पीच हर मेम्बर को है और वह फ्रीडम आफ स्पीच अगर कर्टेल्ड है तो रूल्स आफ प्रोसीजर जो हमने बना रखे हैं उनसे है। जो हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर है उनमें यह है कि हम कोई सब जुडिस मैटर के ऊपर बातचीत न करें, जो मैटर आफ फैक्ट जब जुडिस है । हमारे नियम २८९ (२) (ख) में दिया हुआ है" किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा" तो जो स्पीच हाउस में दी जाय वह अगर नियम २८९ (२) (ख) के अन्दर न आवे तो वह किसी तरह विशेषाधिकार का प्रश्न या प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता ।

श्री नरसिंहनारायण—एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो आप इनको लेक्चर देने के लिये समय दे रहे हैं। मैं कहने के लिये खड़ा हुआ तो आपने मुझे बैठा दिया।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि २८९ के खण्ड २ के उपखण्ड (ख) में आवश्यकता इस बात की है कि विषय किसी न्यायालय के विचाराधीन हो। आपका कहना यह है कि अगर हम उन निर्णयों को देखें कि यह विषय विचाराधीन नहीं है। इसी कारण से २८९ का खण्ड २ का उपखण्ड (ख) लागू नहीं होता।

श्री नरसिंहनारायण—मैं सफाई देता हूं। २३ अक्तूबर को जस्टिस मुल्ला का फैसला हुआ है। मैं अब उसी अपील के बारे में बात करूं या दूसरी अपील के बारे में . . . .

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मैं आपके माध्यम से यह कानूनी प्वाइन्ट आपकी व्यवस्था के लिये उठाना चाहता हूं। ५६१ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत किसी जज का कोई रिमार्क हो उसको एक्सपंज करवाने का अधिकार है। इस अधिकार को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नमेन्ट सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव में अपील लेकर गयी है तो क्या उस अपील के टुकड़े-टुकड़े हो जायंगे, क्या अपीलें पार्ट हो कर अलग-अलग जायंगी ?

श्री अध्यक्ष—हम एक बड़े गंभीर विषय पर विचार कर रहे हैं जैसा कि माननीय दुबे जी ने कहा, एक विषय है जिसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये। गम्भीरता से सोचने से मतलब यह है कि आपका कोई विचार है और उनका कोई विचार है। दोनों विचारों को समझ कर मुझे एक निर्णय देना है। आप अगर प्रतिपक्षी को अपने विचार प्रकट नहीं करने देंगे तो कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। एक पक्ष दूसरे पक्ष को सुन तो लें, कम से कम मुझे सुनने दें, क्योंकि निर्णय मुझे करना है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—आर्टिकिल १९४ में आप देखेंगे, इसमें लिखा है:—

"Powers of the Houses of Legislature and the members. Powers and privileges."

तो जब हम यहां विचार कर रहे हैं तो किस प्रिविलेज पर विचार कर रहे हैं। ब्रीच आफ प्रिविलेज पर अगर विचार कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि कौन-सा प्रिविलेज है जिसका ब्रीच हुआ। जब तक प्रिविलेज न हो तब तक ब्रीच कैसा ? फिर प्रिविलेज हाउस का हो सकता है या किसी मेम्बर का हो सकता है। हमारे जस्टिल मुल्ला के प्रिविलेज का ब्रीच है तो उस ब्रीच आफ प्रिविलेज के जरिये से उसके ब्रीच करने वाले को सजा नहीं दी जा सकती। हमारे जस्टिस मुल्ला यह कर सकते हैं कि डिफेमेशन का सूट फाइल करें और अगर ऐसा कर सकते तो डिफेमेशन का सूट फाइल कर देते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं ? मैं प्रश्न करता हूं। आप बैठ जाइये।

इधर का कहना है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दी हाउस है। ब्रीच आफ दी प्रिविलेज आफ दी हाउस के मुताल्लिक आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि हमारे हाउस की प्रोसीडिंग्स एक विशेष रूप से चलती हैं। अगर आप उस हाउस की प्रोसीडिंग में एसा तरीका अख्तियार करें जिससे नियमों का अतिक्रमण हो तो क्या उस हालत में ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दी हाउस है। दूसरी बात यह कहते हैं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दी हाउस इस वजह से है कि यहां जिस तरह से हम बहस करें, अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करें या जो बातें कहें, उसका प्रभाव इस सदन के बाहर पड़ता है। ये दो बातें हैं, इनको आप स्पष्ट कर दें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यह विषय है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दी हाउस है या नहीं। तो प्रिविलेज आफ दी हाउस क्या है ? एक तो अधिकार है और अधिकार के बाद एक विशेषाधिकार है। तो विशेष अधिकार हाउस के क्या हैं। अधिकार तो वे हैं जो कानून द्वारा मिले हैं। विशेष अधिकार इस हाउस के क्या हैं। वह यह है कि जो इसके रूल्स और रेगुलेशन्स हैं वह माने और अगर नहीं मानते तो विशेषाधिकार की अवहेलना होती है। आप देखेंगे कि जो मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का हवाला दिया गया, उसमें लिखा है:--

"Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular indvidual to do or abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House is a contempt of that House."

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--आप तो बहस करना चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं। आप उनकी बात सुन लीजिये। बहस तो माननीय दुबे जी कर चुके हैं, चन्द्रजीत यादव जी ने की है और इसका उद्धरण पढ़ कर सुनाया है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--इस सदन का आदेश, श्रीमान् के द्वारा होता है। सदन तो एक कलेक्टिव बाडी है, वह अपने से तो कोई आदेश दे नहीं सकता। यदि आप उस दिन यह व्यवस्था देते कि माननीय गुप्ता जी का जिक्र करना नामुनासिब है या ओबिटर डिक्टा नहीं है और उसके बाद भी गुप्ता जी कहते चले जाते तो यह होता कि सदन के आदेश की अवहेलना की। जब यह प्रश्न उठाया गया, गुप्ता जी बैठ गये। आपने एक व्यवस्था दी। उसके बाद उन्होंने जिन शब्दों में यह कहा है वह भी विचार करने योग्य है। मुख्य मंत्री जी ने कहा--

"मुझे दुख है कि मेरे इन विचारों पर आपत्ति उठायी गयी। जहां तक माननीय आनन्द-नारायण मुल्ला के विचारों का संबंध है, क्योंकि कुछ सदस्यों ने इन विचारों को यहां रखा इसलिये मैंने अपना परम और पुनीत कर्त्तव्य समझा कि मैं भी अपने विचार उन विचारों के संबंध में रख दूं वरना मैं उन्हें व्यक्त नहीं करता।"

तो इस कांटेक्स्ट में यह विचार रखे गये। और जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि यह अवहेलना होती है अगर किसी सब-जुडिस मैटर की तारीफ भी की जाय, क्योंकि दफा २८६ (२) में लिखा है कि उसका जिक्र भी नहीं होगा, यही नहीं कि उसको डिनाउन्स नहीं करेंगे। तो, आप देखें कि कहां विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। अगर हमने सदन के किसी आदेश की, उसके किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया तो किसी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई और जस्टिस मुल्ला के विशेषाधिकार को हमें यहां विचार नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष--यहां जितनी बातें कही गई हैं और मैं अधिक आवश्यकता नहीं समझता हूं....

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--अध्यक्ष महोदय, मैं नियमावली के नियम २८६ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि....

श्री दीपनारायणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--माननीय दीपनारायण सिंह जी, आप बैठ जाइये।

[श्री अध्यक्ष]

ब्रीच आफ प्रिविलेज के सम्बन्ध में ऐसा है कि अध्यक्ष जिसको उचित समझे और जिससे उचित समझे उस सम्बन्ध में विचार सुन ले, लेकिन इस सम्बन्ध में डिबेट नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि इस आदरणीय सदन के बहुत से माननीय सदस्य हैं जो इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो विचार इस समय अभी तक माननीय दुबे जी, चन्द्रजीत जी तथा नरसिंह नारायण जी ने प्रस्तुत किये हैं और इधर से भी दो महानुभावों ने अपने विचार प्रगट किये हैं, वह मेरे लिये पर्याप्त हैं। अब मैं यह चाहता हूं कि आप इस विषय को मेरे ऊपर छोड़ दें ताकि मैं इस सम्बन्ध में अपना मत स्थिर कर सकूं।

श्री दीपनारायणसिंह--अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--माननीय दीपनारायणसिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं और इस समय ब्रीच आफ प्रिविलेज के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यह मामला इतना गम्भीर है और श्रीमन्, इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध हाउस के कंटेम्प्ट का सवाल है और श्रीवास्तव साहब ने जो बहस की, उसमें घुमा-फिरा कर आपको भी इंवाल्व किया। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ा-सा लोगों को कहने का अवसर आप दीजिये। आपको सदैव अधिकार है कि आप रूलिंग दें। आपके रूलिंग को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। यह आप कर दें कि लम्बा-चौड़ा भाषण कोई न दे बल्कि जो कुछ कहना हो वह ब्रीफ में कह दें। लेकिन लोगों को कहने का अवसर दें और इस आदरणीय सदन की परम्परा और परिपाटी रही है कि जब ऐसे प्रश्न आये हैं तो दिन-दिन भर सदन उन पर विचार करता रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पर विचार करें तो बहुत सी बातें साफ हो जायंगी।

श्री अध्यक्ष--मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर शान्तिपूर्वक विचार हो। जिस तरह से माननीय दीपनारायण सिंह जी बार-बार खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं वह ठीक नहीं है। देखिये, जो माननीय सदस्य इधर बैठे हैं वे बहुमत में हैं और उनकी शोभा यह है कि वे गम्भीर रहें, उनकी शोभा इसी में है कि वे जरा सहिष्णु रहें। अल्पमत इसमें मजबूर है और वह अपनी बात एक प्रदर्शन से, लोगों की नाराजी से रखे तो आपको सहिष्णु होना चाहिये, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। मेरी आप से प्रार्थना है।

(श्री जे० पी० मिश्र के खड़े होने पर और विरोधी दल की ओर से डेस्क पीटे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष -- आप बैठ जाइये।

(श्री जे० पी० मिश्र के बैठ जाने पर)

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर तथा बहुमत पक्ष की ओर से डेस्क पीटे जाने पर।)

आप बैठ जाइये।

(श्री दीपनारायणसिंह के बैठ जाने पर)

अब मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जिस तरह से माननीय दीपनारायणसिंह बारबार खड़े होकर और यह न समझ करके कि व्यवस्था किसको कहते

हैं कानूनी बहस करने लगते हैं। अगर वह ऐसा न करें तो हमारे सदन की कार्यवाही बड़ी शान्ति के साथ चल सकती है, लेकिन अगर कानूनी मसलों पर खड़े होकर इस तरह से बहसें होंगी तो मैं समझता हूं कि इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः मैं माननीय दीपनारायण सिंह से कहूंगा कि जब तक मैं उनका नाम न पुकारूं वह न बोलें और अगर वह बोलेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि ऐसी कार्यवाही करूं जो मुझे स्वयं रुचिकर नहीं है, अपनी रुचि और हृदय के विश्वासों के प्रतिकूल मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप, जब मैं आपको बुलाऊं, तभी कुछ कहें।

श्री चन्द्रजीत--श्रीमन्, आपने अपनी व्यवस्था के बीच में एक बात कह दी और उससे एक माननीय सदस्य पर आक्षेप होता है। वह यह है कि माननीय दीपनारायणसिंह बगैर इस बात को समझे हुये कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या है बारबार खड़े हो जाते हैं। इस तरह का वाक्य श्रीमन्, आप को नहीं कहना चाहिये था। यह तो आप कह सकते हैं कि माननीय दीपनारायणसिंह सिर्फ खड़े हो जाते हैं बगैर सही प्वाइंट आफ आर्डर के लेकिन बगैर समझे कि प्वाइंट आफ आर्डर किसे कहते हैं वह तो नहीं होना चाहिये। यह तो आप निर्णय करेंगे कि जो बात वह कह रहे हैं वह प्वाइंट आफ आर्डर हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष--आपने सुना वह कानूनी बहस कि सेल्फ डिफेंस किसे कहते हैं, वह किस अवस्था में हो सकता है, किस कानून में हो सकता है यह सब तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं। इस पर उसकी आलोचना हो सकती है कि आप यह तो समझते नहीं हैं या जानबूझ कर प्वाइंट आफ आर्डर की आड़ में व्यवधान उपस्थित करते हैं। यह मैं कह सकता हूं।

अब मैं यह निवेदन करता हूं कि सिर्फ दो-तीन व्यक्तियों को सुनना चाहता हूं और उसमें भी तीन मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

अनेक सदस्य--माननीय दीपनारायणसिंह को अवश्य सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--यह तो जिसको मैं समझूंगा, उसको कहूंगा या तो फिर आप आकर यहां बैठ जायं और जैसा उचित समझें, करें।

श्री नेकराम शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मामला सदन के समक्ष प्रस्तुत है वह बहुत ही गम्भीर है। प्रश्न यह है कि जुडीशियरी सुप्रीम हो या लेजिस्लेचर, यह जो हमारी प्रजातंत्र के मूल पुंज हैं उनको एक दूसरे से स्वतंत्र रखने के लिये, एक दूसरे पर आलोचना न हो। इस स्वतंत्रता के लिये हमारे यहां बन्दिश है २११ धारा संविधान की। आपने श्रीमन्, दो प्रश्न पूछे हैं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर था या ब्रीच आफ प्रिविलेज था। जहां ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है वह यह है कि जो भी नियमों का उल्लंघन हो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--यह बात तो माननीय यादव जी कह चुके हैं।

श्री नेकराम शर्मा--निश्चय रूप से वह आपके सामने पेश हो चुका है, लेकिन मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १११ पर साफ लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष--वह पढ़ कर सुना दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा--वह भी पढ़ कर सुना दिया है। तो फिर दूसरी बात है कि जब हमने संविधान के प्रति वफादारी की सदन में शपथ खाई है....

श्री अध्यक्ष--यह बात भी यादव जी ने कह दी है कि हमने जो शपथ खाई थी उसके विरुद्ध है।

श्री नेकराम शर्मा--अच्छा, तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा ही एक सवाल उड़ीसा में हुआ। वहां के मुख्य मंत्री जी ने एक बिल पेश किया था। इसका कोटेशन ए० आई० आर० १९५८, पेज १६८ पर है। वह यह है :--

गंजम ऐंड कारबेट....

श्री अध्यक्ष--यह कहां से आप पढ़ रहे हैं?

श्री नेकराम शर्मा--यह है 'कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट अंडर दि कांस्टीटयूशन'

श्रीमन्, उसमें यह था कि इसी तरह का मामला उठा। उड़ीसा के माननीय मुख्य मंत्री जी, जो विषय पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, उसी के विषय में एक बिल लाये, आलोचना की और उसके जजमेंट में यह होल्ड हुआ कि यह कन्टेम्प्ट हुआ। कंटेम्प्ट होने के बाद यह चीफ जस्टिस के पास गया और उन्होंने यह होल्ड किया कि यह कन्टेम्प्ट है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि धारा २११ के अनुसार जज का कन्टेम्प्ट यहां डिस्कस नहीं हो सकती, उसकी जब आलोचना हो....

श्री अध्यक्ष--कौन-सा पृष्ठ है?

श्री नेकराम शर्मा--पृष्ठ है श्रीमन्, ६२। आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष-- मैं पढ़ लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--बिल्कुल जैसा मामला यहां पेश है उसी तरह का यह पूरा विषय उड़ीसा असेम्बली में आया। उसमें यह भी बात आयी कि अध्यक्ष अगर विजिलेंट होते तो उन्हें ऐसा एक्सप्रेशन आने पर उसे रोक देना चाहिए था या माननीय मुख्य मंत्री जी को खड़े होकर रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहिए था। यह दोनों चीजें नहीं हुईं। तो जो जज थे उन्होंने कहा कि १९४ (२) जो है कांस्टीटयूशन का, उसमें उन्हें यह ऐक्शनेबिल नहीं है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं चल सकता। इसी धारा से फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन मिली हुई है और उन्होंने यह कहा कि यह अमेंड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कि अगर जूडिशियरी करप्ट हो गई, उनके जजमेंट की आलोचना हम करने लगे, तो हमारी जूडिशियरी जो है....

श्री अध्यक्ष--यह तो सिद्धान्त ही है उस नियम का। यह तो सब कह दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा-- मंत्री जी, श्रीवास्तव साहब ने यह कहा कि यह ओबिटर डिक्टा नहीं था और जो मामला पेंडिंग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में वह विषय नहीं है। तो एक नया प्रश्न उठा। सुप्रीम कोर्ट में जो मुल्ला जी ने जजमेंट दिया उसकी अपील वह पेंडिंग है उसके क्या फैक्ट्स हैं यह हमें देखना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए सदन को समय दिया जाय और इस पर अपना निर्णय कल आप दें और हमको यह मौका दें कि हम देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पेंडिंग है, क्या नहीं है?

श्री अध्यक्ष--आप उसके लिए परेशान न हों। वह मेरे पास मौजूद है। मैंने देख लिया है।

श्री नेकराम शर्मा--तो श्रीमन्, जिस वक्त प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया उस वक्त दीपनारायण जी ने यह कहा था कि इसको रोकिये....

श्री अध्यक्ष--नेकराम जी, देखिए, तीन मिनट हो गए और जो बात आप कह रहे हैं वह सब आ चुकी है ।

श्री नेकराम शर्मा--उस वक्त आपने यह कह दिया कि ओबिटर डिक्टा है । ओबिटर डिक्टा होने की वजह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने वापस नहीं किया, लेकिन फिर पता चला कि ओबिटर डिक्टा नहीं था, इसके ऊपर भी मुल्ला जी ने सेकंड जजमेंट दिया है कि ओबिटर डिक्टा नहीं था, तो सारा मामला वह पेंडिंग है, और इसके ऊपर डिस्कस नहीं हो सकता । इसलिए जो ब्रीच आफ रूल हुआ है वह ब्रीच आफ दि प्रिविलेज आफ दि हाउस है ।

डाक्टर जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा । जो आर्ग्यूमेंट्स आने थे, मैं समझता हूं कि वह आ गये और उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । चन्द्रजीत जी ने, नेकराम जी ने और भाई नरसिंह पांडेय जी ने इस तरह से सफाई से अपने केस को रख दिया है कि मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । यह गलत है सदन का टाइम लेना । लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं । पेश्तर इसके कि आप फैसला दें इस पर गौर कर लीजिए कि जिस तरीके से प्रश्न को पोज किया गया है, मैं समझता हूं, माफ कीजिए, वह गलत है कि क्या यह प्वाइंट आफ आर्डर का विषय है या विशेषाधिकार के वायलेशन का विषय है । मैं समझता हूं कि पोजिंग आफ दी क्वेश्चन इज रांग । चूंकि ऐसी समस्यायें आ सकती हैं जिसमें कि प्वाइंट आफ आर्डर भी उठाया जा सकता है और वह आगे चल कर विशेषाधिकार का भी प्रश्न बन सकता है । यह मैं मानता हूं कि हर एक प्वाइंट आफ आर्डर, जाहिर है कि विशेषाधिकार तक नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न बन सकता है । मैं इसलिए इन प्वाइंट्स को पेश करना चाहता हूं कि मसला उलझ जाता है अगर सही तौर से उसको पोज न किया जाय । और जिस तरीके से पोज किया गया उससे यह मसला कुछ हद तक उलझ गया । इस चक्कर में पड़ गये कि यह प्वाइंट आफ आर्डर है या विशेषाधिकार का प्रश्न है । मैं यह समझता हूं कि इस चक्कर से अलग होकर, जो ठोस आरगुमेंट्स दी गई हैं, उनको पकड़ कर आप अपनी राय दीजिये । यही मेरी आप से दरख्वास्त है ।

*__श्री गेंदासिंह__--श्रीमन्, यह मामला कितना गम्भीर है इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है । चाहे यह प्वाइंट आफ आर्डर की दृष्टि से पूछा जाय और चाहे प्रिविलेज की दृष्टि से पूछा जाय नतीजा करीब-करीब दोनों का एक ही होता है । प्वाइंट आफ आर्डर पर अगर आपके आदेश को न मानें कोई सदस्य यहां तो वह वही सजा पा सकता है जो सजा हाउस के कन्टेम्प्ट के सिलसिले में पाता है । मैं तो समझता हूं कि चाहे जिस तरह से अपने सवाल को पेश किया जाय लेकिन उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता । उस समय फर्क अवश्य पड़ता है कि प्वाइंट आफ आर्डर किस वक्त उठाया जाय और प्रिविलेज का सवाल किस वक्त उठाया जाय । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को अब यह मौका नहीं था कि प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल उठायें सिवाय इसके कि प्रिविलेज का सवाल उठायें । और दूसरा रास्ता नहीं है इसलिये कि प्वाइंट आफ आर्डर का प्रस्ताव वह उठा चुके थे कि माननीय श्रीवास्तव जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर पर अपना निर्णय दिया और उस निर्णय के बहाने माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसमें आपके इन्वाल्व होने की भी बात कही । वही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस सदन की मर्यादा और सम्मान और इसके काम करने का ढंग तभी ठीक से चल सकता है कि जब हम अपने सम्मान की रक्षा करें । अगर हम अपने सम्मान की रक्षा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

करते हैं तो हममें अपने अधिकारों का ज्ञान है ऐसा हमको समझना चाहिये। अगर हम अपने अधिकारों से आगे जाते हैं तो सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती।

जिन महानुभावों ने इस प्रश्न को उठाया, मैं नहीं जानता, उन्होंने इन नियमों को अच्छी तरह से देखा ही होगा। जिस तरह से उन्होंने २८९ (२) के (ख) को देखा उसी तरह से उनको (च) को भी देखना चाहिये। श्रीमन्, मैंने उस (च) को देखा है। उसमें यह नहीं है जैसा कि माननीय श्रीवास्तव जी फरमा रहे हैं। उसमें किसी भी डिबेट में न्यायालय के सम्बन्ध में कहने की रुकावट है। न्यायालय की किसी बात को कहने से यह नहीं है कि उसके जजमेंट के किसी हिस्से को कहने से रोका जाय। न्यायालय के किसी के सम्बन्ध में कोई विचार हम यहां पर प्रकट करने में असमर्थ हैं। मैं आपसे निवेदन सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि अगर किसी बैंक बेंचर की बात होती तो फिर कुछ भी करने की बात न आती। मैं समझता हूं एक बात बहुत ही योग्य व्यक्ति की तरफ से उठाई गई। आखिर न्यायालय के विरुद्ध मुख्य मंत्री के कहने से भी ब्रीच का सवाल उठ सकता है? या कोई माननीय सदस्य इस तरफ से उठकर कहे तो क्या उसके विरुद्ध प्रश्न नहीं उठ सकता है? जरूर उठ सकता है। प्रिविलेज का सवाल किसी पार्टी का सवाल नहीं है। वह जरूर उठ सकता है और उठना चाहिये लेकिन यह अगर माननीय सदस्य, उस तरफ के बैठने वाले या इस तरफ के बैठने वाले किसी ने नहीं उठाया तो मैं समझता हूं कि उस सदस्य का दोष नहीं है जिसने इस तरह के विचार व्यक्त किये। जिस वक्त प्वाइन्ट आफ आर्डर का सवाल उठना चाहिये था अगर वह प्वाइन्ट आफ आर्डर का नहीं उठाया तो वह प्रिविलेज का सवाल उठना चाहिये था। मैं उन लोगों में से था जो उस वक्त कहते और एक मिनट की भी देर न करते कि क्षमा करें। मैं समझता हूं कि इस तरह से कोई माननीय सदस्य इस काम में कसर नहीं रखता और उठकर क्षमा याचना करता। मैं समझता हूं यह उदाहरण माननीय मुख्य मंत्री जी को उपस्थित करना चाहिये। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जो कुछ आब्जरवेशन हम यहां सदन में करते हैं इस सदन के बाहर उसका कोई इलाज नहीं है। जज के फैसले का इलाज सदन के बाहर है। हमारी कोई तकरीर एक्शनेबिल नहीं है लेकिन फिर भी हम को संयम रखना चाहिये और खास कर इसलिये कि उसका कोई इलाज नहीं है सदन के बाहर।

अन्त में मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि बेहतर रास्ता यह है कि मुख्यमंत्री जी इसको अपना अपमान न समझें। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे वह समझें कि गलती हुई है। (व्यवधान) आप सुन लें। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आइन्दा से जरूर इस बात का एहतियात किया जाय कि विचारपतियों के विरुद्ध जब हमें कुछ कहना हो तो इतना ध्यान में रखें कि उसकी कोई अपील कहीं नहीं है। आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी रूलिंग की कोई अपील नहीं है सिवाय इसके कि आपसे ही आग्रह किया जाय कि आप अपना निर्णय पुनः विचार कर बदलें। इंगलैण्ड में बहुत बड़ी अवधि बीती है जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के झगड़े में। मेरा सुझाव है कि वही यहां खड़ा कर के हमको एक नये झंझट में नहीं फंसना चाहिये।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके सामने जो मामला है वह काफी गम्भीर है लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि बाज हजरात जो यह समझते हैं कि किसी किस्म का तजकिरा या किसी किस्म का जिक्र किसी जजमेंट के मुताल्लिक या किसी फैसले के मुताल्लिक अगर इस हाउस में आ जाय तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है तो यह सही नहीं है। बाज बाज ऐसी सूरतें होती हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब कि इस हाउस के बहुत से फैसलों को उलटना पड़ता है। अक्सर यह हुआ है और कोई नयी बात मैं नहीं कह रहा हूं, कि एक फैसला एक कानून के मुताल्लिक हुआ, और यह इस हाउस ने समझा कि यह जो फैसला हुआ है वह सही नहीं हुआ, लेकिन उस कानून को यहां बदला गया और उस फैसले की नुक्ताचीनी की गयी। यह तमाम किस्म की चीजें बराबर होती रहती हैं। यहां भी हुई हैं और पार्लियामेंट में भी होती हैं और इस तरह से यह कहना कि कोई ऐब्सोल्यूट रूल इस किस्म का है कि जिसके जरिये से किसी फैसले के मुताल्लिक यहां कोई राय का इजहार नहीं हो सकता, यह गलत है। (व्यवधान) अब देखना यह है कि इस समय जो रूल्स बने हुए हैं....

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)---कानून का जो आप हवाला दे रहे हैं, तो क्या कोई संशोधन पेश है?

श्री अध्यक्ष---वह कह रहे हैं कि किसी भी चीज के सम्बन्ध में कुछ कहना बिल्कुल निषिद्ध नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री सैयद अली जहीर---इस उसूल को मानने के बाद हमको यह देखना पड़ेगा कि आया रूल्स में या कांस्टीट्यूशन में कोई ऐसी बात है कि जिससे इस किस्म के आब्जरवेशंस को, जैसा कि इस हाउस में इस वक्त जेरे गौर है और जिसके मुताल्लिक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लाया गया है, कहीं प्राहिबिटेड माना गया है या नहीं। आपको यह मानना पड़ेगा कि जहां तक पूरे पुलिस फोर्स का ताल्लुक है, उसका सवाल हमारे जज साहब के जेरे गौर नहीं था। उनको यह फैसला नहीं करना था कि आया यू० पी० के पुलिस फोर्स में जो सिपाही काम करते हैं या जो अफसर काम करते हैं वे मारल उसूल से काम कर रहे हैं या इम्मारल होकर काम कर रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, यह तो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जिसको आप और श्रीवास्तव जी कह चुके हैं।

श्री सैयद अली जहीर---जिस समय तक वह अपनी बात कहते रहें, तकरीरें करते रहें, मैं निहायत खामोश था और उसे सुनता रहा। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वह भी थोड़ा सब्र से काम लेंगे। तो अध्यक्ष महोदय जस्टिस मुल्ला का जो फैसला था वही फैसला बाद को एक दूसरे जज के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जेरेगौर हुआ और उन्होंने उस फैसले को अपने फैसले में कोट किया और उसके बाद अपनी राय जाहिर की और उसे मैं आपके सामने, उसका कुछ हिस्सा, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, यह १९ नवम्बर १९६१ का फैसला है---

"Mr. Justice S. S. Dhavan of the Allahabad High Court, yesterday observed that a reform of the police methods of investigation was overdue, but he did not think that the problem could be solved by calling the entire police force a "lawless group with a record of crimes unrivalled in the country or comparing it to a tinking shoal of fish in which every fish barring a few stinks."

"Such observations by this court, His Lordship added, might draw pointed attention to the problem, but they might also do more harm than good as they tend to demoralise the police force and create the impression that the judiciary were used to intemperate language."

एक सदस्य---श्रीमन्, यह अखबार से पढ़ रहे हैं और अखबार से यहां नहीं पढ़ा जा सकता है।

श्री सैयद अली जहीर---तो मुझे यह कहना है कि यह आब्जरवेशन्स थे जस्टिस धवन, के जो उन्होंने जस्टिस मुल्ला के रिमार्क्स के मुताल्लिक कहे। उनका कोई ताल्लुक, मैं यह कहना चाहता हूं, किसी किस्म के मुकदमें से नहीं था, या किसी फैसले से नहीं था। अब आप अपने रूल को देखें, जिसका कि यहां हवाला दिया गया, वह यह है---

"express any opinion or make any comment on any matter of fact on which a judicial decision is pending"

तो इसमें यह है कि वह किसी मैटर आफ फैक्ट पर कोई राय अपनी नहीं देगा। अगर किसी केस में किसी को सजा होती, कोई छूट जाता, उसके मुताल्लिक हम यह कहते कि फलां शख्स मुलजिम नहीं था, आदि आदि, तब वह क्वेश्चन आफ फैक्ट हो सकता था। यहां तो यह बात है ही नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अन्तर्गत विचाराधीन है वह केवल उस जजमेंट का वह उतना हिस्सा ही है जिसका यहां जिक्र किया गया है। तो मैं पूछता हूं कि क्या यह क्वेश्चन आफ फैक्ट हुआ या नहीं?

श्री अध्यक्ष---माननीय दीपनारायण जी आप कृपया नियम ३०० को पढ़ लें जो हमारी प्रक्रिया नियमावली का है जिसमें यह है कि प्वाइंट आफ आर्डर किसको कहते हैं। आप मुझसे प्वाइन्ट आफ ला पूछते हैं और कहते हैं उसको प्वाइन्ट आफ आर्डर। अभी माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा था कि आपने ऐसी बात क्यों कह दी। (यादव जी की ओर झुक कर) अब आप उनसे पूछिये कि यह प्वाइंट आफ आर्डर था? और अगर नहीं था तो आप उसको देखिये।

श्री चन्द्रजीत---यह तो अध्यक्ष महोदय आप ही व्यवस्था देंगे, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। वह तो पर्सनल रिमार्क की बात थी।

श्री सैयद अलीजहीर---तो आप देखेंगे कि २८९ (२) में कोई इस किस्म की बात नहीं है कि कोई कह सके कि कोई स्टेटमेंट किसी तरह से ब्रीच करता है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील पेंडिन्ग है। मैंने माना, लेकिन उसमें सिर्फ इतना पेंडिंग है कि आया स्टेट को राइट है इस किस्म की अप्लीकेशन फाइल करने का इस किस्म के केस में। तब फिर कैसे कहा जा सकता है कि यह इनवाल्व्ड है कि जस्टिस मुल्ला ने सही किया या गलत किया, इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है?

श्री नरसिंहनारायण---एक व्यवस्था है। यह जो न्याय मन्त्री बात कह रहे हैं यह २३ अक्तूबर का जो फैसला है उसी बारे में अपील की है या दूसरे केस के बारे में की है? अगर उसी के बारे में की हो तो प्वाइंट आफ फैक्ट है।

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस है।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सवाल आ जाता है कंडक्ट का, पैराग्राफ ६ के मुताल्लिक। इसके सिलसिले में मैं २११ का हवाला दूंगा संविधान का----

"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties."

तो किसी जस्टिस मुल्ला के कंडक्ट को चैलेंज नहीं किया गया। उनके आबजर्वेशन्स या विचारों के मुताल्लिक अपने खयाल जाहिर किये गये। कंडक्ट के बारे में अगर १२१ को देखें तो उसके माने क्लियर हो जायंगे---

"No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties...,"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, केवल ३ मिनट का समय दिया गया था....

श्री सैयद अली जहीर—तो कंडक्ट के ऊपर आब्जर्वेशन है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज हो सकता है, लेकिन वह नहीं है, सिर्फ विचारों के ऊपर खयाल जाहिर किया गया है।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय दीपनारायण जी तीन मिनट बोल लें।

श्री दीपनारायणसिंह—अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन की धारा १८८ के अन्तर्गत जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं वह यह है कि हम विधान सभा के लिये सदस्य निर्वाचित हुए हैं, हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा करेंगे। इसलिये अनुच्छेद २११ में यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है तब कोई सदस्य चाहे वह मुख्य मन्त्री ही क्यों न हो अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कुछ कहता है तो वह संविधान की धाराओं का उल्लंघन करता है। और चूंकि यह असेम्बली संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रही है इसलिये संविधान की धारा २११ का उल्लंघन किया गया है....

श्री अध्यक्ष—यह बात तो कही जा चुकी है।

श्री दीपनारायणसिंह—यह प्रश्न उड़ीसा में भी उठा था। वहां के मुख्य मन्त्री श्री नाबकृष्ण चौधरी ने एक हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेते हुए "इम्मेच्योर" शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द को चीफ जस्टिस ने कन्टेम्ट आफ कोर्ट के अन्तर्गत माना लेकिन १९४ (२) के अनुसार चूंकि विधायक के लिये इम्युनिटी थी, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर था इसलिये उन्होंने उस प्रश्न को हाउस के लिये ही छोड़ दिया। मैं ए० आई० आर० से हवाला देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—माननीय नेकराम जी ने हवाला दे दिया है।

श्री दीपनारायण सिंह—उन्होंने कांस्टीट्यूशन का हवाला दिया है। आप ए० आई० आर० १९५८, उड़ीसा, १६१–६८, जुलाई और अगस्त मंगा कर देख लीजिये। इस सम्बन्ध में और भी फैसले हुए हैं। एम० एस० शर्मा, ए० आई० आर० १९५९ सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ है। इसके अलावा और भी फैसले दिये हैं। १९६१ मई में भी ए० आई० आर० में ऐसा ही फैसला दिया है कि यह हाउस के जो प्रिविलेजे हैं वह कन्ट्रोल्ड हैं। आपने अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत जो रूल बनाये हैं वे भी उल्लंघित हुए हैं। तो कांस्टीट्यूशन का अलग उल्लंघन है और जो २८९ (२) है उसका अलग उल्लंघन है। आपने स्वयं वहां स्टेट की तरफ से अपील कर रखी है, यह आपकी जानकारी में था और आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं इसलिये आप बहुत बड़े अपराध के अपराधी हैं। इसी सम्बन्ध में ला कमीशन की रिपोर्ट में भी आखिर में कहा गया है कि इससे जुडीशियरी का डिमारेलाइजेशन होगा। यह तो रूल आफ ला को ब्रेक करना है। इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। हमारा कांस्टीट्यूशन रिपब्लिकन कांस्टीट्यूशन कहा गया है। यह कन्ट्रोल्ड असेम्बली है, फुल सावरेन असेम्बली नहीं है...

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल चार बातें रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि मेरा विश्वास है कि breach of rules of procedures can not be the based of breach of privilage इसका अनुवाद यह है कि रूल्स आफ प्रोसीजर का उल्लंघन विशेषाधिकार की अवहेलना का विषय नहीं बन सकता। मान्यवर, जो पेज १११ कोट किया गया है मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का, मेरा निवेदन है कि वह मेम्बर्स आफ पार्लियामेन्ट के लिये लाग नहीं होता। एक भी मिसाल ऐसी नहीं पेश की जा सकती ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी

[श्री नवलकिशोर]

हिस्ट्री से कि कभी ब्रीच आफ रूल्स ब्रीच आफ प्रिविलेज माना गया हो। अगर कोई है तो मैं दावत देता हूं अपने दोस्तों को कि वे उसको पेश करें। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक इनफार्मेशन देना चाहता हूं। इसी हाउस के अन्दर माननीय खेर साहब ने एक रूलिंग दी थी...

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि माननीय खेर साहब की जो रूलिंग कोट की गयी है तो उसका कतई मंशा अथवा अभिप्राय यह नहीं है कि नियमों का उल्लंघन विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है।

(सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या आपका मतलब यह है कि कोई बोले ही नहीं?

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना सकता हूं। जब आर्टिकिल २११ भारतीय विधान का प्रश्न आता है जिसके बारे में कहा गया है कि "कन्डक्ट आफ दि जज" के बारे में वाद-विवाद नहीं हो सकता है, उसके विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें एक्स-जज भी आता है या नहीं यह आपके देखने की बात है। चौथी बात यह है कि आर्टिकिल २११ का उल्लंघन इस केस में नहीं हुआ है और अगर आर्टिकिल २११ आफ दि कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन होता भी तो उसकी रेमेडी इस हाउस में नहीं है। इसके अतिरिक्त यह प्वाइंट कि यह मामला सब-जुडिस है, तो यह मामला सब-जुडिस भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इसको मैं देख लूंगा, आप रहने दीजिये।

श्री नरसिंह नारायण—माननीय मन्त्री जी यह बतायें कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है या ब्रीच आफ आर्डर?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। इस तरह की बहस अगर आपको करना है तो उनके कमरे में कीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय नवल किशोर जी ने अभी-अभी दो तीन बातें कहीं। एक बात उनमें से यह कही कि वे एक्स-जज हैं।...

श्री अध्यक्ष—आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं यह कह रहा था कि जो भी बात माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कही वह 'जुडीशियल कान्डक्ट आफ दि जज' से सम्बन्धित है। पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि यह बात पहली बार ही नहीं कही गयी है। उन्होंने स्वयं यह बात कही है कि इस सदन के बाहर भी कई मौके ऐसे आये हैं जब कि उन्होंने जस्टिस मुल्ला के विचारों से असहमति प्रकट की है। वह मेरे देखने में तो नहीं आये लेकिन उन्होंने अपने भाषण की पहली लाइन में ही इस बात को कहा है। इसलिये उन्होंने उस दिन कोई साइड रेफेरेन्स नहीं दिया और उन्होंने जो बात उस दिन कही थी वह सोच समझ कर कही थी।

श्रीमन्, एक बात और है और वह यह कि अगर यह मैटर प्रिविलेज का क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है तो फिर यह आपकी मर्जी पर नहीं है कि आप इसकी इजाजत दें या न दें, आपको उसको रखने की इजाजत देनी ही होगी।

श्री अध्यक्ष—इसको मैं भी जानता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, इस विषय में माननीय मुख्य मन्त्री जी के विचार हमें जानने का अवसर नहीं मिला हालांकि वे सदन में उपस्थित थे। शायद वह इसको एवायड ही कर गये जानबूझ कर।

श्री अध्यक्ष---अब बहुत बहस हो चुकी। जैसा कि आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विषय गम्भीर है, विशेषरूप से इसलिये कि इसके ऊपर विभिन्न विचार दोनों पक्षों से मेरे सामने रखे गये हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि---अपना निश्चय मैं कुछ सोच विचार कर इस पर दूंगा और इस में जो कुछ कानून की किताबों का उल्लेख हुआ उन को भी मैं देखूंगा और प्रयत्न करूंगा कि कल मैं अपना निर्णय दे दूं और अगर कल नहीं दे सका तो १७ तक का समय आप मुझे निर्णय देने के लिये दें।

श्री चन्द्रजीत---अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान एक तरफ दिलाऊंगा ताकि सभी सदस्यों के साथ न्याय हो सक इसलिये नियम ६४ के अन्त में जो परन्तुक है उसे आप देख लें कि "किन्तु शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य की सफाई को सुनेंगे।" तो इसके अनुसार मैं चाहूंगा कि आप माननीय मुख्य मन्त्री जी से जान लें कि वह कोई सफाई देना चाहें तो आप के निर्णय से पहले उन की सफाई आ जाय।

श्री अध्यक्ष---आपने जो नियम पढ़ा उस को मैंने भी पढ़ रखा है, आप यह मेरे ऊपर छोड़दें।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय झारखंडे राय, माननीय विजय पाल सिंह तथा उसी सम्बन्ध में माननीय नरसिंह नारायण जी की जो सूचनायें आई हैं उन में माननीय झारखंडे राय जी की यह है कि "बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमनोत्री के तीर्थ मार्गों पर चलने वाली १८० से भी अधिक बसों तथा ट्रकों के चालकों ने धमकी दी है कि यदि उन की ड्यूटी की अवधि प्रतिदिन ८ घंटे न की गई तथा अतिरिक्त कार्य करने का अतिरिक्त भत्ता न दिया गया तो वे हड़ताल कर देंगे। इस समय ही इन तीर्थों पर जाने वाले लगभग ५,००० यात्री यातायात की कठिनाइयों के कारण ऋषिकेश में रुके पड़े हैं। इन सड़कों का सामरिक महत्व भी है। अनेक बसें तथा ट्रकें सरकारी खाद्यान्नों तथा अन्य सामानों को ढोने में जुटी हैं। विभिन्न धर्मशालाओं पर यात्रियों की सुविधा के लिये खाद्यान्न तथा अन्य सामान नहीं पहुंच पा रहा है।

ऐसी स्थिति में यह हड़ताल भयावह परिस्थिति पैदा कर देगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।"

यह मैंने सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेज दिया है और उन से निवेदन है कि वह १७ तारीख तक अपना वक्तव्य इस पर दे दें।

गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रोफेसर द्वारा दो छात्राओं के प्रति अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर द्वारा दो छात्राओं के प्रति चरित्र दोष के व्यवहार के सम्बन्ध में सर्वश्री टम्बेश्वरी प्रसाद तथा शारदा भक्त सिंह द्वारा दिनांक १ मई, १९६२ को नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—अध्यक्ष महोदय, . . .

***श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि यह मसला बहुत नाजुक और गम्भीर है और कानपुर के मेडिकल कालेज का विषय है इस पर हम चाहते हैं कि प्रश्नों के द्वारा थ्रेशिंग अच्छी तरह से हो जाय और समय आप प्रश्नों के लिये पूरा दें या आप इस मामले को थ्रेश करने के लिये कोई और मार्ग बतायें क्योंकि इसके पीछे बहुत से तथ्य हैं और रहस्य हैं और एक कहानी है और यह प्रश्न ऐसा भी है कि जिसमें मान और अपमान का प्रश्न है इसलिये या तो श्रीमन् इस के विवाद के लिये कोई समय नियत करें या काफी समय प्रश्नों के लिये दें।

श्री अध्यक्ष—मैं स्वयं इस मामले को गम्भीर समझता हूं और प्रश्नों में कोई अड़चन इसलिये नहीं होगी। अब मनानीय मंत्री जी सदन के समक्ष अपना वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—हां, वह मिलेगा।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह स्टेटमेंट प्रस्तुत करता हूं—

२४ अप्रैल, १९६२ को गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर की द्वितीय वर्ष की कक्षा की दो छात्राओं ने उक्त कालेज के उस समय के कार्यवाहक प्रिंसिपल को वहां के एनाटामी विभाग के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें प्रस्तुत कीं। इन शिकायतों के साथ कई और छात्राओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक दूसरा प्रार्थना-पत्र भी था। इन शिकायतों में मुख्य बात यह कही गयी थी कि एनाटामी विभाग के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष छात्राओं को अक्सर और कभी-कभी बेवक्त बुलाया करते थे और यह कि छात्राओं के प्रति उनका व्यवहार सभ्य नहीं था। शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया था कि एनाटामी विभाग के प्रोफेसर ने यह धमकी दी थी कि यदि छात्रायें उनके अवांछनीय प्रस्तावों को नहीं मानेंगी तो उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया जायगा। इसी के बाद इन शिकायतों का प्रचार होना आरम्भ हुआ और एक आन्दोलन भी किया गया जिसमें उक्त मेडिकल कालेज के कुछ शिक्षकों ने भी भाग लिया।

२—स्वास्थ्य सेवा निदेशक इस मामले की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के लिये वहां भेजे गये। उनकी रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि छात्राओं द्वारा की गयी शिकायतें केवल इस बात को छोड़ कर कि वे कभी-कभी प्रोफेसर के कार्यालय में बुलायी जाती थीं, सिद्ध नहीं होतीं। स्वास्थ्य सेवा निदेशक का मत है कि शिक्षकों द्वारा, छात्र-छात्राओं को, विशेषकर उनको जो पढ़ने में कमजोर हों, का उनकी पढ़ाई के सम्बन्ध में बुलाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। निदेशक ने यह भी बताया है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि प्रोफेसर ने शिकायत करने वालों के साथ किसी प्रकार भी दुर्व्यवहार किया। दो छात्रायें जो शिकायत भेजने वालों में प्रमुख हैं, अपनी पढ़ाई में औसत दर्जे से निम्न स्तर की पायी गयीं। प्रेक्टिकल परीक्षायें २ मई, १९६२ से आरम्भ होने वाली थीं और यह आन्दोलन उसके लगभग १० दिन पहले से शुरू किया गया, यद्यपि इन छात्राओं ने प्रोफेसर के पास जिनके विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाये गये हैं, सितम्बर, १९६१ से जाना प्रारम्भ किया था। अतः निदेशक का मत है कि जो आरोप लगाये गये हैं, वह बाद में सोचे हुए तथा किसी स्वार्थी दल द्वारा गढ़े हुए हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३—जांच करने वाले अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में मेडिकल कालेज के कुछ शिक्षकों में आपसी द्वेष तथा वैमनस्य होने की बात का उल्लेख किया है जिसके फलस्वरूप कालेज का वातावरण दूषित होता जा रहा है।

इस कालेज के प्रशासन को ठीक करने के विचार से तथा इसके सुचारू रूप से चलाये जाने के लिये राज्य सरकार कुछ मौलिक परिवर्तन तथा कुछ अन्य उपयुक्त कदम उठाने का विचार कर रही है जो अभी उसके विचाराधीन हैं और जिन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त—माननीय मन्त्री ने यह कहा कि जो लड़कियां कमजोर थीं उन्होंने ऐसा लिखकर दिया उस प्रोफेसर के खिलाफ, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह स्वाभाविक है कि कोई स्त्री या लड़की अपने आचरण के बारे में पढ़ाई में कमजोरी के कारण लिख कर दे? और दूसरी बात यह है कि...

श्री अध्यक्ष—जो बात आप कहना चाहते हैं उसे प्रश्न के रूप में रखें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इतना अबसर्ड उत्तर है जब तक सारी बैकग्राउन्ड स्पष्ट नहीं रखी जायगी वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ सकते।

श्री अध्यक्ष—सवालों के द्वारा आ सकते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त—माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी लड़कियां इस शिकायत को लेकर जब वह कानपुर रवीन्द्र रंगशाला में गये थे, उनसे मिली थीं?

***मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)**—अब मैं संख्या तो बिलकुल सही नहीं बता सकता, लेकिन ४०,४५ लड़कियां होंगी और उन्होंने मुझसे कुछ इस प्रकार की शिकायत की। मैंने उनसे छूटते ही यह सवाल किया कि यह शिकायत पुरानी मालूम देती है, अब तक यह बात मेरे सामने या अधिकारियों के सामने क्यों नहीं लायी गयी, और जब इम्तहान है तभी क्यों मेरे सामने यह शिकायत प्रस्तुत की गई और उस वक्त भी की गयी जिस वक्त कुछ हस्ताक्षर की हुई एक अर्जी इस प्रकार की आयी थी। उन लड़कियों से मैंने प्रश्न किया कि जो तुमने इसमें दस्तखत किये हैं क्या इसके सब्जेक्ट मैटर को जानती हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे तो दस्तखत कराये गये हैं। उसके बाद ही फिर यह प्रश्न यहां आया। मैंने डाइरेक्टर को भेजा और साथ ही में जो श्रीवास्तव साहब प्रिंसिपल महोदय हैं जो उस समय छुट्टी में गये थे उनसे कहा इसकी पूरी जांच करके मुझे सूचना दी जाय कि तथ्य क्या है। जो कागजात हमारे पास आये प्रिंसिपल और डाइरेक्टर के और उस समय जो ऐज प्रिंसिपल आफिशियेट कर रहे थे, डाक्टर त्यागी, उनकी भी लिखित बातें हमारे सामने आयीं और उन सबसे जो नतीजा निकला वह उस बयान में है जो आपके सामने पेश किया गया।

यहां एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह तो अस्वाभाविक बात है। यदि कोई लड़की या लड़कियों का समुदाय किसी और गिरोह के हाथ में पड़ जाय और वह उनको इस्तेमाल करना चाहे तो यह स्वाभाविक है, संभव हो सकता है। अब यह बात एक संस्था से संबंध रखने वाली है, यदि नेता विरोधी दल मुझसे बातें करेंगे और वह सब चीजें देखना चाहेंगे तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। इस सदन में उस तरह की बातें लाकर, मैं अदब से अर्ज करूंगा, उस संस्था के प्रति हम न्याय नहीं करेंगे और उस व्यक्ति के प्रति भी न्याय नहीं करेंगे तथा उन लड़कियों के प्रति भी न्याय नहीं करेंगे जिन्होंने कुछ आवेश में आकर दूसरे के कहने में आकर इस प्रकार की चीजें लिख दी हैं जो साबित नहीं होती हैं और जिनके विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकते और न साबित कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि मुमकिन है पार्टीबाजी की वजह से ऐसा किया हो। हो सकता है पार्टीबाजी वहां हो। प्रश्न यह है सिर्फ कि क्या पढ़ी लिखी लड़कियां, यदि पढ़ी लिखी न भी हों, केवल लड़की होने के नाते ही, क्या वह पार्टीबाजी के आवेश में आकर अपने आचरण के ऊपर किसी प्रकार के प्रहार के लिये तैयार हो सकती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जो बात कही गई वह तो बात कही गई कि एक प्रोफेसर लड़कियों को अपने यहां बुलाते हैं। तो यह भी बात सही है कि जो लड़कियां या लड़के कमजोर होते हैं....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि क्या इसकी जांच आपने कोई करायी कि लड़कियों ने केवल पार्टीबाजी के कारण इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर लगा लिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डायरेक्टर गये, उन्होंने १३ व्यक्तियों के बयान लिये और सारी उस व्यवस्था की इंक्वायरी की कि क्यों और कैसे ये बातें उपस्थित हुईं। लड़कियों के बयान भी लिये और उन तमाम के बयान लिये और उस सारी व्यवस्था का अध्ययन करके जो कालेज में पैदा हुई, जिसने लड़कियों को प्रेरित किया कि वे अपने प्रोफेसर के संबंध में कुछ बातें कहें, उस तमाम की देख रेख करके ही डायरेक्टर ने अपनी बातें लिखी हैं और प्रिन्सिपल महोदय ने भी अपनी बातें लिखी हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जैसा अपने बयान में उन्होंने स्वीकार किया वह अध्यापक महोदय कमजोर लड़कियों को अपने यहां बुलाते थे और जिन दो लड़कियों के बयान मेरे पास लिखित रूप में उनके हस्ताक्षर से मौजूद हैं उनको अकेले-अकेले रात में ८, ९ बजे कौन-सी एनोटामी पढ़ाने के लिये बुलाते थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने स्वतः इस प्रकार के प्रश्न लड़कियों से पूछे। इन दोनों लड़कियों को मैं स्वतः नहीं जानता। मैंने डायरेक्टर को इसी लिये भेजा कि वे लड़कियों के तथा अध्यापकों के बयान लेकर और प्रिन्सिपल के बयान लेकर तथा डाक्टर त्यागी जो स्थानापन्न प्रिन्सिपल के रूप में काम करते थे उनके बयान लेकर, आयें। उस सारी परिस्थिति का अध्ययन करके वे हमें रिपोर्ट दें कि वस्तुस्थिति क्या है और क्यों और कैसे इन लड़कियों ने इस प्रकार के बयान अध्यापक के संबंध में दिये हैं। दोनों लड़कियों के बयान मेरे पास हैं। ८, ९ बजे बुलाने के संबंध में उन बयानों में नहीं कहा गया है। आफिस में बुलाने की बात कही गयी है। वह बात स्वीकार भी है। वे लड़के और लड़कियां भी जो कमजोर हैं आफिस में अध्यापक के यहां जाते हैं और बुलाये भी जाते हैं और जो अध्यापक जिस विषय पर उनसे बातचीत करना चाहता है बातचीत करता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है। जो मेरी सूचना है और जो उस लड़की के हस्ताक्षर किये हुए बयान है जिसका वाक्य मैं पढ़ दूं।

"Professor so and so of Anatomy department has been calling me at odd hours in his office, such as, 8 o,clock in the evening or early in the morning. He has been threatening me that if I did not bow down to his ill wish he would fail me in his second year examination."

तो इसको सूचना मान कर इस स्पैसिफिक मांग को माननीय मुख्य मंत्री जांच करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बयान यहां लिखित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है तो मैं उस बयान के विषय में भी सदन को कांफिडेंस में ले

मूं और जो उस लड़की ने अपने बयान में डायरेक्टर महोदय के समक्ष कहा है उसे मैं यहां पढ़ देता हूं—

Statement of [× × ×] 2nd year student of G. S. V. M. Medical College, Kanpur, recorded by Director of Medical and Health Services, U. P. on May 4, 1962 :

Q—Are you an average, good or weak student ?

A—I am an average student and not weak.

Q—Whom did you give your complaint ?

A—I sent my complaint to the acting Principal (Dr. S. R. Kapoor) through my friend [× × × ×).

Q—Did you send this complaint on your own initiative or on the advise of some one else ?

A—I sent this complaint in my own hand-writing ?

Q—Is the complaint in your own hand-writing ?

A—Yes, Sir.

Q—How long you have been knowing Prof. K. B. Singh ?

A—I know Prof. K. B. Singh since I joined this college. I did not know him before this.

Q—Since when he started calling you ?

A—He started calling me since September, 1961 when I came to second year.

Q—Did you ever go to Prof. K. B. Singh of your own accord ?

A—I never went to him on my own accord. I always went to him whenever I was called by him. At times when I was called I did not go.

Once he called me afternoon and I went alone. He had asked me to come at this time a day previous when I had gone to him for vivavoce examination. On this day he behaved with me rather in an unusual manner. He also tried to catch me and I left his room immediately after.

Q—When this incident took place ?

A—This incident aoccurred sometime in January, but I do not know the date.

Q—Did you tell anybody about this incident ?

A—I came back and told of this incident to some of my friends namely [× × ×]

Q— Did you go to Prof. K. B. Singh again after this incidence ?

A—No. I did not go to him inspite of the fact that he called me twice or thrice.

Q— Can you tell me the names of persons through whom he used to call you ?

A—I do not exactly remember the names of those persons, but they are peons of Anatomy Department and as far as I remember one is called Azad and the other Dilip.

[× × ×] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

Q— Why did you have a fear that Prof. K. B. Singh will fail you ?

A—I thought of this because it was a practice every year that those girls who did not fulfil the wishes of Prof. K. B. Singh, invariably failed.

Q— Why did you not bring this to the notice of the Principal ?

A—First I thought I was alone in this picture, that is why I did not have courage enough to report to the Principal. Later on another girls (..... [× × ×] came under the same circumstances and that is why we both complained.

Q— Did you ever go out with him ?

A—He did ask me to go out saying that if I cannot come to the department, we could go out on car, but I did not go.

Whenever I went to him for viva he never talked to me about the subject. He was always keen that I should agree to go out with him or come alone to the department.

Q—Do you know Dr. Jain ?

A—Yes, I know he is a lecturer in the Anatomy Department.

Q—Does he teach you ?

A—Yes, this year he taught me embroylogy.

Q—What is the behaviour of Dr. Jain towards you ?

A—His behaviour towards me is dignified.

Q—Have some other girls of your class complained against Dr. K. B. Singh's behaviour ?

A—I know of one × × × Even other girls used to say about Dr. K. B. Singh's undesirable behaviour.

My father knew Dr. Nawani and he used to come to see her. One night he did come to the hostel and I was called by the Assistant warden Dr. Miss Nawani and my Assistant Warden Dr. Nawani told me that I should not have complained like this, but she also told me alternatively that I could do whatever I wanted. When I was talking to them other girls of the hostel were shouting "don't withdraw the complaint" and all those girls came to the room where I was sitting with my father and Dr. Nawani.

Q. Have you anything more to say ?

A—I have nothing more to say except that my complaint is true".

इसके अलावा [* * *] का है। इनका भी पुराना मामला है।

जो ८, ९ बजे रात का प्रश्न उठाया गया तो ८, ९ बजे की बात तो उन्होंने अपने बयान में कही नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पहली लड़की का बयान पढ़ा है वह एग्जेक्टली वही है जो मेरे पास है और दूसरी का भी वही होगा जो मेरे पास है। calling me at odd hours तो बिलकुल स्पष्ट तो है। मैं एक बात और पूछना चाहता था इस विषय में कि जिस प्रोफेसर के बारे में यह अटैक किया गया क्या यह सही है कि वह नागपुर में एम्बैजिलमेंट में प्रासीक्यूट हुए थे और बाम्बे हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था ?

[×××] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन यह प्रोफेसर दो, तीन साल पहले नियुक्त हुए हैं। ये कुछ विवादग्रस्त व्यक्ति जरूर रहे। यहां सदन में शायद कुछ बातें उनके सिलसिले में आयी थीं और अखबारों में मैंने पढ़ा था। मैंने इसका ज्यादा अध्ययन नहीं किया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बम्बई की सरकार को लिखा था कि उनके खिलाफ केस विद्ड्रा कर लिया जाय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं नोटिस पाने पर इस बात की सूचना दे सकूंगा, क्योंकि मैंने निवेदन किया कि मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि मेरे पहले की बात है।

श्री अध्यक्ष—यह कब की बात आप कह रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—मेरा खयाल है पांच साल पहले की बात है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक बात मैं बता दूं कि इतनी बात मेरे सामने इस प्रोफेसर के विषय में आयी कि ये तीन, चार साल पहले नियुक्त हुए थे और पी० एस० सी० की रजामन्दी से नियुक्त हुए थे। उसके बाद इसी सदन में कुछ आपत्तियां इसी तरह की उठायी गयीं। उसके बाद उनका एप्वाइन्टमेन्ट रोक दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सहमति नहीं दी। तमाम बातों की इन्क्वायरी हुई और बाद में उन्होंने अपनी सहमति दी कि यह प्रोफेसर नियुक्त किये जायं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी भी इच्छा है और मैं समझता हूं कि हम सब लोग चाहते हैं कि कन्याओं के नाम न आयें। मुख्य मंत्री जी ने नाम लिया है इसलिये मैं चाहता हूं कि वे नाम एक्सपंज कर दिये जायं तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बात यह है कि सदन में बहुत सी चीजें आयेंगी और कही जायंगी, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता उन कागजात को देख लें। मैं क्या कार्यवाही करूंगा और सरकार क्या करेगी वह दूसरा विषय है। लेकिन जहां तक जाब्ते की और आरोपों की बात है, वह तमाम चीजों को देखकर स्वयं फैसला दें कि इस प्रोफेसर को आप निकाल सकते हैं तो मैं उस प्रश्न पर विचार करने के लिये उद्यत हूं। यदि ऐसी बात नहीं है और यह नहीं हो सकता है तो ऐसी बात उठाना इस संस्था के हित में नहीं हो सकता जिसमें हम अपनी बहन, भतीजी और लड़कियों को पढ़ने के लिये भेजते हैं। इस लिये संस्था का हित है अगर ऐसी बात साबित होती है और मोरेली कंविन्स हो जाते हैं कि वह आदमी ऐसा है तो जो कानूनी कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है उसके करने के लिये हमारी सरकार पिछड़ेगी नहीं और अपने कर्त्तव्य को पालन करने में देर नहीं लगायेगी।

श्री अध्यक्ष—जो यहां पर प्रेसमैन हैं उनसे निवेदन यह है कि लड़कियों के नाम न आने पायें।

श्री यादवेन्द्र दत्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन सज्जन को अप्वाइन्ट किया। मैं आपकी आज्ञा से इसकी एनुअल रिपोर्ट १९५८–५९ में से एक पैरा पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"For the post of Professor of Anatomy at the G.S.V.M. Medical College, Kanpur, the Commission recommended a candidate in July, 1958. When

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

the recommendation was made the character-roll of the candidate who had served previously in Madhya Pradesh was not before the Commission. Later when the character-roll of the candidate was received it was discovered that it contained adverse entries. The commission then recommended the termination of his services after giving him one month's notice and Government accepted this recommendation. But subsequently on reviewing the case, Government changed their mind and requested the Commission to let the candidate continue on the post as recommended earlier. The Commission, however, could not agree. The case is still pending with the Government".

श्री अध्यक्ष—यह किस साल की है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—१९५८-५९ की है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि ऐसी बात आई थी, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आगे उनकी नियुक्ति कर दी।

श्री बलवानसिंह—क्या वे इस प्रकार के हैबीचुअल आफेन्डर रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिसकी सिफारिश की है और नियुक्ति की है, मैं ऐसा समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन करेक्टर रोल वगैरह सब चीजों का अध्ययन करता है और उसकी आज्ञा से उनकी नियुक्ति हुई है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—कमीशन ने जब नियुक्ति की थी तो उसका स्पष्ट कहना है। जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें वह स्पष्ट कहते हैं कि जब उन्होंने इस नियुक्ति को किया तो उनके सामने कोई करेक्टर रोल नहीं था और वह ऐग्रीड नहीं थे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब स्पष्ट रूप से यह है तब क्या मुख्य मंत्री यह बता सकेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद किस समय कमीशन ने फिर ऐग्री किया कि इनको परमानेन्ट या दो वर्ष के लिये टेम्परेरी तौर से रखा जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो मैं अपनी याददाश्त से ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कागजात नहीं देखे हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जब मैं मुख्य मंत्री बना था उसके पहले कमीशन की स्वीकृति आ चुकी थी।

डाक्टर जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए कि यह घटना बहुत गंभीर है और इस बात को देखते हुए कि हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत का सवाल है और इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कि जो इन्क्वायरी हुई है वह संतोषजनक नहीं मालूम होती, वह एक मर्द के जरिये से कराई गई है जिसके सामने औरतें साफ तौर पर और आम तौर पर हिन्दुस्तानी महिलायें अपनी बातें साफ तौर पर नहीं कह सकतीं। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये तैयार हैं कि इस सदन की ५ महिला सदस्यों का एक कमीशन मुकर्रर किया जाय और वह जाकर उन लड़कियों से बातचीत करे और उसकी एन्क्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह एक अनोखी और नई परम्परा इस सदन की और सरकार के चलाने की होगी। जो यह नयी परम्परा स्थापित करने की बात कही गयी है इसको स्वीकार करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। मैं यह बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं और जोरदार शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यह सरकार किसी भी व्यक्ति जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि उस व्यक्ति ने किसी हमारी बहिन के साथ या किसी शिक्षा संस्था में पढ़ने वाली लड़की के साथ, जो उसमें पढ़ती है, कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया है, जो किसी शिक्षा संस्था में पढ़ाने

वाले व्यक्ति के लिये अशोभनीय है तो उस व्यक्ति को हटाने के सिलसिले में जहां तक कानून इस बात के करने की इजाजत दे सकता है सदा उस बात को करने के लिये उद्यत है। यह बात सरकार मान सकती है कि कोई स्त्री अपनी बात मर्द के सामने साफ तौर पर नहीं कह सकती है तो हमारे यहां जो डिप्टी डाइरेक्टर या ऐडीशनल डाइरेक्टर महिला हैं वह जाकर इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मैं कह सकता हूं कि डाक्टर शर्मा, जो कि हमारे प्रदेश के डाइरेक्टर हैं वह एक अनुभवी डाइरेक्टर हैं और एक ऐसे डाइरेक्टर हैं जिनसे सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य भली-भांति परिचित है और उन पर विश्वास करते हैं कि वे कोई भी ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनका स्वतः विश्वास न हो और जिन बातों की स्वतः जानकारी प्राप्त करके अपने अनुभवों के आधार पर वह सही प्रकार की सलाह सरकार को न दे सकें।

श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जब इस गंभीर मसले की सूचना मुख्य मंत्री जी को स्वयं मिली या जब उन्होंने निदेशक महोदय को स्वयं इसकी जांच करने के लिये कृपा करके भेजा तो सरकार ने अथवा डाइरेक्टर महोदय ने यह क्यों नहीं उचित समझा कि उन सज्जन को सस्पेंड करके तब जांच की कार्यवाही की जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के साथ इस प्रकार का तरीका यह सरकार नहीं बरतती है और न यह सरकार करेगी। अध्यापकों को अध्यापकों के नाते मानते हुए उनको आदर देते हुए यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो भी वह सभ्यतापूर्ण ढंग से इन्क्वायरी करा सकती है। यह सरकार अध्यापकों के प्रति अध्यापकों के तरीके से जांच होगी और यह सरकार उनके प्रति कोई व्यवहार ऐसा नहीं करेगी जो उनके लिये अशोभनीय हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं जो सुझाव देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वह डाक्टर शर्मा की नीयत और काबलियत पर आक्रमण न समझा जाना चाहिए। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए पुनः डाक्टर शर्मा को वहां जांच के लिये भेजकर और उनके साथ उसी क्षेत्र की आयी हुई एम० एल० ए० श्रीमती सुशीला रोहतगी को जांच में भेजकर पुनः जांच करवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस महिला की चर्चा की गई कि वह हमारे डाइरेक्टर के साथ में जाकर एन्क्वायरी करे, मैं ऐसा मानता हूं कि यह सही परम्परा और ठीक परम्परा नहीं होगी। यदि कोई ऐसे प्रश्न हैं कि जो मर्द डाइरेक्टर के सामने लड़कियां नहीं कह सकती हैं तो मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि जो हमारी लेडी डिप्टी डाइरेक्टर हैं या ऐडीशनल डाइरेक्टर हैं वह उनके साथ जायं और यदि कोई और प्रश्न करना है या और कोई बात किसी लड़की को बतानी है तो उन बातों की जानकारी लेडी डाइरेक्टर को वह करा दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस बात को देखते हुए कि उस कालेज में पार्टी बन्दी है अध्यापकों में और इस बात को भी देखते हुए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया कि कुछ लड़कियां उसमें औसत से ज्यादा कमजोर हैं, तो मुख्य मंत्री ने क्या व्यवस्था की है उन परीक्षार्थियों के लिये, जो कि उसमें बैठ रहे हैं, जिसमें कि अध्यापकों की प्रेजुडिस से और इस आन्दोलन से उनके परीक्षाफल पर कोई असर न पड़े?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लड़कियों की परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ सकता है क्योंकि जो एग्जामिनर लड़कियों को एग्जामिन करते हैं वह एक नहीं होते हैं। इन्टर्नल एग्जामिनर ही नहीं होता है। जो दो एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आते हैं और इस विषय में स्वतः जब मेरी जानकारी करायी गई तो मैंने वहां के प्रिंसिपल महोदय से कहा कि जब वाइवा वोसी इत्यादि हो तो वह भी जाकर थोड़ी देर बैठें और जो इन दो लड़कियों की शिकायत के सिलसिले में चर्चा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हुई हैं उन्होंने अपनी जानकारी की बुनियाद पर यह सरकार को साफ किया है कि यह लड़कियां एवरेज से भी बहुत कमजोर लड़कियां हैं।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि किसी गिरोह के हाथ में फंसकर इन लड़कियों ने इस मार्ग का आश्रय लिया तो वह गिरोह कौन-सा है और उस कालेज में कौन-सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों ने इन बालिकाओं को बाध्य किया ऐसे मार्ग का अनुसरण करने के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब मैं समझता हूं कि यह बहुत ब्यौरे में जाने से संस्था का हित सिद्ध नहीं होगा। बता मैं सब सकता हूं और मैं यह वचन देता हूं कि विरोधी दल के नेतागण यदि उन तमाम बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो जो कुछ मेरी जानकारी है और जो कुछ मेरे पास लिखी हुई चीज है वह मैं उनको दिखा दूंगा। बजाय इसके अगर सदन में चर्चा करूं तो कानपुर का मेडिकल कालेज एक नयी संस्था है और एक बहुत बड़ी संस्था हमने बनायी है, यदि उसके बारे में अभी से इस प्रकार के विचार जनता में प्रकाशित होते रहे तो उस संस्था का इसमें भला न होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल, जो सुझाव दिया जा रहा है क्या यह आपको सूट नहीं करेगा ? मैं समझता हूं कि यह सदन को भी सूट कर सकता है क्योंकि मामला ऐसा है कि जिसमें हम सभी उत्सुक हैं कि संस्था भी रहे और बालिकायें जो पढ़ रही हैं वह वहां सुरक्षित रहें और प्रेस में या बाहर इस प्रकार का अपयश भी किसी का न हो तो क्या यह ठीक न होगा, अगर माननीय नेता विरोधी दल माननीय नेता सदन से मिलकर कागजात देख लें ? ऐसा मैं कुछ समझा था कि आपका भी विचार था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है वह मुझे स्वीकार है। मैं कब चाहूंगा कि कन्याओं का इस प्रकार अपमान बाहर हो या जिस संस्था को आप बना रहे हैं उस संस्था के बारे में इस प्रकार का इम्प्रेशन लोगों पर पड़ जाय ? मैं बिलकुल मुख्य मंत्री जी की बात मानने के लिये तैयार हूं। जो भी समय वह निर्धारित करें तो मेरे पास जो भी कागजात हैं वह लेकर मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मेरा निवेदन यह है कि जो बात शंकर से कही गई है उससे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां पर नहीं कहना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि माननीय दुबे जी को वह दिखा देंगे। मैं समझता हूं यह विषय ऐसा है कि जिसकी हम सबको चिन्ता है और यह मामला बहुत गंभीर है। तो मेरा सुझाव यह है कि कम से कम जो विरोधी दलों के लीडर हैं पांच उनको वे कागजात दिखा दिये जायं तो वे अपने दलों को बतला देंगे जिससे एक संतोष लोगों को हो जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने सभी नेताओं से कहा था कि दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि हमारे जितने विरोधी दलों के नेता हैं जिनको मैंने मान्यता प्रदान की है उन सब को वह आमंत्रित करते हैं और मेरा खयाल है कि जेड० ए० अहमद साहब ने कहा था कि पांच महिलायें जाकर छानबीन करें तो उन पांच महिलाओं के स्थान पर पांच नेता अब जाकर उन पेपर्स को देख लें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—व्यवस्था के संबंध में मेरा कहना यह है कि जो विषय इस सदन में पेश हुआ उस विषय पर नेता विरोधी दल विभिन्न दलों के नेता से बात करने के लिये तैयार हैं, लेकिन इस सदन में कुछ अन्य निर्दलीय सदस्य भी बैठते हैं तो उनके लिये जानकारी का कौन-सा माध्यम होगा, इस विषय पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आप तो निर्दलीय नहीं हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—श्रीमन्, यह एक सदस्य के मौलिक अधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके तो संरक्षक मौजूद हैं। तो अपने आपको क्यों अनाथ समझते हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमान्, दलों के संबंध में मेरा ऐसा विचार है कि जितने यहां पर निर्दलीय चुनकर आये हैं वह भारी बहुमत से जीतकर आये हैं । इस कारण अनाथ नहीं हैं । सही बात यह है कि कई राजनैतिक पार्टियों के विरुद्ध अनेक निर्दलीय खड़े हुये और कई हजार वोटों से जीतकर वह यहां आये हैं। वह कई राजनैतिक पार्टियों से आगे उन्हें पीछे करके जीतकर आये हैं और कई पार्टियों से आगे भी हैं। जो लोग आगे उनसे चुनकर आये हों उनको आप पीछे भेज देना चाहते हैं । हम अनाथ नहीं हैं क्योंकि हम सब से आगे जीतकर आये हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपके लिये नहीं कहा था । मैं कल्पनार्थसिंह जी से बात कर रहा था ।

गोरखपुर और बस्ती जिलों के उत्तरी भाग में नैपाल पुलिस द्वारा आतंक फैलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन्, यह सत्य नहीं है कि गोरखपुर और बस्ती जिलों में नेपाली सीमा पर रहनेवाले भारतीय नागरिकों में कोई असुरक्षा की भावना फैली हुई है । यह भी ठीक नहीं है कि नेपाली पुलिस की कार्यवाहियों के फलस्वरूप इस प्रदेश के सीमावर्ती थानों के इलाके लोटन, नई कोट तथा पुरन्दरपुर में आम जरायम बढ़ गये हैं । ऐसी कुछ घटनायें अवश्य हुई हैं जिनमें नेपाली पुलिस के आदमियों ने आकर बस्ती तथा गोरखपुर जिलों के इलाकों में गैर-कानूनी काम किये । इस सिलसिले में जो वाकयात हुये हैं वह इस प्रकार हैं । जिला बस्ती में जुलाई, १९६१ में नेपाली पुलिस के दो सिपाहियों ने एक नेपाली को बजाहा गांव, जिला बस्ती से पकड़ कर नेपाल ले जाने का प्रयत्न किया परन्तु हमारे पुलिस के समय पर पहुंच कर कार्यवाही करने से इस अवैध गिरफ्तारी को रोका गया । ८-११-१९६१ को नेपाली पुलिस के कृष्णानगर थाने के कुछ सिपाहियों ने श्री मागिरि को बढ़नी रेलवे स्टेशन, जिला बस्ती के पास से पकड़ कर नेपाल ले जाने की कोशिश की किन्तु वहां की जनता ने उनके प्रयत्न को असफल कर दिया । इस मामले की जांच की गयी और एक केस रजिस्टर कर दिया गया है तथा उसकी तफतीश हो रही है। २३-१-१९६२ को समाचार मिला कि नैपाली पुलिस के आदमियों ने ग्राम काजीजोत के रहनेवाले मुहम्मद यासीन को रात में आकर पकड़ लिया तथा उनको नैपाल ले गये । एक मुकदमा धारा १४८-१४९-४४८-३६५ आई० पी० सी० के अन्तर्गत थाना चिलिहा में रजिस्टर किया गया है । इस मुकदमे की भी तफतीश हो रही है । कहा जाता है कि मुहम्मद यासीन नैपाल में किसी डकैती के मुकदमे में तलब थे । इसी प्रकार जिला गोरखपुर में नैपाली पुलिस मैन ५-४-१९६१ को सुनौली गांव, थाना नईकोट में आकर श्री गयाप्रसाद बस कंडक्टर को पकड़ कर नैपाल ले गये और वहां से उनको ७-४-१९६१ को छोड़ा । इसी प्रकार गांव फरेंदी, थाना नईकोट में २४-२-१९६२ को नैपाली पुलिस ने एक व्यक्ति को यह कह कर कि वह एक डकैती में तलब है, पकड़ा मगर वह अपने आपको छुड़ा कर भाग गया तथा उसको फिर पकड़ने के प्रयत्न को वहां के लोगों ने ही असफल कर दिया । इसी प्रकार के एक दो मामले और हुए हैं ।

यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि इन वाकयात की वजह से आम जरायम की हालत इन थानों में बिगड़ गयी है । यह अवश्य सही है कि नैपाल के अन्दर जो आपसी झगड़ा चल रहा है

[श्री नवलकिशोर]

उस सिलसिले में नैपाल में सीमा के करीब अगर कोई वाकयात हो जाते हैं तो कुछ हमारी जनता भी चिंतित हो जाती है। सरकार ने बार्डर जिलों की पुलिस के इन्तजाम के लिये अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग (स्टाफ) और इक्विपमेंट की स्वीकृति दे दी है जिससे स्थानीय जनता की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हो सके। सरकार इस इलाके में विधि और व्यवस्था (Law and order) कायम रखने के सिलसिले में जो भी कदम आवश्यक होगा उठायेगी। इस सिलसिले में जो केस रजिस्टर होते हैं उनकी तफतीश की जाती है और महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—केवल एक प्रश्न होगा।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—यह तो बड़ा महत्व का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—सुन लीजिये जिस शर्त पर यह हुआ था। गोरखपुर तथा बस्ती जिलों के उत्तरी भागों में नैपाल की पुलिस द्वारा आतंक के संबंध में श्री नरसिंह नारायण ने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। श्री अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को भी उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी, किन्तु सम्बद्ध मंत्री उक्त विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुये, वक्तव्य देंगे।

श्री नरसिंहनारायण—दफा ५२ में भी मैंने यह प्रश्न दिया था तो आपने कहा था कि जिस समय मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे उस समय आप प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसी वजह से कहा कि आप एक दो प्रश्न कर लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण—इस बात को देखते हुए कि सरहद पर इस प्रकार की छिटपुट घटनायें रोज हो रही हैं, और इससे भारतीय नागरिकों के अन्दर, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच के अन्दर, देवरिया के अन्दर, जो सरहद के इलाके हैं, उनमें आतंक फैल रहा है, सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सरहद का मसला ऐसा है कि जो अब राष्ट्रीय रूप धारण करने लगा है और जो नैपाल के नागरिक या वहां की पुलिस आकर ऐसी छिटपुट बातें करती है तो वह ऐसा विषय है कि जिसको मैं यहां सदन में नहीं रख सकता। इतना ही कह सकता हूं कि सरकार इन तमाम मामलात में सचेत है और कोई ऐसी बात नहीं होने देगी कि जिससे कोई भय उस क्षेत्र के निवासियों में पैदा हो या कोई दिक्कत पैदा हो या कोई ऐसा विचार उनमें पैदा हो कि सरकार की तरफ से उन मामलात के सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को या यहां के नागरिकों को यदि नैपाल के नागरिक या वहां की पुलिस आकर परेशान करती है तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कायदा है, हमें केन्द्रीय सरकार के समक्ष उन तमाम बातों को रखना पड़ता है और उनको बराबर हम इन तमाम बातों की सूचना देते रहते हैं और अपनी ओर से, जो कार्यवाही हमें करनी चाहिये, उसमें सचेत रहते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि बहराइच जिले के हीरासिंह को पंडित पुरवा से, जागराम थारू को कौड़ियाना से और बहराइच से नैपाली कांग्रेस के दफ्तर के कैंप से भी एक व्यक्ति का अपहरण किया गया? इन घटनाओं को देखते हुए जो नैपाली पुलिस हमारे भारत में घुसती चली आ रही है उस संबंध में क्या कोई सुरक्षा की कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा मैंने निवेदन किया सरकार इस विषय पर जागरूक है और जो घटनायें हो रही हैं उसकी उसको जानकारी भी है। कुछ घटनायें जो इधर से लोग करते हैं उसकी जानकारी भी है। अब हम क्या-क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर सकता।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी जानकारी के अनुसार अब तक इस तरह की कितनी घटनायें हो चुकी हैं ?

श्री नवलकिशोर—जो सूचना मेरे पास है वह तो करीब ११-१२ केसेज की है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि वहां आये दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं, लेकिन वहां पर कम्युनीकेशन के कोई साधन नहीं हैं, न पुलिस के लिये हैं और न किसी अधिकारी के लिये हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वहां सुरक्षात्मक कार्यवाही की जा सके ?

श्री नवलकिशोर—माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि यह तमाम बातें उनके सामने हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८—शिक्षा (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक पर, शिक्षा अनुदान पर, विवाद शुरू होगा ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, यह जो विषय है, जिस पर कल हमारे माननीय साथी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और जिसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं, यह बहुत ही गंभीर विषय है । मैं इस संबंध पर ४ शब्द कहना चाहता हूं ।

(इस समय २ बजकर ४८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, शिक्षा हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सब प्रकार की उन्नति का आधार है और हमारी तरक्की इसी पर चल रही है । जो भविष्य हमारे प्रदेश का है वह शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है । यह मानी हुई बात है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता चला जा रहा है । आज पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट तथा अन्य कम्पेटीशन की रिपोर्टों को देखिये, उनके नतीजे को देखने से यही पता चलता है कि हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है । आज उसकी तह में हमें जाने की जरूरत है । इसमें जरूर कोई बहुत बड़ी खामी है, उसकी खोज हमें करना है । मैं शिक्षा का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में रहकर मैं जो देखता हूं उसी को मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं । आज हमारे प्राइमरी और सेकेन्डरी एजूकेशन में खामियां नजर आ रही हैं । हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों की संख्या कम हो रही है और प्रदेशों के मुकाबले में । दूसरे जो इन स्कूलों में भर्ती टीचर्स की होती हैं वह इस आधार पर नहीं होती कि वे योग्य टीचर्स हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं या नहीं । आज वहां बहुत कुछ राजनीति घुसी हुई है । पिछले चुनाव में हमने देखा कि जहां अन्तरिम जिला परिषदें कांग्रेस दल के नेताओं के हाथ में रहीं वहां पर प्राइमरी स्कूल और सेकेन्डरी स्कूल के टीचर्स से बजाय इसके कि पढ़ाने का काम लिया जाय बराबर, निरंतर काम चुनाव के संबंध में लिया गया । तो आप सोच सकते हैं कि जिस अध्यापक से रोज निजी काम लेंगे और उस काम के उसके कार्य की तुलना करेंगे तो उसका नतीजा क्या हो सकता है । प्राइमरी एजूकेशन हमारी जड़ है जहां से शिक्षा प्रारम्भ की जाती है । मैं अपने जिले के उदाहरण देता हूं कि आम चुनाव के अन्दर

* ९ मई, १९६२ की कार्यवाही से ।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

चेयरमैन महोदय ने घोषणा की कि कुछ अध्यापकों की जरूरत है, उसके सम्बंध में सैकड़ों उम्मीदवार आये । उनसे कहा गया कि तुम इलेक्शन में काम करो, हम उनकी क्षमता देख कर तैनाती करेंगे और मैं यह कहता हूं कि जो टीचरों का चुनाव हुआ उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास रह गये और जो आठवें पास अध्यापक थे वह लिये गये । नियम जरूर है कि आठवीं के लड़के लिये जा सकते हैं, लेकिन यह तभी का है जब शिक्षा में कमी थी और कम पढ़े लिखे लोग मिला करते थे । आज इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास लोगों की कमी नहीं है । मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, लेकिन सभासचिव हैं, मेरा सुझाव है कि हमारे नियम का कड़ा पालन होना चाहिये कि हाई स्कूल पास योग्यता से कम प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं होना चाहिये । यह हम सब जानते हैं और मैं दावे से कहता हूं कि जो आठवीं पास टीचर है वह दरख्वास्त तक नहीं लिख सकता तो क्या पढ़ायेगा ?

दूसरी बात यह है कि आज जो भ्रष्टाचार हमारे लोअर स्ट्राटा में फैल रहा है अध्यापकों में यह शोचनीय और शर्मनाक बात है और देश के लिये भी होती जा रही है । हमारा एक बच्चा पढ़ने जाता है और महसूस करता है कि हम रुपया पैसा देकर पास हो सकते हैं, तो उसके मानसिक विकास पर क्या असर पड़ेगा और उसके मस्तिष्क में क्या नींव पड़ती है । मैं कहूंगा कि हमारा अधिकारी वर्ग कड़ाई से उसकी रोकथाम करें, जिनके हाथ में शासन की जिम्मेदारी है वह देखें । अगर भ्रष्टाचार वहीं से जड़ पकड़ लेगा तो बड़ी मुसीबत होगी ।

श्रीमन्, मुझे क्षमा किया जाय अगर यह अनपार्लियामेंटरी हो कि हायर सेकेंडरी और प्राइमरी एजूकेशन के साथ खिलवाड़ किया गया है । रोज नयी स्कीमें निकलती हैं । जो लोग वेल टु-डू हैं, जो अधिकारी वर्ग के हैं और मंत्रिगण हैं हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंगलिश स्कूल में पढ़ने जायं जहां एंग्लो इंडियन या सीनियर कैम्ब्रिज कैटेगरी से पढ़ाया जाता है । इससे अंग्रेजी राज्य में जो अंग्रेजी को स्थान था उससे आज वह १० गुना बढ़ गया । लोग महसूस करते हैं कि हमारी पद्धति का स्तर गिर गया और उनकी पद्धति कायम है, यह शर्म की बात है, खुशी की बात नहीं है । मुझे खुशी है, मुमकिन है हमारे साथी कुछ चौंके, लेकिन आजकल की स्थिति में सर्विसेज के लिये यह आवश्यक है । मेरा अनुभव हायर सेकेंडरी स्कूलों के मैनेजर और प्रबन्धक के नाते यह है कि वहां भी स्तर गिरता चला जा रहा है । सरकार के जो कायदे कानून जाते हैं उनसे हायर सेकेंडरी के जो प्राइवेट या एडेड स्कूल्स हैं उनमें काफी गड़बड़ी हो गई है, डिसिप्लिन का नाम नहीं रह गया है । मैं बड़ी खुशी से इस बात का समर्थन करूंगा कि सरकार सारे एडेड स्कूलों को अपने हाथ में ले ले और उनका संचालन करे । लेकिन सरकार न तो उन स्कूलों को अपने हाथ में लेना चाहती है और न मैनेजमेंट को काम ही करने देती है । नतीजा यह होता है कि जो आप चाहते हैं कि एजूकेशन बढ़े वह नहीं हो पाता । अध्यापक पार्टीबाजी में पड़ते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम जाता है । प्रबन्धक और मैनेजर को अकर्मण्य बना दिया गया है, वह आंख नहीं उठा सकते हैं । सरकार समझती है कि केवल ट्रेजरी बेंचेज के पास ही बुद्धिमत्ता है, जो प्रबन्धक हैं जिन्होंने मेहनत से स्कूलों की स्थापना की है वह इस योग्य नहीं हैं । इससे कोई इनकार नहीं कि आप मास्टरों को काफी प्रोटेक्शन दीजिये, उनको बोर्ड में जाकर अपील करने का भी अधिकार है, और बहुत से मैनेजमेंट के फैसले उलट भी जाते हैं लेकिन यह कहां तक उचित है कि मैनेजमेंट एक एप्वाइंटमेंट या किसी दूसरे छोटे काम को भी इन्सपेक्टर महोदय से पूछ कर करे । मैनेजमेंट कमेटी में जो हैं उनका भी कुछ स्वाभिमान है, यह उचित नहीं कि हर छोटी बात को इन्सपेक्टर महोदय के पास पूछने के लिये जायं । इसका नतीजा यह होता है कि मास्टर समझने लगते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता । वह क्लास में जाकर बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं लेकिन मैनेजमेंट उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता । मैं समझता हूं कि सभासचिव महोदय इस बात को बोर्ड

करेंगे । आप उनके मास्टरों को प्रोटेक्शन दीजिये, ग्रान्ट्स दीजिये, उनकी तरक्की कीजिये और उन स्कूलों को सरकारी स्कूलों के स्तर पर ले आइये लेकिन साथ ही साथ आप जितने अधिकार इंसपेक्टर को देते हैं, डिप्टी डाइरेक्टर को देते हैं उतने मैनेजमेंट को भी दीजिये । आज सरकारी स्कूलों में तो यह सुविधा है कि एक टीचर को गोंडा से अल्मोड़ा भेजा जा सकता है लेकिन प्राइवेट स्कूलों को यह कठिनाई है कि वह ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको झक मार कर सामना करना पड़ता है । नतीजा यह होता है कि इनडिसिप्लिन बढ़ती जाती है और एजूकेशन का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। आप मैनेजमेंट पर नियंत्रण रखिये लेकिन कुछ अधिकार दीजिये ताकि वह अपनी संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों को ठीक से कंट्रोल कर सकें । हमारे सामने मैडिकल कालेज में आचरण का अभी सवाल आया । एडेड स्कूलों में भी इस तरह के सवाल आया करते हैं और मैनेजमेंट के सामने एक समस्या पैदा हो जाती है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता । नतीजा यह होता है कि अनुशासन-हीनता, भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता है और उसकी कोई रोक-थाम नहीं हो पाती । आज सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या नाम मात्र ही है, केवल ५ परसेंट लड़के ही सरकारी स्कूलों से निकलते हैं, शेष प्राइवेट स्कूलों से ही पास होकर निकलते हैं । इसलिये सरकार को उन्हें जिम्मेदार बनाना चाहिये । अगर मैनेजमेंट ठीक काम नहीं करता है तो सरकार उनको अपने हाथ में ले ले । सरकार ने इंटरमीडिएट ऐक्ट का जो संशोधन पास किया है उसके द्वारा मैनेजमेंट कमेटी को अकर्मण्य बना दिया है । आपको इस शिक्षा के साथ राजनीति और खिलवाड़ नहीं करना चाहिये । इसको अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिये ।

इसके अलावा टीचर्स के सेलेक्शन की गवर्नमेन्ट की तरफ से एक पद्धति है । उनको नामिनेट किया जाता है । जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनमें नामिनेशन होता है । अंग्रेजी राज्य में तो यह पद्धति मुनासिब थी कि वे अपने खासखास पिठ्ठुओं को रखते थे लेकिन आज इस प्रकार से उनकी नामजदगी करना उचित नहीं है । मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जो सरकार की तरफ से नामिनेट किये जाते हैं उनके साथ फेवरिटिज्म किया जाता है और थर्ड क्लास होते हैं बे० टी० सी० के लिये हाईस्कूल लिये जाते हैं और मिडिल स्कूल थर्ड क्लास नार्मल ट्रेनिंग के लिये जाते हैं । जब आप ही इस प्रकार से पक्षपात करेंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमैनों से आप किस प्रकार से ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हैं । इसलिये आपको यह नामिनेशन का तरीका बंद कर देना चाहिये और टीचर्स के एप्वाइन्टमेन्ट को सरकार को अपने हाथ में नहीं रखना चाहिये । जब तक एजूकेशन में निष्पक्षता नहीं आयेगी तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता । टीचर्स का चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर होना चाहिये मैं आशा करता हूं कि मैंने जो छोटे-मोटे सुझाव दिये हैं उनको सरकार विचार करके मान लेगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब हम शिक्षा की प्रगति की ओर दृष्टि डालते हैं जो हमारे प्रदेश में हुई तो हमें मालूम होता है कि शिक्षा में नीचे से ऊपर तक प्रगति हुई है । प्रारंभिक माध्यमिक और उच्चस्तरीय सब प्रकार की शिक्षा में प्रगति हुई है । जब मैंने इस पुस्तिका को पढ़ा तो मुझे दो तीन बातें ऐसी मालूम हुईं जिनके पूरे हो जाने के बाद हमें स्पष्ट रूप से यह मालूम होगा कि हम आगे बढ़े हैं। मसलन १,००० स्कूलों को लाइब्रेरीज के लिये प्रति स्कूल २७५० रुपया दिया जायगा । २५० स्कूलों को खेल के मैदानों के लिये ५,६०० रुपया प्रति स्कूल दिया जा रहा है, १५० बालिकाओं के स्कूलों की सज्जा के लिये १,१२,१०,००० रुपया दिया जा रहा है ।

परन्तु एक बात मैं आपके द्वारा इस अवसर पर रख देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी आजादी को १५ वर्ष हो गये और जैसे-जैसे शिक्षा पर हम रुपया खर्च करते चले आ रहे हैं हमारी प्रगति हो रही है लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब कि हम हर विभाग में स्टेबिलिटी महसूस करें। यह हो रहा है और हम आगे भी करेंगे । मिसाल के तौर पर मैं बताऊं ।

[श्री जगदीशप्रसाद]

इसी पुस्तिका में लिखा हुआ है---"इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पहली आवश्यकता जो प्रतीत हुई वह यह थी कि सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय अनुदान प्राप्त होने लगे जिसमें वे धनाभाव की कठिनाई से मुक्त होकर उन्नति कर सकें। इसी उद्देश्य से तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ६०० माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाने का प्रस्ताव है"। आगे फिर कहा गया है---"आशा की जाती है कि इस वर्ष में करीब-करीब सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय अनुदान सूची पर आ जायेंगे।" मैं समझता हूं यह उत्तर प्रदेश का पहला ही बजट है जिसमें ऐसी आशा दिखायी गयी है कि इस वर्ष और ज्यादा से ज्यादा अगले वर्ष में तमाम मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता प्राप्त हो जायगी। यह किसलिये हुआ? इसीलिये कि हमने कोई निश्चित नीति अपनाई। इसी प्रकार से हमें स्टैबिलिटी लाने के लिये कुछ नियम बनाने होंगे और उनको बनाकर हमें उन पर दृढ़ हो जाना होगा।

अभी तक होता यह है कि हमें रिकगनीशन के लिये इलाहाबाद और लखनऊ दौड़ना पड़ता है। अगर हम इसको डिसेन्ट्रेलाइज कर दें तो बहुत अच्छा हो। अनुदान को और रिकग्नीशन को आप जिले के लेबिल पर रख दें और कुछ नियम बनाकर सुगमता से पालन करें तो बहुत अच्छा हो और लोगों को इसमें सुविधा भी बहुत हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का संबंध रोजगार से होता है। जब हम इस दृष्टि से इस पुस्तिका को देखते हैं तो इसमें भी हमें मालूम है कि शिक्षा के करीकुलम में चार वर्गों के स्थान पर ७ वर्ग कर दिये गये यानी ३ वर्ग बढ़ा दिये हैं कृषि, वाणिज्य और इस इस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया है। क्या उसमें कोई सफलता मिली? मैं आपके द्वारा यह सुझाव देता हूं कि कुछ थोड़ा-सा विकेन्द्रीकरण किया जाय तो इसमें ज्यादा सहायक होगा। जिला स्तर पर ही देखा जाय कि अगर हमारे जिले में २५ हायर सेकेंडरी हाई स्कूल्स हैं तो उनको अलग-अलग कुछ उद्योग ट्रेनिंग के लिये दे दिये जायें। शिक्षा का एक सही उद्देश्य होना चाहिये। शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिये कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद हर विद्यार्थी अपने रोजगार के बारे में कुछ सोच सके। अगर वह डेकिनकल साइड में हो तो उसके ऊपर सोच सके। अगर वाणिज्य साइड में है तो उसके बारे में सोच सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आपको चाहिये कि जिस जिले में जो इंडस्ट्री हो उस जिले की शिक्षा संस्थाओं को उस इंडस्ट्री के लिये कुछ सहायता दें जिससे वहां के विद्यार्थी उस विषय में शिक्षा पा कर वहीं पर रोजगार में लग जायं, उनको कहीं और जगह रोजगार के लिये न भटकना पड़े। अगर थोड़ी सी सहायता सरकार की तरफ से मिले तो वे लोग उन्हीं जिलों में एबजार्व हो सकते हैं और आपकी बेरोजगारी की समस्या कुछ हल हो सकती है।

जहां तक बेसिक शिक्षा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि बेसिक शिक्षा नाममात्र को रह गयी है। उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था कि उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी फौरन रोजगार में लग जायं और जीवन की आवश्यकताओं का उत्पादन करते हुए शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन यह चीज आज नाम के लिये हो रही है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इसके ऊपर सोचें चाहे कोई कमेटी बना दें जो इस पर सोचे या विभाग ही इस पर सोचे कि बेसिक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने टीचरों और व्यवस्थापकों की है। बहुत दिनों से यह समझा जाने लगा है कि अध्यापकों का एक वर्ग है, व्यवस्थापकों का दूसरा वर्ग है और सरकार तीसरे वर्ग में है। मैं समझता हूं कि तीनों के अलग-अलग रहने से शिक्षा की मशीनरी नहीं चल सकती है। मैं समझता हूं कि तीनों के एक साथ मिल कर काम करने से ही शिक्षा आगे बढ़ सकती है। कुछ समय पहले एक अधिनियम यहां से पारित हुआ जो अध्यापकों को कुछ संरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था और उसके द्वारा अध्यापकों को कुछ संरक्षण दिये

भी गये । उस अधिनियम को बनाते समय काफी बहस उस पर हुई लेकिन व्यवस्थापकों की उचित मांगों को बिलकुल नजरअंदाज कर दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सी संस्थाओं का चलना मुश्किल हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि उसमें आपने एक प्रोविजन कर दिया है कि किसी अध्यापक को भी ऐसी सजा न दी जायगी जिससे उसकी नौकरी चली जाय या जिसमें उसे (स्थायी अध्यापक को) सस्पेंड किया जा सके या जिससे उसके वेतन पर कोई असर पड़े। अभी जैसा कि राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में यदि कोई टीचर मुख्य अध्यापक के मुताबिक नहीं रहता है अनुशासन में नहीं रहता है और प्रिंसिपल द्वारा यह समझा जाता है कि ऐसे अध्यापक को स्कूल में नहीं रहना चाहिये तो थोड़े समय के अन्दर ही उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। मेरे सामने ऐसी बातें आती हैं कि बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिनसे संस्था का कोई हित नहीं है बल्कि वे संस्था वालों को परेशान करते हैं फिर भी उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है।

आज से ५-६ साल पहले मैं एक स्कूल का व्यवस्थापक था। वहां के एक अध्यापक के खिलाफ शिकायत हुई जिसको हटाने में मुझे दो तीन वर्ष लग गये जब कि यह ऐक्ट भी नहीं था क्योंकि हर बार वे महीने दो महीने के लिये कभी इन्स्पेक्टर से कभी किसी से कुछ न कुछ लिखवा लाते थे जिससे मामला जहां का तहां पड़ा रह जाता था। चूंकि मामला संगीन था इसलिये वे रुक नहीं सके लेकिन फिर भी इस किस्म का प्राविधान कर देने से इस तरह की संस्थाओं के चलाने में बहुत रुकावट होती है।

अध्यापकों की मांग का सवाल जब आता है तो हम इस बात को मानते हैं कि उनके साथ वही नीति बरतनी चाहिये जो सरकारी स्कूलों के साथ बरती जाती है मैनेजर्स एसोसिएशन ने हमेशा इसका समर्थन किया है। जितनी सुविधायें उनको मिलती हैं उनको भी दी जायं कुछ दिनों पहले यहां एनाउन्स किया गया था कि एडेड स्कूलों के अध्यापकों को भी चिकित्सा की सुविधायें उसी तरह से दी जायेंगी जैसी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दी जाती हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। बार-बार अध्यापक पूछते हैं वह दी जानी चाहिये। यदि आप उनको एलाउन्स देते हैं तो दें उनको और कोई अधिकार देना चाहते हैं तो दें लेकिन हर अधिकार के साथ कर्तव्य होता है यदि कर्त्तव्य नहीं होता तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि गवर्नमेन्ट स्कूलों में जो अध्यापक रहते हैं वे अनुशासन के अन्दर रहते हैं वे किसी पोलिटिक्स में कोई भाग नहीं ले सकते जब कि प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापक पोलिटिक्स में खुल कर हिस्सा लेते हैं। गवर्नमेन्ट स्कूलों के अध्यापकों का सम्बन्ध केवल अध्यापक जीवन से ही रहता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि उनके ऊपर भी कोई तरह का बंधन लगावे कि वे पोलिटिक्स में भाग न ले सकें।

उन को छोड़कर जैसा कि प्राविधान है कि कौंसिल में कुछ अध्यापकों के नुमाइन्दे आयेंगे और उनको छोड़कर राजनीति में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिये अगर वह आयेंगे तो संस्थाओं में राजनीति आयेगी और अनुशासन खत्म होगा। माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि आप उन संस्थाओं से काम न लें, सरकार न ले यह ठीक है और वह लेती भी नहीं लेकिन अगर हो तो जब अध्यापक उम्मीदवार होते हैं तो वहीं नहीं बल्कि पास की ८-८ और १०-१० संस्थाओं में राजनीति घुस जाती है और वैसा वातावरण हो जाता है।

एक बहिन ने एक सुझाव यहां दिया कि प्रिन्सिपल की नियुक्ति यहां से होनी चाहिये इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि अगर आप नियुक्ति यहां से करते हैं तो वह एक ही नीति के अंग हैं कि आप और व्यवस्थापकों का यकीन नहीं करते हैं और उनके कार्यों में रुकावट डालते हैं तो वहां का रोज का काम चल नहीं सकता और वह चला नहीं सकते।

अभी समय हो तो मैं एक बात और कह दूं और वह यह कि आप के यहां जो टेक्निकल शिक्षा है जिस का कि जिक्र यहां हर साल आता है वह मेडिकल इंजीनियरिंग और कृषि आदि की है। बार-बार कहा जाता है कि इन तीनों प्रकार के कालेजों की शिक्षा के बाद जो विद्यार्थी इन कालेजों से

[श्री जगदीश प्रसाद]

निकलते हैं वे ग्रामों में नहीं जाना चाहते। कितने ही अस्पताल गांवों में खाली पड़े रहते हैं लेकिन डाक्टर वहां नहीं जाना चाहते कोई गांवों में जाकर कृषि की डिग्री के बाद खेती करना नहीं चाहता। इस चीज को आप को सोचना होगा। इस विषय में कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन आये कि विद्यार्थी इन कालेजों से पास होकर गावों में जाकर काम करने के लिये तैयार हों।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन के सामने बहुत सी तकरीरें आप के सामने हुई लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि जैसे मसल मशहूर है कि अंधे के आगे रोना आंखों को खोना होता है। हालत यहां कि यह है कि मंत्री महोदयों ने और सदन के दूसरे सदस्यों ने यह समझ लिया है कि यहां रहना जरूरी नहीं है वह आकर जरा देर बैठकर तकरीर कर के चल खड़े होते हैं और सदन में नहीं बैठते। आप देख कर स्वयं समझ लें कि कितने सदस्य इस समय बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है जिस वक्त यहां पोर्टफोलियोज की तकसीम होती है तो न मुख्य मंत्री और न सरकार के अधिकारी यह देखते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा महकमा देना चाहिये। पिछले दिनों आप ने देखा होगा कि कौंसिल में हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब एजूकेशन एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले गये और वहां के अध्यक्ष महोदय ने उन से पूछा कि आप कौन हैं। ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा का दिया जाना कहां तक मुनासिब है? और कौन हमारा रखवाला है।

शिक्षा के बारे में बहुत सी शिकायतें की गईं। मैं आप के सामने शिक्षा के विषय में कुछ नये सुझाव रखना चाहता हूं। जो बुराइयां हैं वह शिक्षा में आज की नहीं हैं बहुत पुरानी हैं क्योंकि जितनी शिक्षा आज स्कूलों के अन्दर है, जो तालीम बच्चों को दी जा रही है वह अंग्रेजों की देन है और उसी लाइन पर चलकर हम लोग आज भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि वह बाबू पैदा करने वाली शिक्षा है। आज उस की जरूरत नहीं रह गई है। हमें तो अपने यहां इस तरह की शिक्षा का विस्तार करना है जो हमारी आने वाली नस्लों को और उनके भविष्य को उज्ज्वल बना सके। उसके लिये आप को पूरी कोशिश करनी होगी और ऐसे साधन मोहैया करने होंगे ताकि यककलम तमाम पुरानी बुराइयां खत्म हो जायें और मेरा विचार है कि आप को कोई नई चीज लाकर देश के रहने वालों के आगे रखना पड़ेगी।

मैं यह महसूस करता हूं कि वह वक्त जल्द से जल्द आ जाना चाहिये अब देर करने की कोई गुंजायश नहीं है क्योंकि जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है इसके अन्दर कालेजों से लड़के बी० ए०, एम० ए० पास करके निकलेंगे वह बेकारी की संख्या को बढ़ायेंगे जिससे देश को कोई अधिक लाभ नहीं होने वाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर कमिश्नरी में एक रेजीडेंशियल यूनीवर्सिटी कायम करने का प्रयत्न कीजिये ताकि जिस समय बच्चा ५ साल का हो उसको ५ साल से ले कर १५ साल की आयु तक मां बाप से ले लिया जाय और उसको फौमी तौर पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिये इन यूनिवर्सिटीज में। हर विश्वविद्यालय के साथ एग्रीकल्चर के लिये जमीन होनी चाहिये छोटी छोटी अलग अलग किस्म की फैक्ट्रीज होनी चाहियें जहां बच्चा अपने रुझान के मुताबिक ट्रेनिंग पा सके और जब वहां से निकले तो जिस विषय में उसका रुझान हो उस काम को करना शुरू कर दे।

अब सवाल यह रह जाता है कि हमारे देशवासी ५ साल के बच्चे को अपने से अलग करना चाहें कि नहीं इसलिये यह लाजिमी हो जाता है कि पेरेन्ट्स को इस किस्म की ट्रेनिंग हो उनके अन्दर यह विश्वास पैदा किया जाय कि जो हम करने जा रहे हैं वह उनके, उनके बच्चे तथा देश के भविष्य के लिये लाजिमी और अच्छा है और उनसे उसी ढंग से मोहब्बत रखते हुए उन्हें यह दिखाया जाय कि उनका बच्चा उनको बनिस्बत टीचर्स के पास ज्यादा मोहब्बत से रखा जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यही तरीका जापान के अन्दर तथा दूसरे तरक्की पसन्द मुल्कों में किसी हद तक अपनाया जा रहा है। वहां जितने बच्चे रहते हैं उन सबकी एक ड्रेस एक रहन-सहन, खाना पीना, ऊंच नीच का भाव मिटा कर एक सी ट्रेनिंग और सुविधायें देने के बाद वहां एक नई कौम पैदा होती है जो देश की तरक्की के लिये एक सा सोचती है और कंधे से कंधा मिला कर देश के भविष्य को उज्जवल करने की तरफ ध्यान देती है और कोशिश करती है। आपने देखा होगा कि पिछली लड़ाई में जापान को ऐटम बम गिरा कर पराजित किया गया। १९५२–५३ में यह हालत थी कि वहां जो चीज पैदा होती थी उस पर लिखा होता था "आक्युपाइड जापान"। लेकिन आज वह हालत समाप्त हो गई। आज वह इस हालत में है कि हिन्दुस्तान को जिसे १५ वर्ष आजाद हुए हो गये, ऋण देने के काबिल हो गया। यह इसलिये कि उनके अन्दर भावना पैदा की जाती है कि वे अपने लिये नहीं बल्कि जापान के लिये जीते हैं। हमारे यहां भी ऐसी शिक्षा होनी चाहिये। उसके अन्दर यह भावना हो कि हम अपने लिये नहीं जीयेंगे बल्कि देश के लिये देश के उत्थान के लिये जियेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

***शिक्षामंत्री के सभासचिव (श्री अजीज इमाम)**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है और बहुत काफी बातें हमारे माननीय सदस्यगण ने हम लोगों के सामने रखी हैं। उनमें से बहुत सी बातों पर हम आगे अमल करने जा रहे हैं और बहुतों पर हम ग़ौर करेंगे कि उनपर हमें क्या करना चाहिये और बाद में उन पर हम निर्णय देंगे।

दो तीन बातें खास कर कही गयी हैं। एक तो यह कि शिक्षा में हमारा यह प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है जिसको कि हम भी मानते हैं।

एक सदस्य—मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री मोशन पर रिप्लाई दे रहे हैं या सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सदस्य की हैसियत से वह अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

श्री अजीज इमाम—हमारे प्रान्त में कुल १९ प्रतिशत औरतों की तालीम अब तक रही है और ४२ प्रतिशत बालकों की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम औरतों की तालीम को ४२ प्रतिशत और लड़कों की तालीम को ८१ प्रतिशत करने जा रहे हैं। इसके मुताबिक हम तकरीबन आज से दुगुनी तालीम करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जो हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं हो सकी है और ऐसी कोई योजना हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में नहीं है कि जिसमें पिछड़े हुए प्रदेश को इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रदेशों ने हम से दरियाफ्त भी किया है कि आखिर हम कौन सी ऐसी स्कीम पर अमल कर रहे हैं जिससे हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम इतनी ज्यादा प्रगति करने जा रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हिन्दुस्तान भर में ९० प्रतिशत बालकों के लिये और ६२ प्रतिशत बालिकाओं के लिये तालीम के सम्बन्ध में है। इसके मुकाबले में हमारा जो टार्गेट है उसके लिये हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस टार्गेट को पूरा कर लेंगे। ६१–६२ में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहला साल रहा है हम लोगों ने ६,४७० प्राइमरी स्कूल उसमें खोले हैं। इस एचीवमेंट पर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने हमारे प्रान्त को मुबारकबाद दिया है। इससे हमें उम्मीद है कि हम लोग काफी आगे बढ़ सकेंगे।

इसके अलावा बिल्डिंग्स के सिलसिले में, उनकी मरम्मत के सिलसिले में और बालक तथा बालिकाओं के बैठने के इन्तजाम के सिलसिले में भी यहां कहा गया कि उसके लिये कोई साधन नहीं जुटाये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने अन्तरिम जिला परिषद्

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीज इमाम]

के पास २,५०० रुपये ग्रान्ट की शक्ल में ग्राम सभा को दिये हैं जहां नये स्कूल खुलने वाले हैं। इसमें ५०० रुपया पब्लिक का भी चंदा होगा चाहे वह किसी भी शक्ल में हो। इस तरह से ३,००० रुपये की एक बिल्डिंग तैयार की जा रही है जिससे प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन शुरू की जाने वाली है।

एक बात जरूर सोचने की है कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स गिर गयी हैं उनकी मरम्मत के लिये हमने कोई कदम नहीं उठाया है। इस बारे में मैं बता दूं कि जो कि हम डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डस को एजुकेशनल बजट एलाट करते हैं अगर उसका कोई हिस्सा खर्च करने से बच जाता है तो हम उसे वापस नहीं लेते और न वह लैप्स होता है, बल्कि एजुकेशन फंड के नाम से उनके यहां एक फंड है जिसमें यह रुपया डाल दिया जाता है और बहुत काफी म्युनिसिपैलिटीज और अन्तरिम जिला परिषद् आज ऐसी हैं जिनके पास इस फंड में दो, दो लाख रुपये की रकम है। गवर्नमेंट की तरफ से इसका प्रयत्न किया जा रहा है कि इन्हीं रुपयों से पुरानी बिल्डिंग्स की मरम्मत हो। एक बेसिक चीज में आपको बता दूं कि हम पुरानी बिल्डिंग्स के लिये ग्रांट क्यों नहीं देते हैं। हमारा बुनियादी उसूल यह है कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में काफी विश्वास करते हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि ग्राम सभाओं और दूसरे निवासियों के लिये कि वे अपने एरिया की बिल्डिंग्स को देखें और कम्युनिटी की तरफ से उनकी मरम्मत करायें हालांकि इसके अलावा भी, जैसा कि मैंने बताया, एजुकेशन फंड में काफी रुपया मौजूद है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

जूनियर हाई स्कूल के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि आम तरीके से यहां यह भी कहा गया कि प्राइमरी स्कूल्स तो खुलते जा रहे हैं, लेकिन आगे लड़कों की पढ़ाई बिल्कुल डार्क में है, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स का कोई इन्तजाम गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इस पर काफी गौर व खोज करने के बाद हमने एक प्लान बनाया है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जितने बेसिक स्कूल खोले गये हैं उनको ब्लाक्स में डिवाइड करने के बाद अब जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जा रहे हैं और इस साल १०२ स्कूल खोलने जा रहे हैं जिसमें से ६० लड़कों के होंगे और ४२ लड़कियों के। आप इस छोटी सी फीगर को देख कर घबरा न जायं। हमने बहुत से एडेड स्कूल भी मंजूर किये हैं, जैसे ५५८ सीनियर एडेड बेसिक स्कूल खोलने जा रहे हैं जिनको ग्रांट इन एड देंगे। तो कुल ६६० स्कूल हो जायंगे और इस तरह से हम अपना वह प्लान पूरा करेंगे। एक बात अलबत्ता रह जाती है कि इस प्लान में जो हम इतने ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं उस पर आप घबराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ४-५ साल के बाद वे इस लायक होंगे कि जूनियर हाई स्कूल या सीनियर बेसिक स्कूलों में जा सकें। इसके लिये हमें फार्थ फाइव ईयर प्लान में जरूरत होगी कि उनके लिये कोई प्रावीजन रखें और उस प्रावीजन की इस प्लान में जरूरत नहीं है। इसलिये हम प्राइमरी स्कूलों के खोलने के लिये जोर दे रहे हैं और हम लोग जूनियर हाई स्कूल या सीनियर बेसिक स्कूलों को दूसरे प्लान में खोलेंगे।

एक चीज यह कही गयी है कि हमारे यहां टीचर्स अनट्रेन्ड हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रांत ऐसा प्रांत है जहां सब से ज्यादा ट्रेन्ड टीचर्स हैं अब सैकिंड फाइव ईयर प्लान के खत्म पर ७६ फीसदी हमारे यहां ट्रेंड टीचर्स थे प्राइमरी स्कूलों में जब कि आल इंडिया के फिगर्स केवल ६५ फीसदी के हैं। इसलिये हम यह समझते हैं कि इस ऐक्शन में भी हमारी प्रगति कोई खराब नहीं है बल्कि बहुत अच्छी हुई है।

एक चीज सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के डी० ए० के लिये कहा और किसी ने हायर स्कूलों के टीचर्स के डी० ए० के लिये कहा है। हमारे मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि वे हायर स्कूलों के टीचर्स के डी० ए० के बारे

में गौर कर रहे हैं और जल्दी ही फैसला करने जा रहे हैं। क्या फैसला होगा इसका ऐलान वे आगे चलकर करेंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के सिलसिले में १९४६ से ले कर आज तक अगर आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि हम प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह में और डी० ए० हम बढ़ाते आये हैं। १९४९ में, ५१, में, ५७ में, ६१ में और ६२ में बढ़ाया। इस तरह से हम लोग बराबर उनकी दिक्कतों का अन्दाजा करके उनकी पे और डी० ए० बराबर बढ़ाते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप का समय समाप्त।

श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से शिक्षा के अनुदान पर विवाद चल रहा है और इस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और दोनों ओर से शिक्षा की इस प्रगति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। वैसे शिक्षा के महत्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि लोकतन्त्र की सफलता में शिक्षा का कितना योगदान है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से स्कूलों और कालेजों की संख्या बढ़ रही है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से उनमें से निकलने वाले विद्यार्थियों में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता नहीं बढ़ रही है। हमने १४ वर्ष शिक्षा में लाखों और करोड़ों रुपये व्यय किये हैं, लेकिन परिणाम जो निकलता है वह स्पष्ट है कि हमने यहां पर बेकारों की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ली है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि हमने अंग्रेजी समय से प्रचलित पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया। उस प्रणाली से जो देश में क्लर्क पैदा करने के लिये निर्माण की गई थी आज उस प्रणाली के द्वारा, उस पद्धति के द्वारा स्वतन्त्र देश की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकेंगी। इस सदन के सामने जो पुस्तिका पेश की गई है उसमें पहले ही शिक्षा मन्त्री महोदय ने लिखा है कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की मानसिक, नैतिक और शारीरिक शक्तियों का विकास करना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास हुआ हो या न हुआ हो किन्तु नैतिक शक्तियों का विकास हुआ, ऐसा मानना उचित नहीं है। कारण यह है कि आज देश के अन्दर जो विद्यार्थियों के द्वारा स्वरूप प्रकट किया गया है वह वांछनीय नहीं है। सब माननीय सदस्य जानते हैं कि आज देश के अन्दर विद्यार्थियों के आन्दोलन अपनी छोटी-छोटी मांगों के लिये होते हैं। कहीं पर स्कूलों में नकल करते समय विद्यार्थी पकड़े जाते हैं तो अध्यापकों के ऊपर छुरी मारने की घटनायें देखने को मिलती हैं, कहीं पर वे बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो कर्मचारियों की लात घूंसों से मरम्मत करते हैं। कहीं पर वह अपनी बहनों के साथ, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते दिखाई पड़ते हैं। उनका नैतिक स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गिरते हुए नैतिक स्तर के प्रति इस सदन को, इस प्रदेश को और इस देश की जनता को जागरुक होने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों ने कहा और इस पुस्तिका से भी जैसा प्रकट है, इस देश के अन्दर प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन प्राइमरी पाठशालाओं की जो स्थिति है वह बहुत चिन्ताजनक है। रुपया सरकार देने के लिये निश्चित करती है लेकिन जब प्राइमरी पाठशालाओं की इमारतें नष्ट हो जाती हैं तब और जब तक उस पर दूसरी इमारत खड़ी न कर दी जाय तब तक रुपया अनुदान का मिलता नहीं है। गांवों में समस्या यह रहती है कि न तो कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है और न गांव के लोग मिलकर और सहयोग करके इतना रुपया इकठ्ठा कर पाते हैं कि जिससे पाठशाला की इमारत खड़ी कर सकें। सबसे चिन्ताजनक बात प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की है जिनका वेतन-क्रम इतना न्यून है कि वह आज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। वह वेतन जो उनको दिया जाता है बहुत ही कम है। अभी एक सभा में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि हमने उनकी तनख्वाह काफी बढ़ा दी है। लेकिन मान लीजिये तनख्वाह दुगुनी हो भी गई है तो आज की जो आवश्यकता

[श्री जगन्नाथ]

की वस्तुयें हैं उनका मूल्य पहले से पांच गुना, ६ गुना बढ़ गया है और इस मंहगाई के युग में जहां अध्यापक जो प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाता है उस थोड़े से वेतन से अपनी आवश्यकता की वस्तुयें उपलब्ध नहीं कर सकता। वह भूखे पेट रहता है और उसे भूखे पेट रखकर हम यह आशा नहीं कर सकते कि देश के जो होनहार बालक, बालिकायें हैं उनको अच्छी शिक्षा वह दे सकेगा।

मान्यवर, अन्य यूरोपीय देशों में जो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं उनको अच्छा वेतन दिया जाता है और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के समकक्ष ही उन्हें वेतन मिलता। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और वह सब प्रकार से चिन्ताओं से मुक्त होकर पाठशालाओं में विद्यादान का कार्य करते हैं। उसी का परिणाम यह होता है कि वहां की नयी पीढ़ी के नवजात बालक और बालिकायें अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं और वह भावी राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनकर निकलते हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की जो प्रतिष्ठा बढ़ती है उसके कारण चारों ओर की चिन्ता छोड़कर उनका मस्तिष्क केवल पाठ्यक्रम की ओर लगा रहता है। लेकिन आज प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की जो दुर्दशा हमारे यहां है वह कहीं भी नहीं है। उसकी चिन्ता की जानी चाहिये और उनके वेतनक्रम को बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात जो माध्यमिक शिक्षा के बारे में कही गयी है उसमें माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि उनके मंहगाई के भत्ते में वृद्धि की जायगी। यह उत्तम ही है। अभी तक तो सौतले पुत्र का ही व्यवहार उनके साथ किया जाता रहा है। इस कारण उनकी भी उन्नति रुकी हुई है।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिस पर किसी भी राष्ट्र का निर्माण, किसी भी देश का चरित्र और अन्य बातों की रचना निर्भर करती है। उसपर थोड़े से समय में कुछ कह सकना, तो बड़ा कठिन है, लेकिन चूंकि मैं बद्रीनाथ निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं और उत्तराखंड डिवीजन में विशेष परिस्थितियों के कारण हमारे मनीषी राजनीतिज्ञों और चिन्तकों द्वारा निर्मित हुआ है तथा उस विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र की कुछ परिस्थितियां हैं जो कि शिक्षा से सम्बन्धित हैं उनको आपके सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, शिक्षा का स्वरूप क्या हो और 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' इसके अनुसार समय-समय पर शिक्षा पद्धतियों का आविष्कार और निर्माण कैसे हो, इस सम्बन्ध में प्राचीन काल के और वर्तमान पद्धतियों में मतभेद रहा है, जो उस समय मतभेद था आज भी मौजूद है। शिक्षा वही ठीक कही जायगी जो किसी देश की आकांक्षाओं के अनुरूप हो, जो उस देश की संस्कृति और उन परम्पराओं की पूर्ति करती हो जिससे राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर लोगों के नसों में भरता हो। मैं देखता हूं कि जो हमारे पाश्चात्य देश हैं उनको अपनी शिक्षा पद्धति पर बहुत गर्व है और कुछ अंशों तक या बहुत अंशों तक वह ठीक भी है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस सारी शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ी कमी है। उसी कमी का परिणाम है कि आज संसार में लड़ाई का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। मैं, शिक्षा क्या हो, इस सम्बन्ध में पुराने और नये विचारों पर विचार करता रहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि एक विचारक ने बहुत सुन्दर रूप से कहा है कि शिक्षा क्या है :—

"या आधिभौतिकी, आधिदैहिकी, आध्यात्मिकी सा शिक्षा।"

अर्थात् वह शिक्षा जो मनुष्य को स्वावलम्बी बनावे, जिसमें उनमें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति आवे, जिससे भौतिक विकास हो, अपने पर कुछ नियन्त्रण करने की शक्ति उत्पन्न हो, और जो मानव को आध्यात्मिक विकास करने का पूरा-पूरा अवसर दे वही शिक्षा है और जिस शिक्षा में यह बातें न हों उसको शिक्षा नहीं कह सकते। अब इससे अधिक इतने काम

समय में शिक्षा के विषय में कि वह कैसी हो मैं क्या अधिक कह सकता हूं ? स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी जैसे मनीषी, यशस्वी तथा विचारक और मुदालियर जी जैसे विचारकों की अध्यक्षता में कमेटियां बैठ चुकी हैं। हमारी सरकार कहां तक उस पर आगे बढ़ी, यह मैं नहीं कह सकता हूं। मैं वर्तमान सरकार को इसका दोष नहीं देता क्योंकि दासत' का कुप्रभाव जैसे अन्य क्षेत्रों में रहा वैसे ही इस क्षेत्र पर भी रहा है। स्वराज्य के बाद हमारा देश जैसे हर क्षेत्रों में, उसी प्रकार शिक्षा में भी आगे बढ़ा है। मान्यवर, मेरा यह निवेदन विनम्रता के साथ अपनी सरकार से है कि वह एक ऐसी कमेटी बनावे देश के मनीषियों और विचारकों की और वह नये पाठ्यक्रम को देश की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करें जिससे देश का भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, लोगों में विश्वबन्धुत्व का विकास हो और उसके विकास, प्रचार और प्रसार करने में जो शिक्षा लोगों की सफल बनावे उसके अनुरूप हमारा पाठ्यक्रम हो। मैं यह अवश्य कहूंगा कि ऐसे पाठ्यक्रम को बनाने पर सरकार का नियन्त्रण अवश्य रहना चाहिये जिससे कहीं कोई ऐसी दोषपूर्ण बात न हो जाय कि राष्ट्र के विरुद्ध ही पाठ्यक्रम बन जाय।

अब मैं उत्तराखंड की, चमोली जिले की बात आपके समक्ष रखूंगा। इस समय वहां पर हालत यह है कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। विशेष परिस्थिति के कारण उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण किया गया था। मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड डिवीजन के चमोली जिले में अभी अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण नहीं हुआ है। वहां पर ऐडवाइजरी कमेटी उस जिले में काम कर रही है। उनको जो प्रेरणा मिली उससे जनता ने वहां पर अनेक प्राइमरी स्कूल खोले। प्राइवेट तरीके पर अनेक जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल जनता ने वहां पर खोले, लेकिन इधर मैं देखता हूं कि सरकार की तरफ से नये-नये स्कूल खोलने की योजना है। मेरा निवेदन यह है कि नये-नये स्कूल खोलने की योजना जो सरकार की है, वह अपने नये स्कूल तब तक न खोले जब तक वहां पर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकार अपने हाथ में न ले लेवे। प्राइवेट स्कूल राजनीतिक गुटबन्दी के अड्डे बनते जा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है तो सरकार उन स्कूलों को अपने हाथ में लेले। उन प्राइवेट स्कूलों के पास बिल्डिंग है और वे प्राइवेट स्कूल प्राइमरी स्कूल भी हैं और जूनियर हाई स्कूल भी हैं तथा हाई स्कूल भी हैं। उनको सरकार हाथ में लेले। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनको समाप्त होने से सरकार बचाये। जब उनकी दशा सुधर जाय और ये स्कूल उन्नति करने लग जायं तब सरकार नये स्कूल खोले।

मेरे क्षेत्र चमोली जिले में एक बहुत ही विषम प्रश्न पैदा हो गया है। वहां पर ३, ४ प्रकार के स्कूल हैं। एक तो वे स्कूल हैं जिनको जिले के स्तर पर वेतन दिया जाता है। एक वे हैं जहां पर प्रान्तीय स्तर पर वेतन दिया जाता है। इसी तरीके से कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर दूसरे तरीके के वेतन दिये जाते हैं। इस तरह से वेतन की वहां पर एक विषम स्थिति पैदा हो गई है। सब जगह के वेतन क्रम भिन्न-भिन्न हैं। इससे उनमें आपस में ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हो गई है। उसका प्रभाव यह पड़ा है कि अभी वहां के अध्यापकों ने जो चमोली जिले में रहते हैं, उन प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों ने पहली अप्रैल से हड़ताल करने का निश्चय किया था तो मैंने और दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और उनको किसी तरह से मनाया। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर चमोली जिले में सब लोगों को बार्डर का भत्ता मिलता है, लेकिन जो वहां पर अध्यापक हैं उनको नहीं मिलता है। अध्यापकों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। कुछ पिछले महीने का मिला है, लेकिन ३ महीने का अब भी बाकी है। इससे वहां पर बहुत ही संघर्ष की स्थिति है और बहुत खराब हालत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बार्डर की स्थिति पर विचार किया जाय जिससे समय पर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन मिल जाया करे। हमने उनकी हड़ताल को रुकवाने का प्रयत्न किया और उस हड़ताल को रोकवाने में विरोधी दल के हमारे भाई, जो केदारनाथ क्षेत्र से आये हैं, श्री गंगाधर मैठाणी जी, उन्होंने भी इसमें हमारा साथ दिया।

[श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी]

मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान चमोली जिले के डिग्री कालेज की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर कोई भी डिग्री कालेज नहीं है जिससे वहां के लड़के उसमें उच्च शिक्षा पा सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर एक डिग्री कालेज होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन यह भी है कि सीमान्त जिले के नीति गांव में इस तरह से शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये कि वहां पर बच्चे पढ़ सकें। बद्रीनाथ के ऊपर २ मील के फासले पर जो माना स्थान पड़ता है वहां पर सरकार स्वयं उच्च स्कूल खोले। चमोली जिले के बद्रीनाथ क्षेत्र में गमसाली में जो हाई स्कूल खुला है उसको उच्च करने की मांग वहां के लोग कर रहे हैं, उसे इस वर्ष पूर्ण किया जाय। निरन्तर वे लोग अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तलवाडी एक स्थान है जहां पर फौज की भर्ती होती है और वहां के लोग बहुत बहादुर होते हैं। उनकी शिक्षा के लिये भी कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां पर एक प्राइवेट हायर सेकेन्डरी हाई स्कूल चला आ रहा है, लेकिन उनकी मांग है कि सरकार उस स्कूल को अपने हाथ में लेले। वह ऐसा इलाका है जहां पर अंग्रेजों ने माफी में उन लोगों को जमीन दे रखी है। पर अभी तक इस सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि तलवाड़ी क्षेत्र के हाई स्कूल व बद्रीनाथ क्षेत्र में सब स्कूलों को सरकार अपने हाथ ले ले और उनका प्रान्तीयकरण कर दे।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सेकेंडरी और प्राइमरी एजूकेशन के बारे में काफी कहा जा चुका है, मैं सीमित वक्त में जो मेरे पास है, कुछ यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। यूनीवर्सिटी एजूकेशन कितनी महत्वपूर्ण है यह सभी जानते हैं। समाज का बौद्धिक जीवन ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकता जब तक कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन का स्तर ऊपर न उठाया जाय। लेकिन आज बदकिस्मती हमारे प्रदेश की यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों का स्तर दूसरे प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है और पिछड़ता चला जा रहा है। मैं मुबालिग़े से काम नहीं लेता, हकीकत यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों की यह हालत हो गयी है और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन जहां दूसरे प्रदेश की यूनिवर्सिटयों को १८ लाख, १४ लाख ग्रान्ट देता है, हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को मिलता है ३ लाख, २ लाख ४४ हजार, ४२ हजार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, किन्तु उसकी पोजीशन क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्या पोजीशन है? किसी दृष्टि से देखें, मुकाबला करें कलकत्ता, बम्बई या मद्रास यूनिवर्सिटी से, आप पायेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटियों का स्तर नीचा है। लेविल इतना नीचा गिर गया है कि आल इंडिया कंपटीटिव एक्जामिनेशन्स में यू० पी० के केन्डीडेट्स बहुत कम जा पाते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, इस बारे में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था, लेकिन वह बहुत लम्बे चौड़े हैं इसलिये उनको यहां नहीं रखना चाहता, लेकिन दूसरे सूबों के मुकाबले में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में हमारे यहां के लोग बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। नम्बर दो, यू० पी० की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क बहुत कम है और बहुत पिछड़ा हुआ है। चाहे साइन्स में लीजिये, या इकानामिक्स में, या आर्ट्स में, किसी फैकेल्टी में भी लें, वह पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई अप्लाइड रिसर्च यहां होता ही नहीं। फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेश्यो अगर आप देखें तो हमारे यहां एक टीचर पर ५०-६० स्टूडेंट्स का रेश्यो पड़ता है दूसरी यूनिवर्सिटीज में रेश्यो पड़ता है ३० या २५ का। ज्यादा तादाद होने से टीचर स्टूडेंट्स पर अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पाता, भीड़ हो जाती है। तो यह चिन्ताजनक बात है और शिक्षा मंत्री जी को यूनिवर्सिटी एजूकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

अब जहां तक मिनिस्ट्री का सवाल है, एक आम एटीट्यूड आफ नेगलेक्ट, नजरअन्दाज करने का तरीका बन गया है। क्या हो रहा है, वहां किस किस्म की तालीम की जरूरत है, कैसे रीडर्स या प्रोफेसर्स एप्वाइंट होते हैं, उनका रिसर्च का आउट पुट कितना है, यह सब देखने की चीज है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में गुटबाजी है और उसमें हमारी सरकार के खास-खास लोग हिस्सा

लेते हैं, खुल्लमखुल्ला लेते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। बहुत सी घटनायें हुई हैं और उसे बहुत से लोग जानते हैं। तो उनको गुटबाजी का अखाड़ा न बनाया जाय और सरकार द्वारा दखल ज्यादा न दिया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को यूनिवर्सिटीज की आटोनामी को कायम रखते हुए दखल इस तरह देना चाहिये कि वहां के पढ़ाने का स्तर ऊंचा हो, उनका रिसर्च का स्तर ऊंचा हो, नयी नयी फैकल्टी हों, अप्लाइड रिसर्च हो और इस तरफ अफसोस है कि तवज्जेह दी नहीं जाती। महज एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके पर उनके साथ ताल्लुक रखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दस सालों में हमारी सरकार का दखल यूनिवर्सिटियों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि यूनीवर्सिटीज ऐक्ट के अन्दर पिछले १० सालों में इस तरह की तरमीमें की गयी हैं कि जिनके कारण सरकार का दखल ज्यादा से ज्यादा होता चला गया है। आज क्या पोजीशन हो गयी है? अगर कोई भी चीज ऐसी होती है जिसमें फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स होते हैं, वह बिना चान्सलर की इजाजत के नहीं हो सकती। कोई वैसी चीज बिना शिक्षा विभाग के आदेश के नहीं हो सकती। जैसे कि आज एम० ए० या बी० ए० के लिये परीक्षा के लिये प्लानिंग का नया पेपर बनाना है। अब उसके चलाने के लिये क्लासेज की जरूरत होगी, टीचर्स की जरूरत होगी। अब यह प्रश्न पैसे की कमी के कारण रद्द कर दिया जाता है। आपके स्टेट्यूट्स ऐसे हैं कि यूनीवर्सिटीज आपके अन्तर्गत कार्य करती हैं। टीचर्स यूनीवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हों, यह दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। यूनीवर्सिटीज की एक्जीक्यूटिव कमेटियों में जो सरकार के नामिनीज हैं उनका दखल ज्यादा से ज्यादा होता चला जा रहा है। ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता जिससे वे मजबूत हों और अपने पैरों पर खड़ी हों। बल्कि हर छोटी से छोटी चीज के लिये उनको सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि यूनीवर्सिटीज को वे साधन दिये जायं जिसके आधार पर वे नयी-नयी लेबोरेटरीज खोल सकें, अच्छा स्टाफ रख सकें, तथा और जरूरत की चीजें रख सकें। फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी कोई एक्सीडेन्टल नहीं है। वह इस कारण है कि सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है।

मैं आपको बताऊं कि वह कैसे पैदा होती है। यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन जो ग्रान्ट्स देती है उसके मैं अलग-अलग आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सन् १९५६–५७ में ३ लाख ९ हजार ७०० सौ की ग्रान्ट दी गयी। १९५७–५८ में ४१ हजार की, १९५८–५९ में २ लाख ४ हजार की, १९५९–६० में ४ लाख ३ हजार कुछ की। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये देखिये—१९५६–५७ में ३ लाख ३१ हजार, १९५७–५८ में ३६ हजार ९००, १९५८–५९ में ५ लाख ५ हजार, १९५९–६० में २ लाख ८४ हजार के करीब। बम्बई में देखिये—१९५६–५७ में १८ लाख ९० हजार, १९५७–५८ में १४ लाख ६१ हजार, १९५८–५९ में १९ लाख ५४ हजार, १९५९–६० में २४ लाख ८२ हजार। मद्रास में देखिये—१९५६–५७ में २१ लाख, १९५७–५८ में २३ लाख ५० हजार, १९५८–५९ में ४० लाख ५० हजार, १९५९–६० में ३९ लाख ३४ हजार। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में देखिये—२० लाख, २१ लाख, २९ लाख और ४३ लाख। तो यह आंकड़े हैं। जरा आप इन पर गौर करिये कि आपने कितना पाया। दूसरी यूनीवर्सिटीज के मुकाबले में। कारण है कि आप मैचिंग ग्रान्ट्स उनको मोहय्या नहीं कर पाते। यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ग्रान्ट देता है, यदि आप उनको मैचिंग ग्रान्ट्स मोहइया कर दें। इसकी वजह से जो रुपया आपके पास आ सकता है वह नहीं आ पाता। जो आंकड़े मैंने दिये उसमें देखिये तो, लाखों रुपयों का फर्क है। अगर थोड़ा सा रुपया आप लगा दीजिये तो आपको यू० जी० सी० से काफी रकम मिल जायेगी। आप परेशान हैं हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आप उनको मैचिंग ग्रान्ट्स दीजिये, कुछ रुपया लगाइये। आप देखिये कि किस तरह से आप पीछे होते जा रहे हैं।

[श्री जेड० ए० अहमद]

एक बात खास तौर पर बतलाना चाहता हूं । टीचर्स का सवाल है । यूनिवर्सिटी टीचर्स के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने तय किया कि पुराने दो ग्रेड सिस्टम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर ३ ग्रेड सिस्टम सरकार यूनिवर्सिटीज के लिए मान ले । आपने उसको मान लिया----लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर । अब सवाल है कि आप मानने के बाद उस पर अमल नहीं करते । जितने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नये स्केल टीचर्स के लिए मुकर्रर किये, आपने कहा कि उनके लिए पैसा नहीं है, नहीं दे सकते । उसकी वजह से एक जबरदस्त असंतोष, एक बेचैनी यूनिवर्सिटी टीचर्स के अन्दर है । और चाहे प्रायमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, या यूनिवर्सिटी टीचर्स हों, अगर उनके अन्दर अहसास है कि हमारा ग्रेड इसलिए नहीं बढ़ता चूंकि डायरेक्टर कहते हैं कि पैसा नहीं है तो उनमें बहुत असन्तोष पैदा होगा, वह लाजमी चीज है और तब वह पढ़ने-पढ़ाने की तरफ कतई ध्यान नहीं दे सकते । यह एक बड़े ताज्जुब की बात है कि यहां यूनिवर्सिटी में लिटीगेशन होता है, यह यहां की विशेषता है, यानी टीचर्स हाई कोर्ट में दौड़ते हैं कि हमें प्रोमोशन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । आखिर कुछ तो गड़बड़ है ही । ५-६ साल के अन्दर १०-१५ साल के अन्दर अगर टीचर वहीं का वहीं रहे तो असन्तोष तो जरूर होगा ।

आखिरी प्वाइंट यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने कहा है कि आप सीनियर कैडर की तादाद को बढ़ाइये । सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अन्दर सीनियर जूनियर का रेश्यो ५०-५० का है और आज पढ़े लिखे क्वालिफिकेशंस के जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए । तो दिल्ली और दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ५०-५० का रेश्यो है और हमारे यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में २२ और ७८ का रेश्यो है और इलाहबाद में तो सुन कर ताज्जुब होगा कि कुल ६ रीडर हैं, बाकी लेक्चरार ही लेक्चरार हैं । फिर टीचर्स ज्यादातर टेम्पोरेरी हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने आपको कुछ प्रोफ़ेसर्स की पोस्ट्स दी थीं । अब वह योजना खत्म हो गयी । हमारी सरकार ने उसके मातहत जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां जो पोस्ट दीं उनके लोग अब भी टेम्पोरेरी हैं । ७-८ साल तक रीडर्स और टेम्पोरेरी रहेंगे तो क्या पढ़ायेंगे और पढ़ेंगे, वह तो एजीटेटर बन जायगा और वह बन गया है । इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जितना पैसा मिल सकता है, लीजिये, मैचिंग ग्रांट्स मुकर्रर कीजिये, यूनिवर्सिटीज में ३ ग्रेड सिस्टम कायम कीजिये, नयी सेलरीज दीजिये । मंत्री जी बतायें कि कब तक ये चीजें पूरी होंगी या हमारी किस्मत में यही लिखा है कि रोते रहें और पिछड़ते जायं और दुनियां आगे बढ़ती जाय ?

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की मांग का समर्थन करती हूं । नियोजन के अन्तर्गत शिक्षा का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । गणराज्य की सफलता शिक्षा के ऊपर आधारित है । यदि हमारी शिक्षा समाजवादी शिक्षा है, यदि हमारी शिक्षा चरित्र-निर्माण करती है और रचनात्मक शिक्षा है तो निश्चय ही हमारा गणराज्य सदा अमर रहेगा । मान्यवर, "शिक्षा की प्रगति" नामक पुस्तिका में जो सभी ने पढ़ी है, और उसके हर शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि किस किस विषय में कितनी उन्नति की गई, कितने प्राइमरी स्कूल, कितने जूनियर हाई स्कूल और कितने डिग्री कालेजेज खोले गये । यह सब उसके अन्दर आंकड़ों में मौजूद है ।

मान्यवर, मैं केवल प्राइमरी शिक्षा को थोड़ा-सा लेना चाहूंगी । हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में पांच हजार मिश्रित बेसिक प्राइमरी स्कूल और एक हजार कन्या पाठशालायें खोली गईं और द्वितीय वर्ष के अन्दर दो हजार मिश्रित बेसिक प्राइमरी स्कूल और एक हजार कन्या पाठशालायें खोलने का संकल्प है । इस भांति महिलाओं की शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है । आठ वर्ष तक की जो शिक्षा है वह मुफ्त कर दी गई है और ग्रामों में यातायात और आवास की जो कुछ दिक्कतें

दी गई हैं। इस भांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६२ हजार प्राइमरी स्कूल खोलने का सरकार का संकल्प है। वास्तव में यदि विभाग की प्रगति और प्रसार को देखा जाय तो मैं कह सकती हूं कि वह प्रशंसनीय है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा की पद्धति से हमको सन्तोष है? माननीय शिक्षा मंत्री जी जो मनीषी हैं, एक पुराने शिक्षा विशेषज्ञ हैं और मैं समझती हूं कि भले ही वह शिक्षा विभाग के हेड हैं परन्तु वे स्वयं आज शिक्षा की पद्धति से सन्तुष्ट नहीं होंगे। आज की शिक्षा पद्धति को, आज की शिक्षा को शिक्षा न कह कर यदि केवल सूचना मात्र कह दूं तो मुझे क्षमा करेंगे। श्रीमन्, वास्तव में क्या हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि हमारी शिक्षा आज कैसे भावी कर्णधार पैदा करने जा रही है? क्या हमारे शिक्षा विशेषज्ञों के सामने रूस की तरह से मानव निर्माण का श्रेणीबद्ध आयु के अनुसार कोई चित्र है कि हमारा भावी मानव कैसा होगा। हमारी भारत की शिक्षा किस विचार धारा के मानव पैदा करने के लिये दी जा रही है?" आज जो पांच वर्ष का बच्चा है वह बीस वर्ष के बाद किस विचार धारा का, किस रचनात्मक प्रवृत्ति का और किस देशभक्ति का उदाहरण दे सकेगा? क्या आज की शिक्षा गोखले, तिलक, महात्मा गांधी और नेहरू जैसे देशभक्त पैदा कर रही है या स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र बोस जैसे वैज्ञानिक? मैं कहूंगी कि इस दिशा में हम वास्तव में बहुत पिछड़े हुये हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बावजूद दस वर्ष की प्रगति और विभागीय विस्तार के हमारे समाज में आज संग्रहात्मक प्रवृत्ति मानव मस्तिष्क पर आधिपत्य जमाये बैठी है। श्रीमन्, आज मुख्य प्रश्न यह है कि कैसे शिक्षा के द्वारा ऐसी दार्शनिक क्रान्ति को जिससे समाज की मान्यतायें बदलें और संग्रहात्मक प्रवृत्ति के स्थान पर समाजवाद की प्रवृत्ति का अभ्युदय हो, रचनात्मक प्रवृत्तियों का अभ्यदय हो तो आज हमारे समाज के अन्दर बावजूद इस शिक्षा के और बावजूद इतनी शिक्षा संस्थाओं के यह देखा जाता है कि धन दौलत, कार, कोठी, कल-कारखाने के लिये लोक-मान्यता और प्रतिष्ठा दी जाती है और जो व्यक्ति कम काम करता है, कर्मयोगी नहीं है, अकर्मण्य है उसके लिये मान्यता दी जाती है। मान्यवर, यदि वास्तविक शिक्षा हो तो मैं समझती हूं त्यागी और तपस्वी लोगों के लिये समाज में मान्यता मिले। जो कर्मशील हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो श्रमिक हैं, उनको मान्यता मिलनी चाहिये। वास्तविक शिक्षा द्वारा हजूर-मजूर का भेद मिटेगा। बुद्धिजीवी व श्रमजीवी में सामंजस्य होगा। यही वास्तविक शिक्षा है। उससे हमें नैतिक बल मिलेगा क्योंकि जितनी भी जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति रचनात्मक शिक्षा से होती है और उसी से रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रसार होता है।

मान्यवर, आज कल प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कालेज तक की जो शिक्षा है क्या मैं जान सकूंगी कि उसका मोड़ इस दिशा में है? क्या मैं जान सकूंगी कि हमारे बच्चों के जीवन को शिक्षा संस्थाओं में, परस्परावलम्बन, सहयोग, सहकारिता और समाजवाद के सिद्धान्तों पर ढाला जाता है? क्या मैं जान सकूंगी कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक हैं, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, उनमें कहीं चरित्र की शिक्षा भी दी जाती है या रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ना सिखाया जाता है अथवा मानवता के गुणों की पूजा करना सिखाया जाता है? वास्तव में मुदालियर कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी और आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी इस विषय में हमारा अधिक मार्ग दर्शन नहीं किया और न मुझे अधिक आशा है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा एक और निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा यह विभाग इतना प्रसारित हो चुका है कि कोई भी कंट्रोल बाकी नहीं रह गया है। मैंने पिछले ५ वर्षों में यह मांग की थी जिसकी आज पुनरावृत्ति करती हूं और वह यह है कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएं साम्प्रदायिक आधार पर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, गूजर

[कुमारी श्रद्धादेवी]

आदि नामों से चल रही है उन सब के बारे में शिक्षा में भी दृढ़तापूर्वक यह संकल्प लेना चाहिये कि वे उनकी मान्यता और सहायता को समाप्त कर दें। इन संस्थाओं में मैं तो समझती हूं कि साम्प्रदायिकता की नर्सिंग होती है। अतः ऐसी संस्थाओं की हमें आवश्यकता नहीं है। इनके स्थान पर समाजवाद का विकास करने वाली राष्ट्रीय संस्थाएं होनी चाहिये।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। इसमें प्राइमरी शिक्षा पर मैं विशेष महत्व देती हूं क्योंकि यहीं से बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। मैं चाहूंगी कि प्राइमरी शिक्षा का निदेशक अलग होना चाहिये, उच्चतर शिक्षा का अलग और यूनिवर्सिटी शिक्षा का अलग निदेशक होना चाहिये जिस प्रकार अन्य विभागों में अलग-अलग निदेशक होते हैं, जिस प्रकार से इरीगेशन में अलग-अलग चीफ इंजीनियर्स हैं।

मेरा शिक्षा विभाग से बराबर संबंध रहा है। लेकिन यह खेद का विषय है कि शिक्षा विभाग में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी शिक्षा को नया मोड़ दे सके। मैं यह साहस के साथ कह सकती हूं कि हमारे जो वर्तमान शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने शिक्षा संस्थाओं का बहुत कम दौरा किया होगा। पिछले दस वर्षों में उन्होंने शिक्षा के विषय में हमें कोई नयी दिशा नहीं दी है। मैं आचार्य जी से इस बारे में यह अवश्य निवेदन करूंगी कि अपने काल में वे ऐसा कदम जरूर उठायें और शिक्षा विभाग में जो शिथिलता, अकर्मण्यता चली आती है, उसको बिलकुल बदल दें। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई इस बारे में दुश्मनाई नहीं है। यदि हमारे वर्तमान शिक्षा संचालक महोदय को ही वे प्रेरणा दे सकें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति न होगी जिससे वे शिक्षा के मार्ग में प्रेरणाप्रद हो सकें और गुरुवर्ग में कान्फीडेंस स्थापित कर सकें।

इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों में जो आचार्य होते हैं वह वास्तव में सरकारी होने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा अनुदान के विवाद में भाग लेना चाहता हूं। मान्यवर, जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे साफ सिद्ध है कि पिछले बारह वर्षों में इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा की प्रगति अवरुद्ध हो गयी थी। इसको शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी स्वीकार करती है। जब हम इस विभाग की पुस्तिका का अवलोकन करते हैं तो इससे साफ सिद्ध होता है कि निरक्षरता के मामले में, प्राइमरी शिक्षा के मामले में और माध्यमिक शिक्षा के मामले में देश के अन्य प्रदेशों से हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह वाकई सराहनीय है। यदि उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने प्राप्त कर लिया तो निश्चय रूप से हमारे प्रदेश का भी एक स्थान इस देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद हो सकता है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में शिक्षा की नीति अस्थिर रही है। यही नहीं, दुख के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस प्रदेश में राजनीतिक दलबन्दी का शिकार होता रहा है। मुझे खुशी है कि इस सरकार ने अब की बार ऐसे लोगों को इस विभाग से संबंधित किया है जो दलबन्दी से दूर रहते हैं। मुझे विश्वास है कि यह विभाग पिछले शिक्षा मंत्री की जिस दलबन्दी का शिकार रहा है, अपने समय में उसे दूर करने में मौजूदा शिक्षा मंत्री जी सफल होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रदेश के शिक्षा निदेशक एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं जिनकी निष्पक्षता और ईमानदारी की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी ईमानदारी का रत्ती भर भी लाभ हमारे प्रदेश को नहीं प्राप्त हुआ और मैं उन्हें एक अकर्मण्य अधिकारी के रूप में देख रहा हूं। जैसा कुछ लोगों का खयाल था कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के कारण हमारे शिक्षा

निदेशक कार्यालय में नजरबन्द थे, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि उनकी ईमानदारी का कोई लाभ नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने हमारी शिक्षा की नीति को, उसके कार्यक्रम को कोई प्रेरणा तक नहीं दी। मैं विशेष कर शिक्षा मंत्री जी से जो एक बुजुर्ग शिक्षाविद हैं, निवेदन करता हूं कि कृपा करके वे इस विभाग से राजनीतिक दलबन्दी को दूर करने की कोशिश करेंगे।

एक शब्द मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अध्यापकों की समस्या बराबर आंखों से ओझल की गयी है, अध्यापकों की उचित मांगों को कभी स्वीकार नहीं किया गया। यही नहीं, आप देखें कि देश के अन्य प्रदेशों के अध्यापकों से इस प्रदेश के अध्यापकों की हालत गिरी हुई है। अध्यापकों की वेतन वृद्धि की मांग, महगाई वृद्धि की मांग व उनकी अन्य सुविधाओं की मांगों को ठुकराया गया है। यही नहीं, सबसे ज्यादा जो इस प्रदेश में कुकर्म हुआ वह यह कि पिछली सरकार के जमाने में यहां के अध्यापकों की समस्या को आंखों से ओझल करने के लिये अध्यापकों और प्रबन्धकों में एक झगड़ा खड़ा किया गया। एक ऐसा चित्र खड़ा किया गया जैसे कि कानपुर के मिल मालिकों और मजदूरों का सवाल हो और इस तरह से एक नयी समस्या खड़ा करने की कोशिश की गयी। और इस कार्य में हमारे पुराने शिक्षा मंत्री माननीय कमलापति जी ने बहुत ही धूर्ततापूर्ण असफल प्रयास किया था, उन्होंने इन संस्थाओं के अध्यापकों की समस्याओं को आंखों से ओझल करने की कोशिश की और उन्होंने बराबर अध्यापकों और व्यवस्थापकों को लड़ाने की कोशिश की है। उन्होंने जो अपने कार्य काल में नियम, उपनियम बनाये, ऐसा प्रयास किया गया है कि उससे अध्यापक और प्रबन्धकों के आपस के संबंध अच्छे न रहें। वहां पर इन्सपेक्टर और अधिकारियों के अधिकारों को मजबूत किया गया और यह कोशिश की गई कि वहाँ इंसपेक्टर ही जो चाहे करे। डिप्टी डायरेक्टर और इन्सपेक्टर की तरफ से वही आदेश निकलते हैं जो ऊपर से राजनीतिक दलबन्दी के आधार पर यहां से इशारे होते हैं। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारी कांग्रेस के दो दलों के बीच में बटे हैं और उनकी अन्दरूनी गुटबन्दी आधार पर ही सारा काम चलता है। उनकी नीति निष्पक्ष और ईमानदारी नहीं है और न ऐसे लोगों की विभाग में कोई पूछ है जो निरापद हैं। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति को सम्हालें। यह तो मैं स्वीकार करता हूं कि जब से हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कार्य भार सम्हाला है तब से कुछ वातावरण सुधरा है।

इन संस्थाओं को प्राइवेट संस्था कहा जाता है, यह बात उचित नहीं है। इन स्कूलों को प्रबन्धकों ने या दूसरे लोगों ने काफी कष्ट सहकर बनाया है, वह तो वास्तव में जनता की गैर सरकारी सार्वजनिक संस्थायें हैं, उनमें बहुत से ऐसे योग्य व्यक्ति हैं कि जिन्होंने लाखों और करोड़ों रुपया लगाया है। उनके चलाने में आपके सूबे के माननीय चीफ जस्टिस महोदय का भी हाथ है। जिलाधीश जी राज्य में पारस पत्थर हैं और जिसके बारे में सरकार का खयाल है कि वह गलती नहीं कर सकता, गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता, गलत कार्य नहीं कर सकता, वे भी बहुत सी सार्वजनिक संस्थाओं के ट्रस्टी हैं और बहुत से जिलाधीश संस्था के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इसलिये यह कहना कि हर जगह गड़बड़ी है इसलिये यह व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाय, यह खयाल गलत है। आज इन संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की बात करना बहुत ही अविवेकपूर्ण है जिससे ज्यादा और कोई बात गलत नहीं हो सकती है। आज नियोजन के जमाने में उनके सुसम्पादन के लिये उनमें सुन्दर ढंग से सफलता प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक सहयोग, जनसहयोग की आवश्यकता है, उनके सुसम्पादन के लिये जनप्रेरणा की आवश्यकता होती है। उस धारा को जो जनता के सहयोग और प्रेरणा से आगे बढ़ रही है यदि आप कुंठित करते हैं तो इससे अधिक अविवेकपूर्ण बात और नहीं हो सकती।

मैं आपकी आज्ञा से निवेदन कर रहा हूं कि इन संस्थाओं में सरकारी लोगों का बहुत दखल बढ़ता जाता है, वह कम होना चाहिये। आगरा के जिस विद्यालय के संचालक श्री राज नाथ

[श्री मैनेजर].

कुंजरू हैं, उनका जिक्र किया गया, वह उस विद्यालय के व्यवस्थापक हैं। उन्होंने उसमें तमाम धन (साधन) लगाया है। मैं चाहूंगा कि जहां मैनेजमेन्ट में खराबी हो और पक्षपात हो उसको दूर करने के लिये उपाय हो सकता है, कोई अपीलेट कमेटी हो या कोई कमेटी हो जो इस तरह के झगड़ों का निबटारा कर दे, कोई बोर्ड बना दें जिसमें सरकारी और गैरसरकारी सदस्य हों जो यह सब बातें देखें।

मान्यता के सम्बन्ध में भी जसा कि माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा था, अधिकार का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, मंडल स्तर पर ही कोई ऐसी कमेटी या बोर्ड बनाना चाहिये जो वहां की स्थिति को देखकर मान्यता दे सके। अधिकारी लोग मान्यता के प्रश्न पर बहुत मनमानी करते हैं। हमारे यहां रेवती में इन्टर कालेज की मान्यता का प्रश्न था और सारी शर्तें पूरी थीं, इमारत और पैसा सब कुछ था, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ने लिख दिया कि इस साल मान्यता न दी जाय। कमेटी कहती है हम भार उठाने को तैयार हैं, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं नहीं। जिसका नतीजा यह हुआ कि मान्यता नहीं दी गई। अभी फर्रुखाबाद में वहां के इंस्पेक्टर ने राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे निम्न माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जिन्हें पूर्व वर्षों में मान्यता प्राप्त होती रही है। इसलिये मैं कहता हूं मान्यता के कार्य में विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और इन शिक्षण संस्थाओं का विकास होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

माननीय जलील अब्बासी जी, आप ५ मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। शिक्षा के बारे में दो दिन से यहां बहस हुई और तरह-तरह की बातें कही गईं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि शिक्षा में कोई उन्नति नहीं हुई। शिक्षा में हम लोगों की आंखों के सामने अभी आंकड़े हैं कि स्कूलों की तादाद बढ़ी, अध्यापकों की तादाद बढ़ी है, हमारे प्रदेश में प्राइमरी एजूकेन करीब-करीब गांव-गांव के करीब हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जो तरक्की हुई है वह तादाद में तो हुई, लेकिन जो स्टेन्डर्ड हमारा था वह गिरता जा रहा है। स्टेन्डर्ड गिरने की वजह और कुछ हो, तो हो लेकिन यह तो है ही कि हमने अपने स्कूलों की तरफ अच्छे अध्यापकों को लाने और उनका उत्साह बढ़ाने की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। आज हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जहां तक मुझे मालूम है वह लोग टेम्पोरेरी हैं जब कि पहले हमारे सरकारी इंटर कालेजेज और ट्रेनिंग कालेजेज के प्रिंसिपल्स आई० ई० एस० ग्रेड के होते थे। एजूकेशन का एक स्टैंडर्ड था वह आज हम मेन्टेन नहीं कर रहे हैं। आज ज्यादातर हमने अपना ध्यान इंस्पेक्टिंग स्टाफ की तरफ दिया है। मुझे याद है, हमारे जमाने में ६, ७ जिलों में एक इंस्पेक्टर होता था। जब वह आता था तो एक हलचल मच जाती थी। स्कूल में आ करके वह समझाने के लिये, तरीका बताने के लिये क्लासेज लेते थे। आज इस्पेक्ट्रेट के स्टाफ में ६० फीसदी बिल्कुल रा हुंड आ रहा है जो इंटरव्यू में जा कर सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद ४, ६ महीने की ट्रेनिंग लेकर जिलों का चार्ज ले लेते हैं। वे शिक्षा से परिचित नहीं हो पाते। इसलिये अध्यापक वर्ग से न होने के कारण वे नहीं जानते कि पढ़ाने का तरीका क्या है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम तो वह करते हैं, लेकिन शिक्षा के तौर-तरीके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते। इसी वजह से हमारा स्टेन्डर्ड गिर रहा है।

जो हमारे अध्यापक हैं उनमें कुछ लोग लायक भी हैं और उनमें से बहुत से आदमियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं और देना चाहिये।

दूसरी बात यह कहनी है कि इस प्रान्त में बड़े जोर का आन्दोलन हुआ इस बात का कि बेसिक रीडर्स बहुत गलत हैं। हमारे इस वक्त के डायरेक्टर आफ एजूकेशन ने निहायत तवज्जह इस तरफ दी और जो बेसिक रीडर्स आज की लिखी हुई हैं, मेरा दावा है किसी

प्रान्त में इतनी अच्छी बेसिक रीडर्स नहीं हैं, लेकिन अफसोस है कि बेसिक रीडर्स के खिलाफ जो लोग शोर मचाते थे वे उर्दू के तबके के लोग थे। मगर उसका तर्जुमा शिक्षा विभाग आज तक उर्दू में नहीं करा सका। इसलिये उस उर्दू के सेक्शन को संतोष देने में सरकार असफल रही। इन बेसिक रीडर्स पर हमें नाज है लेकिन तर्जुमा उर्दू में करा दिया जाय तो मुझे यकीन है कि उर्दू के सेक्शन के लोग जो बराबर एजीटेशन कर रहे हैं, बेसिक रीडर्स के बारे में, उनका एजीटेशन खत्म हो जायगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने इस शिक्षा के अनुदान पर थोड़ा समय दिया। कल से शिक्षा पर बहस चल रही है। गया प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूं।

शिक्षा का विषय ऐसा है कि उसी से सुधार हो सकता है। आज सुबह से जो चीज चल रही थी वह भी शिक्षा से ही सुधर सकती थी। कन्या पाठशालायें जितनी भी हैं वे अलाहिदा होनी चाहिये और छात्रों की पाठशालायें अलग होना चाहिये।

शिक्षा की प्रणाली में ऐसे सुधार किये जायं जैसे गुरुकुल में होता है। वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है जिससे उनका चरित्र ढलता है। वहां छात्रों को सुबह चार बजे उठना होता है, फिर स्नान करना होता है और फिर हवन तथा यज्ञ करना होता है। पुरानी शिक्षा पद्धति पर उनको शिक्षा दी जाती है जिससे उनका चरित्र ठीक हो जाता है। मैं इस प्रदेश में उस जिले से आया हूं जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले में। वह मथुरा जिला है।

जो पुस्तिका दी गयी है उसमें शिक्षा की प्रगति के बारे में लिखा हुआ है। प्रगति लिखे बगैर कोई मंत्री जी मानते नहीं हैं। सब प्रगति बतलाते हैं चाहे वह शिक्षा में हो या चकबन्दी में। फिर भी गांव में जो छोटे-छोटे स्कूल हैं उनमें टाट नहीं है विद्यार्थियों के बैठने के लिये। अध्यापक जमीन पर बैठते हैं। मेज और कुर्सी तक उनके लिये नहीं हैं। कन्या पाठशालायें बहुत कम हैं जबकि बालकों की पाठशालाओं के बराबर होना चाहिये। लेकिन वह हैं नहीं और हैं तो जो अध्यापिका भेजी उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं। इसलिये कन्याओं की पाठशालाएं छात्रों की पाठशालाओं से कम नहीं होनी चाहिये। कन्यायें जब तक विद्या नहीं पढ़ेंगी, तब तक मातायें पढ़ी लिखी नहीं होंगी और तब तक पुत्र की शिक्षा ठीक कैसे हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---मान्यवर, आज मंत्री महोदय द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि आज हम उस विभाग से डील कर रहे हैं जो एक्सप्लोसिव और हाइली इन्फ्लेमेबिल है और इसमें जो लाइव वायर की तरह हमारे बच्चे हैं, जिनके पास दिमाग है उनसे हम डील कर रहे हैं। यह हम कोई फैक्ट्स एन्ड फीगर्स से ही सिर्फ डील नहीं कर रहे हैं। इसलिये हम चाहेंगे कि इस डिपार्टमेन्ट पर हम गंभीरता पूर्वक बिचार करें। यह सही है कि पिछले वर्षों में या गत वर्ष जो उन्नति की गयी है वह काफी हुई है। हमारे प्राइमरी शिक्षा विभाग में ३०० परसेन्ट स्कूल बढ़ गये हैं। फिर भी एक मामला बड़ा गंभीर जो हमारे सामने है कि हमारी नीति क्या है। क्या शिक्षा विभाग सिर्फ इसीलिये बना है कि अनुदान महकमा बन जाय? क्या इसका यही फर्ज है कि जितने स्कूल्स और कालेजेज हों उनकी तादाद और बढ़ायी जाय?

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्या इसका यही धर्म है कि जो हमारी प्रणाली चल रही है उसी को कायम रखे? हम लोगों को भूलना नहीं चाहिये कि अंग्रेजों की हुकूमत क अन्तर्गत जो प्रणाली ४०-५० वर्ष

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

पहले थी वही आज भी चल रही है। आज वह समय आ गया है जब कि आवश्यकता इस बात की है कि हमको ऊपर से नीचे तक देखना है कि शिक्षा किस प्रकार की हो, शिक्षा तो एक यन्त्र है जिसके माध्यम से हम एक आदमी में इन्जेक्शन लगा सकते हैं, उसमें उत्साह पैदा कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उसमें एक नयी स्फूर्ति आगयी है। यह कम्प्लेसेन्सी का जमाना नहीं है। यह २० वीं सदी का युग है। इस प्रदेश में जहां उपनिषद बने, जहां वेदों ने जन्म लिया, जहां प्राइमरी शिक्षा ने पहले कदम उठाया वही उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षा में भी आज उड़ीसा को छोड़कर सबसे पिछड़ा हुआ है। आज वह समय आ गया है जब कि हम लोगों को सिर्फ खड़े होकर देखना नहीं है, वेट ऐण्ड वाच नहीं करना है। हम लोगों को तो वार फुटिंग के स्तर पर काम करना है। जैसे, जब हमारे यहां अन्न की कमी पड़ी थी तो हम लोगों ने चेष्टा की थी उसी तरह से हमको वार फुटिंग पर अशिक्षा और गरीबी से संघर्ष करना है। इन दोनों चीजों के लिये हमारे पास एक बड़ा मामूली-सा सुझाव है।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का संबंध है यह सही है कि जब तक हम अपने स्कूलों में धर्म को थोड़ा बहुत नहीं लाते हैं तब तक हमारे बच्चों के लिये बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि—

"All religions are like different rivers originating from different sources but ultimately meeting to the same sea."

इसी तरह से कोई मजहब हमको आपस में अलग-अलग होना नहीं सिखाता है, बल्कि यह जरूरी है कि हर बच्चे को धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान हो।

दूसरी बात यह है कि अध्यापक वर्ग को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है उससे उनको किसी प्रकार का आदर समाज में नहीं मिल सकता। हम कैसे आशा करें कि इतनी कम पे पर वे कैसे बच्चों को अच्छी-अच्छी बातें सिखायेंगे। न भर पेट रोटी मिलती, न तन पर कपड़ा, न हाथ में पुस्तक, न हृदय में उल्लास है। इसलिये हमको इस चीज को देखना है।

तीसरी बात यह है कि महिलाओं के संबंध में उन्नति अवश्य हुई है, लेकिन फिर भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अशिक्षित है और गंभीर समस्या हमारे सामने उपस्थित है। जैसे कि उच्च शिक्षा में हम देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक चीज आ गई है कि हर एक को बी० ए० और एम० ए० की डिग्री मिलना जरूरी है। यह तो जमाने की रफ्तार है, इसके लिये क्या क्या किया जा सकता है? लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि आज की शिक्षा हमें किस ओर ले जायगी। मेरा विचार है कि आज की शिक्षा पढ़े लिखे लोगों की एक हुयूज आर्मी आफ फ्रस्टेटेड यंगमैन (A huge army of frustrated young men) की तैयार कर रही है। हम बेकार में अपने नौजवानों को बदनाम करते हैं कि उनमें अनुशासनहीनता है। क्या कारण है कि हमारे नौजवान अपने अरमानों को इतना ऊंचा बनाते हैं, हम उनको बहुत बड़ी बड़ी फिलासफी की शिक्षा देते हैं और वे अपने जीवन के लिये बड़े-बड़े स्वप्न बनाते हैं। लेकिन जब वे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलते हैं तो उनको संसार में बेकारी के अन्धकार से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन उनके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे वे इस युद्ध में सफल हो सकें। उनके पास अपना धर्म का अच्छा ज्ञान भी नहीं होता है जिससे वे संतोष प्राप्त कर सकें और न उनके पास वे चीजें हैं जिससे वे अपनी क्राइसिस आफ लाइफ में संतोष पैदा कर सकें और न उनके मां बाप की आर्थिक दशा ऐसी है जिससे वे उनकी कुछ मदद कर सकें, बल्कि उल्टे उनके मां बाप इस बात की आशा करते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिखकर हमारी मदद करेगा, हमारी लड़की पढ़लिख कर हमारी मदद करेगी। वह बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उनके जीवन का स्वप्न ध्वस्त हो जाता है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहती हूं कि जो हमारी उच्च शिक्षा है वह केवल अच्छे विद्यार्थियों के लिये ही सीमित कर दी जाय,

जो हमारे अच्छे डिवीजन में पास किये लड़के हैं उनको ही उच्च शिक्षा दी जाय । जब हमारे भाई या बहन शिक्षा लेकर बाहर आते हैं तो उनके लिये नये एवेयूनूज खोलने चाहिये । वोकेनशल स्कूल चालू होने चाहिये । डिगनिटी आफ वर्क सिखाना चाहिये । कृषि बायस भी होना चाहिये । डाक्टरों की हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा कमी है । हमारे प्रदेश में १३०० अस्पतालों में से १००० अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर हैं । यह समस्या बड़ी भारी हमारे सामने है । इसके लिये हम यह करना चाहिये कि जो हमारे भाई थर्ड डिवीजनर्स होते हैं उनको डाक्टरी की शिक्षा में लिया जाय । इससे बहुत थोड़े से समय के अन्दर ही हमारी दिक्कत काफी हद्द तक दूर हो जायगी । हां, यह बात जरूर है कि उनकी पे बढ़ाई जाय और उनको सरविस में अच्छी फैसीलिटीज देकर प्रोत्साहन दिया जाय । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो हमारी बहिनें थर्ड डिवीजनर्स हैं उनका एक नर्सिंग स्क्वाड, सिस्टर आफ मर्सी स्क्वाड बनाया जाय । आजकल हमारे यहां भले घर की लड़कियां इस पोफेशन में आने में डरती हैं, हिचकिचाती हैं, इसलिये उनकी झिझक को हमें दूर करना है और उनको प्रोत्साहन देकर इस में लाना है । जब हम इसमें सफल होंगे तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सकेगा । हां यह जरूरी है कि सरकार उनको सोशल सिकोरिटी और स्टैबिलटी प्रदान करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहती हूं कि हमें उच्च शिक्षा को अच्छी शिक्षा बनानी चाहिये जैसा कि हमारे भाई डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा है कि हमारी शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिये । क्वांटिटी के बजाय हमें क्वालिटी पर अधिक ध्यान देना चाहिये । इस छोटे से सुझाव के माध्यम से करोड़ों रुपये नेशनल वेस्ट आफ मनी जो है वह रुकेगा, और थर्ड डिवीजन वालों को एक नया मार्ग दर्शन होगा, जिसमें उन्हें पक्कीतौर पर नौकरी मिलेगी । प्रदेश की डाक्टर की गंभीर समस्या भी सुलझेगी । इससे हम अपने यहां की बेकारी को भी दूर कर सकते हैं । इससे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेकारी, तीनो समस्यायें साथ-साथ ठीक होंगी ।

हमारे यहां आजकल शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है । लेकिन ऐसे आदमियों की हमारे प्रदेश में कमी नहीं है जो शिक्षा देना चाहते हैं । हमारे बहुत से विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं और अगर हम इन व्यक्तियों को महीने में एक दिन के लिये या हफ्ते में एक दिन के लिये इस बात पर तैयार कर लें कि निःशुल्क किसी स्कूल में उनको शिक्षा देनी होगी । इससे हमारे यहां शिक्षकों की कमी बहुत हद्द तक दूर हो सकती है । उनसे हम प्रार्थना करें कि आजकल संसार में जो नई नई चीजें हो रही हैं उस पर वे प्रकाश डालें, और शिक्षा दान करें ।

इन शब्दों के साथ अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा शिक्षा विभाग अनुदान देने का विभाग न हो जाय और प्रदेश को एक नीति प्रदान करे । जैसे चीन ने अपने यहां मंचू डाइनेस्टी के खत्म होने पर एक शिक्षा योजना बना कर उस पर अमल किया था । उसने अपने यहां एक प्रोग्राम बना दिया था । और ऐसा ही हमने रूस में भी देखा है । चाहे वह गलत हो या सही हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है कि इसमें हमें बड़ी सतर्कता से काम करना है । मैं इस विषय में अधिक न कह कर इतना ही कहूंगी कि हमारे यहां कानपुर में लगभग १० लाख (९,४३,०००) की आबादी है । इतनी आबादी होते हुये भी वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है । मैं प्रार्थना करूंगी कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें । यह बात सदन में भी आ चुकी है और इसके अलावा एक बात और है और वह यह है कि हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने भी इसका विरोध नहीं किया है । मैं चाहूंगी कि यह एक सही कदम होगा । इसे हमें शीघ्र उठाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं ।

श्री अजीज इमाम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटे के लिये और उस वक्त तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि इस अनुदान पर वोटिंग न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं हो सकता । आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय, यह हो सकता है ।

श्री अजीज इमाम—बहुत अच्छा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा कटौती का प्रस्ताव था, एक नहीं दो, लेकिन बार-बार उठने के बाद भी समय नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—अब आप बोल लीजिये, लेकिन केवल ५ मिनट ।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि अन्त में आपने मुझे समय दे दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । कल की स्पीच में माननीय शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों के महंगाई भत्ते के विषय में आश्वासन दिलाया था कि बहुत जल्दी ही वह निर्णय उस पर देने जा रहे हैं । मेरी उनसे प्रार्थना है कि यदि वे आज ही इस संबंध में अनुदान पर मत व्यक्त करते समय कुछ निर्णय अपना दे दें तो यह बहुत ही शुभ अवसर पर बहुत ही शुभ कार्य हो जायगा ।

शिक्षा के स्तर की बात कही जा रही है कि वह गिर रहा है । यह वास्तव में बहुत ठीक है । विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर ध्यान दिलाया गया कि वहां पर अन्य यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा हमारे सूबे में स्तर गिरा हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी नीचे से जड़ ही कमजोर चलेगी तो फिर ऊपर हमारी युनिवर्सिटियां अन्य स्थानों की यूनिवर्सिटियों का मुकाबला नहीं कर सकतीं । हमारे नीचे की शिक्षा में दोष आ गया है । उसका एक विशेष कारण है । पहले जमाने में केवल हिसाब और हिन्दी वगैरह पांचवीं कक्षा तक रहता था, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे के सिर पर इतना बोझ कोर्स का लाद दिया गया है, साथ ही उनके पढ़ाने वालों की क्वालिटी भी गिर गयी है । आज १०वीं या ८वीं कक्षा तक जिन्होंने गणित नहीं पढ़ी वे उनको पढ़ाते हैं । पहले जमाने में बहुत से विषय के लिये एक ही अध्यापक होते थे । साथ ही एक कक्षा में केवल १०, १५ विद्यार्थी होते थे, अब ४०, ५० विद्यार्थी एक कक्षा में रहते हैं जिन पर अध्यापक पूर्ण रूप से अपना ध्यान नहीं दे सकता । पहले मिडिल क्लास तक हर एक कक्षा में केवल एक अध्यापक रहता था, लेकिन आज ८, १० मजमून के लिये हर मजमून का अध्यापक अलग होता है, कोई भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता ।

इसके साथ ही हमारे जे० टी० सी० ८वीं कक्षा को पढ़ाते हैं । उनमें ८वीं कक्षा पढ़ाने की योग्यता नहीं होती । नतीजा यह होता है कि स्तर गिरता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि ७वीं, ८वीं और १०वीं कक्षा में बी० ए० बी० टी० अध्यापक ही रखने चाहिये । और जे० टी० सी० अध्यापकों को ६वीं कक्षा तक रखना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त, हमारे पश्चिमी जिलों में जे० टी० सी० अध्यापक नहीं रह गये हैं, सारे देहली ने खींच लिये हैं । इसलिये ट्रेनिंग स्कूल और अधिक पश्चिमी जिलों में खोले जाने चाहिये । शिक्षा मंत्री ने कहा था कि २ ट्रेनिंग स्कूल्स खोले जायेंगे, तो मेरी प्रार्थना

है कि अगर वे पश्चिमी जिलों में ही खोले जायं तो उपयुक्त होगा, क्योंकि पश्चिमी जिलों में जूनियर हाई स्कूलों के लिये जे० टी० सी० की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

दूसरे जब से रिओरियेंटेशन स्कीम आयी हुई है तब से शिक्षा का स्थान गिर गया है क्योंकि इसमें २, ढाई घंटे सर्व करते हैं और जो अच्छे विषय हैं, जैसे गणित या अंग्रेजी वगैरह, उनके लिये समय कम मिलता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि रिओरियेंटेशन स्कीम को ६वीं, ७वीं और ८वीं कक्षाओं के कोर्सेज के लिये बन्द कर दिया जाय और यह जो समय है उसको साइन्स की शिक्षा पर ज्यादा दिया जाना चाहिये । साइंस को मान्यता देने में बहुत ही शीघ्रता होनी चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई चल सके और ग्रामों के बच्चे भी साइन्स ठीक से पढ़ें ।

साथ ही, जहां तक यूनिवर्सिटियों में और माध्यमिक स्कूलों में वेतन संबंधी प्रश्न है वहां पर मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है सिवाय इससे कि वहां के क्लेरिकल स्टाफ का वेतन बहुत कम है । उनके वेतन और भत्ते वगैरह में जरूर वृद्धि करनी चाहिये । इसके आलवा, डाइरेक्टोरेट में वेतन लोगों के ज्यादा हैं जब कि इंस्पेक्टोरेट में क्लेरिकल स्टाफ का वेतन बहुत कम है । यह असमानता दूर होनी चाहिये । वहां ८०—२४० का ग्रेड है, लेकिन इंस्पेक्टर्स के क्लर्क्स का ८० से १३० का ग्रेड है । यह बहुत बड़ी विषमता है जो दूर होनी चाहिये । तीसरी चीज यह है कि जो बड़े बड़े जिले हैं वहां पर क्लेरिकल स्टाफ भी उतना ही दिया हुआ है जितना कि छोटे जिलों में दिया हुआ है । इसका नतीजा यह होता है कि बड़े जिलों का काम ठीक ढंग से नहीं होता है । कम से कम वहां पर दूना स्टाफ होना चाहिये जो कि 'ए' श्रेणी के जिले हैं । हमारे यहां मेरठ में पहले एक इंस्पेक्टर होता था । अब दो इंस्पेक्टर और तीन एसोशियेट इंस्पेक्टर हो गये हैं । उसके हिसाब से क्लरिकल स्टाफ भी तिगुना हो जाना चाहिये । ये मेरे सुझाव हैं और मुझे आशा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इन सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से शिक्षा पर बहस चल रही है । मैंने दोनों पक्षों की बातों को सुना और इस नतीजे पर पहुंचा कि अधिकांश बातों में दोनों पक्षों के लोगों की एक ही राय है कुछ बातों को छोड़कर । जैसे यह सभी लोग मान रहे हैं कि हमारी शिक्षा की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और विभागीय अकर्मण्यता को भी सभी लोग स्वीकार करते हैं । शिक्षा में दिशा निर्देशन ठीक तौर से नहीं हो रहा है, इसको भी लोगों ने माना । तो ऐसी स्थिति में यह तो निर्विवाद सत्य है कि हमारे प्रदेश की शिक्षा नीति अस्पष्ट है और अन्धकारपूर्ण है । ऐसी दशा में शिक्षा के मसले पर यह प्रान्त तरक्की नहीं कर सकता । जब तक कि कोई शिक्षा के विशेषज्ञों की सलाह से एक निश्चित योजना न बनायी जाय तब तक उसमें तरक्की लाना बहुत मुश्किल है ।

कुछ ऐसे मसले थे जिन पर भिन्न-भिन्न प्रकार की रायें आयी हैं । ट्रेजरी बेंच के एक माननीय सदस्य ने कहा कि अंग्रेजी को हम छोड़ नहीं सकते और अंग्रेजी को छोड़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, विज्ञान की शिक्षा हम नहीं पा सकते, इस तरह की बातें उन्होंने कहीं । मुझे तो कष्ट हुआ इस भावना से कि अभी अंग्रेजियत की और गुलामी की भावना उनके दिमाग से दूर नहीं हुई है । जिस देश की कोई भाषा नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनी भाषा के ऊपर गर्व नहीं है वह व्यक्ति अपने को स्वाधीन देश का नागरिक नहीं कह सकता । मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज विज्ञान की दुहाई उन्होंने दी । विज्ञान में रूस सारे संसार में एक बढ़ा चढ़ा देश है, लेकिन रूस में विज्ञान की शिक्षा रूसी भाषा में दी जाती है न कि अंग्रजी में । तो माननीय सदस्य को इस बात से आगाह होना चाहिये कि जब तक हमारी भाषा और हमारे देश की भाषा

[श्री गयाप्रसाद]

नहीं होगी दूसरी भाषाओं के गुलाम हम बने रहेंगे तब तक शिक्षा की दिशा में हम कोई प्रगति नहीं कर सकते ।

दूसरे एक माननीय सदस्य ने कहा कल मैंने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया था, उन्होंने शायद मेरे उस शब्द को गलत समझ लिया । मैंने राष्ट्रीयकरण कहा था न कि सरकारीकरण कहा था । राष्ट्रीयकरण जब शिक्षा का होगा तब मैंने कहा था कि गांव सभाओं को प्राइमरी शिक्षा दी जाय और हायर सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा जिला पंचायतों के अधीन कर दी जाय और ऊपर की शिक्षा प्रदेश के हाथ में रहे । तो उन्हें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिये कि गांव सभाओं में जनप्रतिनिधियों का ही संगठन है और वही लोग उस शिक्षा को चलायेंगे । जिला पंचायतों में भी वही हमारे जनता के ही प्रतिनिधि विराजमान हैं । तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह नहीं होता कि सरकारी कर्मचारियों के हाथ में शिक्षा दे दी जाय । उससे तो मैं बहुत आगाह हूं । मैंने कल कहा था और बार-बार कहा था कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी जितने अकर्मण्य हैं उतने और किसी विभाग में देखने को नहीं मिलते हैं । न तो हमारे संचालक महोदय शिक्षा के सिलसिले में कोई योजना बनाते हैं, न कोई कन्ट्रीब्यूशन देते हैं और न कोई निर्देशन वह करते हैं । मैंने जो शिक्षा की प्रगति पुस्तिका देखी है उसमें पांच, दस जगह उनकी तस्वीर अवश्य छपी हुई है, लेकिन उनकी कलम की नोंक से एक शब्द भी नहीं लिखा गया है । तो ऐसी स्थिति में ऐसे अकर्मण्य कर्मचारियों के हाथ में हमारी शिक्षा को देना ठीक नहीं है । वैसे तो मैं उनसे सहमत हूं कि सरकारीकरण नहीं होना चाहिये बल्कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये ।

अब मैं आपका ध्यान बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं । यह संस्था अब व्यापारिक संस्था मात्र रह गयी है । इसका पुनर्गठन होना चाहिये । इसको रीजनल कमेटी में बांट देना चाहिये जिससे उसमें कुछ जिन्दगी आये और कुछ अच्छा काम हो ।

मान्यता के संबंध में वही पुरानी नीति चल रही है । बहुत से ऐसे स्कूलों को मान्यता दी जाती है कि जो वृक्षों के नीचे पढ़ाई करते हैं । बहुत से ऐसे स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाती है जो उनकी सारी शर्तें को पूरी करते हैं । तो इसमें जो इस तरह के विवेक और राजनीतिक पैंतरेबाजी और दांवपेंच चलते हैं यह ठीक नहीं है । शिक्षा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय और शिक्षा के संबंध में विशेषज्ञों की स्वतंत्र राय लेकर काम किया जाय तो शिक्षा में प्रगति आ सकती है । अगर उसका सुधार नहीं अपनाया जाता है तो शिक्षा में प्रगति हमारे प्रदेश में नहीं हो सकती है ।

एक योजना रिओरियेंटेशन की चल रही है । वह सन् १९५४ से चल रही है । उसमें करीब-करीब १।। करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है, लेकिन यह योजना न तो आज तक स्थायी की गई न यही कहा जाता है कि वह योजना फिजूल है और उसको हटा दिया जाय । तो इस तरह की नीति से, एक्सपैरिमेन्टल नीति से हमारा काम नहीं चलेगा । स्पष्ट नीति होनी चाहिये जिससे हमारे प्रदेश की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रगति आ सके और जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा सके ।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से शिक्षा विभाग के संबंध में माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत से सुझाव दिये गये और उन बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया जो वह समझते हैं कि इस शिक्षा विभाग में खराब हैं । अभी हमारे मित्र सभा सचिव द्वारा प्राइमरी एजूकेशन के सिलसिले में जो कुछ प्रश्न उठाये गये थे या जो कुछ हमारे

नीति है उसका उन्होंने यहां पर जिक्र किया और मुझे उसके संबंध में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है। एक माननीय सदस्य ने मुझसे फिर यह आग्रह किया है कि मैं डियरनेस एलान्उस के विषय में आज कुछ एलान करूं। मैंने केवल यही वचन दिया था कि इस बजट सेशन के समाप्त होने से पहले कोई न कोई एलान अवश्य विभाग की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से किया जायगा और मैं आशा करता हूं कि वह सन्तोषजनक भी होगा।

मैं माननीय सदस्यों का बड़ा अनुगृहीत हूं कि उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ बातें हमारे सामने रखीं। मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मुझे एक बात की तरफ माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान दिलाना है। कल मुझे इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे कटौती के प्रस्तावक महोदय गया प्रसाद जी ने कुछ हमारे डाइरेक्टर के कैम्प आफिस के बारे में ऐसे शब्द कहे जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने अय्याशी शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ उन्होंने कहा कि ऐशोआराम से उनका मतलब था। वह ऐशोआराम करते हैं और वहां कोई काम नहीं है, ऐसा उनका आशय था।

आचार्य जुगलकिशोर—यह सही नहीं है कि कैम्प आफिस में कोई काम नहीं होता है। मैं समझता हूं कैम्प आफिस में काम करने वाले काफी व्यस्त रहते हैं। उनके पास इतना काम है कि वह उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ खराबी जरूर हो जाती है लेकिन यह शिकायत कोई नहीं है कि काम नहीं होता है।

बहस के दौरान में हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया गया कि शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कहना बिल्कुल गलत है। आज जो शिक्षा दी जाती है, संभव है वह किसी एक दृष्टिकोण से आप उसको ठीक न समझते हों, लेकिन शिक्षा का लक्ष्य यही है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे उनका विकास हो सके और वे योग्य नागरिक बन कर जनतंत्र में, जो व्यवस्थायें होती हैं, उसमें भाग ले सकें और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योग दे सकें। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, समय-समय पर हमारी विभिन्न कमेटियां बनी हैं उन्होंने और हमारे विभाग के चलाने वालों ने समय-समय इस बात पर विचार किया है कि हमें क्या परिवर्तन शिक्षा में लाना चाहिये और काफी परिवर्तन हमने समय-समय पर किये भी हैं। हमने इस बात की भी कोशिश की है कि हम स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा दें। मल्टीपरपज स्कूल भी खोले जा रहे हैं। कई और नये विषय भी रखे जा रहे हैं। तो यह कहना भी गलत है कि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन पहले से नहीं है। वह बात दूसरी है कि धनाभाव के कारण हम कुछ परिवर्तन करने में असमर्थ रहे हों।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हमको यह समझना चाहिये कि हम जनतंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। समाज का जो निर्माण हम करना चाहते हैं वह जनतंत्र के आधार पर ही करना चाहते हैं। जो विचारधारा तथा मान्यतायें हमने जनतंत्र में अपनायी हैं उन्हीं के आधार पर हम अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश यह करते हैं कि वे जनतंत्र की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकें।

यह भी जिक्र किया गया कि हम प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को अपने हाथ में ले लें। मैं निजी तौर से इस राय के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि जो जनता का सहयोग तथा विभिन्न एक्सपेरीमेन्ट्स प्राइवेट इस्टीट्यूशन्स के द्वारा हो सकता है वह यदि सरकार उनको अपने हाथ में ले ले तो संभव नहीं है। फिर आज की हालत में यह नामुमकिन भी है कि सरकार उन सभी इन्स्टीट्यूशन्स को अपने हाथ में ले ले। हमारे पास आज साधनों की कमी है। उसके कारण हम वह नहीं कर सकते। हां, प्राइवेट स्कूलों की जो दिक्कतें हैं उनको हम जरूर दूर करने की कोशिश करते हैं और करेंगे। हम उनको अनुदान भी देते हैं, समय-समय पर उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये उचित सलाह भी देते हैं और यह कोशिश करते हैं कि उनका स्तर भी ऊंचा

[आचार्य जुगलकिशोर]

हो। हम जानते हैं कि उनको मैचिंग ग्रान्ट्स को पूरा करने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें, जनता का सहयोग प्राप्त करें, तो कोई कारण नहीं है कि उनका स्तर ऊंचा न हो। कोई समय था जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट चैरिटी और जनता के सहयोग के ऊपर चला करते थे। आज स्वतंत्र देश की गवर्नमेन्ट है। सब लोग आशा करते हैं कि सारी सहायता गवर्नमेन्ट दे। गवर्नमेन्ट तो देती ही है, २५,९०,००,००० का बजट इसीलिये है कि हमारे प्रदेश में जो संस्थाएं हैं वह मजबूत बनें। लेकिन वह धन काफी नहीं है जितनी कि उनकी आवश्यकता है। इसलिये हमारी कोशिश है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेन्ट इस बात की कोशिश करे कि उनको ज्यादा सहायता मिले और अपनी दिक्कतों को भी पूरा करें ताकि उनमें शक्ति पैदा हो और अच्छी शिक्षा दे सकें।

दूसरी बात यह कि इस बात की शिकायत की गयी है कि ग्रांट्स नियमावली के आधार पर नहीं दी जातीं। नियम अवश्य बने हुए हैं, पर थोड़ा असंतोष रहता है। पिछले महीनों में एक कमेटी यादव जी के सभापतित्व में नियुक्त की गयी थी, जिसने कुछ सिफारिशें भेजी हैं ताकि ग्रांट्स दी जायं जिससे पब्लिक में विश्वास हो जाय कि जो ग्रांट पाने के अधिकारी हों, उनको ग्रांट प्राप्त होंगी। यों तो धन के अभाव के कारण हम उतनी ग्रांट्स नहीं दे पाते हैं लेकिन हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं बिना किसी कारण के। जेड० ए० अहमद साहब नहीं हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलसिले में कुछ शिकायतें कीं कि स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है और आल इंडिया कम्पेटीशन यू० पी० के विद्यार्थी बहुत कम संख्या में आते हैं। यह सही है कुछ हद तक और उसका कारण जैसा कि सब को मालूम होना चाहिये, यह है कि अंग्रेजी की शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आल इंडिया कम्पेटीशन में जाने वाले विद्यार्थी अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों के मुकाबले में अंग्रजी की कमी के कारण उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिये हमने कोशिश की है कि अंग्रजी छोटी क्लासेज में पढ़ाना शुरू करें जो कि पढ़ना चाहते हैं ताकि यूनिवर्सिटी में जाते समय इतनी लियाकत हो जाय कि जो प्रतियोगिताओं में अंग्रजी में जवाब देने पड़ते हैं और पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं वह पढ़ सकें और उत्तर दे सकें।

दूसरे कहा गया कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर काफी कंट्रोल नहीं है, एजूकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, रिसर्च का काम होना चाहिये, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है इसलिये सरकार को ज्यादा दखल और निगरानी रखनी चाहिये। यों तो हमारी नीति है कि शिक्षा संबंधी मामलों में कम से कम दखल दें। उनके इन्तजाम में जरूर नामजदगी करके आदमी देखभाल के लिये भेजे जाते हैं ताकि सहयोग दे सकें। एक एग्जिक्युटिव कमेटी और बोर्ड बनता है और स्टेट्यूट्स बनता है उसमें गवर्नमेन्ट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन ऐकेडेमिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता है। तो हमारी कोशिश यह नहीं है कि ऐकेडेमिक मामलों में ज्यादा कंट्रोल होना चाहिये, बल्कि यूनिवर्सिटीज स्वयं महसूस करें कि हमारा जो स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, यह भावना जनता से दूर हो। यह सुझाव दिया कि ब्लाक ग्रान्टस यूनिवसटीज को दें तो ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। सिद्धान्त रुप में मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। यूनिवर्सिटीज पर जो कंट्रोल रहता है वह ब्लाक ग्रांट्स देने पर पांच साल के लिये खत्म हो जायगा। तो यह कोई सल्यूशन नहीं है। कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है लेकिन इसमें दो रायें हो सकती हैं कि ब्लाक ग्रान्ट दी जाय या एनुवल ग्रान्ट दी जाय। उन्होंने यह शिकायत की, यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन की तरफ से था कि ग्रेड सिस्टम, पे स्केल्स रखा गया। वह और यूनिवर्सिटीज तो दे रही हैं लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं उनको सूचना नहीं है, हमने इसको यूनिवर्सिटीज में चालू करा दिया है।

उन्होंने शिकायत की कि यूनिवर्सिटीज में लिटीगेशन बहुत होने लगा है। हम इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का वाइस-चांसलर या किसी एथारिटी से

मतभेद हो जाता है तो वह रिट वगैरह दाखिल कर देता है। हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिससे हम उसको ऐसा करने से रोक सकें।

एक बात यह कही गई कि डिप्टी डायरेक्टर्स को हटा दिया जाय। इंस्पेक्टर्स के ऊपर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और फिर डायरेक्टर होता है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है कि डिप्टी डायरेक्टर क्या काम करते हैं। बहुत से मामलों में डिप्टी डायरेक्टर को अपने रीजन में जाकर इंक्वायरी करनी पड़ती है और इंस्पेक्टर उसके काम में मदद करता है। वह एक सीनियर आदमी होता है। बहुत कम संख्या में डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। उनको तोड़ने से शिक्षा की प्रगति में आगे कोई कदम नहीं बढ़ेगा बल्कि मुमकिन है आज जो हम काम कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाय।

एक सुझाव दिया गया कि शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। जैसा कि माननीय गया प्रसाद जी ने अभी कहा उनका मतलब राष्ट्रीयकरण से नहीं बल्कि विकेन्द्रीकरण से है। यानी प्राइमरी स्कूलों का इन्तजाम ग्राम सभाओं को दे दें और हाई स्कूल वगैरह जो जिलों में होते हैं उनको जिला परिषद् को दे दें और यूनिवर्सिटी का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले। सैद्धान्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कार्य रूप में परिणत करने में दिक्कत होगी। हमारी कोशिश है, जैसा मैंने कल भी कहा था कि प्राइमरी स्कूलों के साथ ब्लाक कमेटी को जोड़ देते हैं जो कि समय-समय पर उनकी दिक्कतों को दूर करने में उनकी सहायता करे। इस हद तक तो हमने कोशिश की है। यूनिवर्सिटीज पर तो हमारा नियंत्रण रहता ही है और उन नियमों के अनुसार ही उनको ग्रान्ट मिलती है उनके लिये पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। अतः अब कोई चीज ऐसी नहीं मालूम होती जो अन्तरिम जिला परिषद् उनमें अच्छा कर सकें और उनको अधिक ऊंचा उठा सके।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गढ़वाल में स्कूलों की संख्या बहुत कम है। वह चाहते हैं कि राजकीय स्कूलों की वहां अधिक संख्या हो। मैं उनके सूचनार्थ यह बता देना चाहता हूं कि गढ़वाल में अब भी ६० राजकीय संस्थायें हैं। दो और खुलने जा रही हैं। एक को हाई स्कूल बनाया है दूसरा इस साल बन जायगा। इसलिये यह बात सही नहीं है कि अन्य स्थानों के मुकाबले में वहां पर राजकीय विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। हमारी यह कोशिश है कि जगह जगह पर हम लड़कियों के स्कूलों को खोलें और प्राइवेट स्कूल जो लड़कियों के हैं उनको भी हम ग्रान्ट देते हैं। लड़कियों की एजूकेशन के बारे में रोहतगी जी ने भी ध्यान दिलाया। हम भी यह समझते हैं कि जब तक स्त्रियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक उनको योग्य नागरिक नहीं बनाया जा सकता और न उनको अच्छी गृहिणी ही बनाया जा सकता है। इसलिये हमारी पूरी कोशिश है कि स्त्रियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और वह बढ़े ताकि वे पुरुषों के साथ साथ मिल कर समाज की जिम्मेदारियों को पूरी कर सकें। इसलिये हमारी पूरी कोशिश है कि स्त्री शिक्षा के लिये हम जितनी भी सुविधायें दे सकें दें। जगह जगह पर हाईस्कूल खोले जा रहे हैं। काफी मात्रा में और संस्थाओं को अनुदान दिये जा रहे हैं और लड़कों के मुकाबिले में ज्यादा अनुदान उनको दिया जाता है, ज्यादा सहूलियत दी जाती है। लड़कों के स्कूलों के लिये जब कि मैचिंग ग्रान्ट आधी रखी गयी है उनके लिये केवल चौथाई ही रखी गयी है। इस प्रकार से स्त्री शिक्षा के लिये जो भी उपयोगी हो सकता है, जो भी सहायता हो सकती है, उनको हम करते हैं।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—१८ प्रतिशत उनकी शिक्षा है, उसको बढ़ाने के लिये क्या किया जा रहा है?

आचार्य जुगलकिशोर—कल मैंने कहा था कि जगह-जगह लड़कियों के प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। अध्यापिकाओं के गांवों में जाकर रहने की सबसे बड़ी समस्या है।

[आचार्य जुगलकिशोर]

उसके लिये भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। उनको अधिक एलाउन्स देते हैं, उनके लिये वहां मकान बनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रकार काफी संख्या में बालिका विद्यालय हम खोल रहे हैं।

सेंसेडी के नार्मल स्कूल का जिक्र किया गया और कहा गया कि वह एक बड़े भारी व्यक्ति हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिये उसको वहां से नहीं हटाया जा रहा है। इस संबंध में एक सूचना देना चाहता हूं कि इस जुलाई से पूर्व हम उस स्कूल को यहां से बदल देंगे और बख्शी के तालाब में जो बिल्डिंग बनायी गयी है उसमें इसको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। निगोहां के स्कूल को भी वहां भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूं कि यह जो कहा गया कि उस बिल्डिंग में बड़ा खतरा था, गिरने वाली थी, ऐसी बात नहीं थी। मैंने स्वयं उसको देखा था और यह समझा कि वह बिल्डिंग नार्मल स्कूल के उपयुक्त नहीं है इसलिये उसको वहां से हटाकर नये भवन में ले जाने का निश्चय कर लिया।

डिग्री कालेजेज को ग्रांट दिये जाने के बारे में भी कहा गया कि उनको तीन साल के बाद ग्रांट दी जाती है। इस बारे में हमारे नियम बने हुये हैं। तीन साल के बाद अगर कोई विद्यालय हमारी शर्तों को पूरा कर देता है तो उसको हम ग्रांट देने की कोशिश करते हैं। अगर वे शर्तें पूरी नहीं कर सकेंगे तो तीन, चार, पांच साल तक हम उनको अनुदान नहीं देंगे। यूनीवर्सिटीज को भी हमने कह रखा है कि एफिलिएशन भी वे ऐसे कालेजों को दें जहां सन्तुष्ट हों कि यह ऐसी जगह है जहां ऐसी संस्था की आवश्यकता है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में साधन हैं जिससे वे चल सकेंगे। किसी भी संस्था को खोल लेना तो आसान होता है लेकिन उसको चलाना मुश्किल होता है कोई कालेज खुल जाय तो उसको बन्द करना भी मुश्किल होता है। जगह जगह से इस तरह की मांगें आती हैं कि हमारे यहां डिग्री कालेज खोले जायं लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि धनाभाव के कारण हम सब जगह डिग्री कालेज नहीं खोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर बालक बालिका के लिये डिग्री कालेज में शिक्षा लेने की सुविधा हो लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि सब को डिग्री कालेज तक की शिक्षा दे सकें। फिर भी जो गरीब व योग्य विद्यार्थी हैं उनको स्कालरशिप व स्टाइपेंड आदि देकर उनकी मदद करते हैं ताकि वे ऐसे कालेजों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। धनाभाव के कारण ही हम हाई स्कूल तक की शिक्षा का भी प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा का प्रबन्ध हम कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध तो हो ही गया है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस समस्या को हल कर रहे हैं और आशा है कि कुछ अर्से में काफी संख्या में डिग्री कालेज उन स्थानों में खुल जायेंगे जहां उनकी आवश्यकता है। हमारी कोशिश यह है कि जो योग्य व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन धनाभाव से आगे वे नहीं पढ़ सकते, उनको शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें उपलब्ध करावें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो अनुदान मैंने पेश किया है उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—अब मैं आपके सामने माननीय गया प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको उपस्थित कर रहा हूं। इस प्रस्ताव में जितने भी कटौती के प्रस्ताव हैं वे समाविष्ट समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,५९,४८,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१० मई, १९६२।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७ पर)

प्रश्न १ से संबंधित विवरण

दिनांक २८-४-६२ को संध्या समय बैलगाड़ी पर श्री ओंकार सिंह निवासी ग्राम भौली, उन्नाव जो उत्तर रेलवे, लखनऊ में सैनिटरी इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य करते थे, अपनी पुत्री कुमारी बृजलेश व कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ, नवाबगंज से, जहां वह अपनी पुत्री को जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा दिलवाने गये थे, अपने ग्राम मौली लौट रहे थे। जब लगभग ६.३० बजे थे लोग रसेड़ा के पुल पर पहुंचे तो कुछ व्यक्तियों ने जो कांता, भाला व लाठी से लैस थे, इन पर आक्रमण किया और (१) श्री ओंकार सिंह, (२) कुमारी बृजलेश, (३) श्रीमती शिवरानी, (माता जी ओंकार सिंह), (४) श्रीमती प्रभावती (पुत्री महादेव प्रसाद लेखपाल ये भी परीक्षा देने गयी थीं), (५) श्री श्याम लाल (नौकर श्री ओंकार सिंह) की हत्यायें कीं दो अन्य व्यक्तियों को जो इनके साथ थे, चोटें आयीं।

२—उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अजगैन में रात को १२.३० बजे लिखाई गई। इस रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि श्री ओंकारसिंह व भौली ग्राम के श्री बूटासिंह के बीच दुश्मनी थी और श्री बूटा सिंह व उनके ७ साथियों द्वारा यह घटना घटित हुई। इस रिपोर्ट पर सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा धारा १४८, १४९, ३०२, ३०७ भा०दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया था परन्तु तफतीश के दौरान में यह पता लगने पर कि अपराधीगण मृतकों के बक्स आदि भी उठा ले गये, यह मुकदमा धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया और तफतीश की जा रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है तथा ५ अभियुक्त अदालत के समक्ष हाजिर हुए। शेष दो अभियुक्त फरार हैं और इनके विरुद्ध धारा ८७, ८८ जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा चुकी है, तथा उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर]

मांगें

१--दिनांक २८ जनवरी, १९५९ के समझौते के अनुसार फैक्ट्री के सभी विभागों में रखे गये अस्थायी तथा सामयिक कर्मचारियों में पचास प्रतिशत स्थान पुराने हड़ताल में निकाले गये कर्मचारियों को दिये जायं।

२--गत सीजन १९६०-६१ में प्रेस मड पर, जिन कर्मचारियों ने काम किया था, उनके वेतन का वेज बोर्ड की तरक्कियों से सम्बन्धित डिफरेंस सरकारी आदेश का पालन करते हुए तुरन्त पेमेन्ट किया जाय।

३--सर्वश्री लीला व बलदेवा आदि जमादारों को बन्दी सीजन में भी जमादारी का काम दिया जाय और उन्हें कुली (मजदूर) का काम करने के लिये बाध्य न किया जाय।

४--फैक्ट्री के समस्त कर्मचारियों तथा आफिस के स्टाफ को बोर्ड की तरक्कियों से संबंधित उनके गत सीजन १९६०-६१ के ओवर टाइम तथा ड्यू छुट्टियों का डिफरेंस अप्रैल के वेतन भुगतान से पहले ही पेमेन्ट करायां जाय।

५--जिन कर्मचारियों से हाउस रेन्ट गलत अथवा अधिक काट लिया गया है, उसका वापसी भुगतान (रिफन्ड) अप्रैल के वेतन भुगतान से पहले ही कराया जाय।

६--(अ) श्री साहबरा व मांग मोची (वैल्डमैन) के लड़कों को उनकी एवजी में रखकर अपने आश्वासन को पूरा करने की कृपा करें।

(ब) जो अन्य कर्मचारी अपने लड़कों को अपनी एवजी में रखा कर रिटायर्ड होना चाहते हैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाय।

७--रिटेनिंग अलाउन्स पाने वाले कर्मचारियों को पिछले बन्दी सीजन में एक किस्त उनके घरों पर नहीं भेजी गई, जब कि वर्क्स कमेटी का इसके लिये स्पष्ट निर्णय है, अतः इस बात का लिखित आश्वासन दिया जाय कि भविष्य में सदा की भांति यह किस्त कर्मचारियों के घरों पर भेज दी जाया करेगी।

८--इस वर्ष कर्मचारियों के क्वार्टरों की पुताई नहीं कराई गई जो कि स्वास्थ्य तथा वेल-फेयर की दृष्टि से अत्यावश्यक है। अतः लिखित आश्वासन दिया जाय कि सदा की भांति क्वार्टरों की पुताई प्रति वर्ष दीपावली के त्योहारों से पूर्व ही करा दी जाया करेगी।

९--(अ) फैक्ट्री की ओर से जिन कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं इस के लिये लिखित आश्वासन दिया जाय कि गर्म वर्दियां सीजन आरम्भ होने के पन्द्रह दिन के अन्दर तथा ठन्डी वर्दियां अप्रैल मास के अन्दर कर्मचारियों को अवश्य दी जाया करें।

(ब) एम० डी० के जिन कर्मचारियों को गर्म जाकेट दी जाती हैं उन्हें वही ऊनी जाकेट दी जायें।

१०--श्री एतवारी तथा इन्दर हड़ताली स्वीपरों को जिन्हें काम पर वापस ले लिया गया था और जिन्होंने तीन चार सीजनों तक संतोषजनक रूप से कार्य किया परन्तु बिना कारण बताये ही नौकरी से हटा दिया गया है तुरन्त काम पर वापस बुलाया जाय।

११--श्री उदय सिंह कारबोनेशन मेंट व राम चन्द्र कारबोनेशन मजदूर को उन्हें दिये गये वचन के अनुसार क्वार्टर दिया जाय।

१२—श्री लाल बिहारी, सी० एफ० ओ० को उसके वेतन का डिफरेंस तथा पिछले वर्ष का रिटेनिंग अलाउन्स तुरन्त पेमेन्ट किया जाय।

१३—श्री रूपन, फिटर मजदूर को बन्दी सीजन में भी ई० डी० में ही काम दिया जाय।

१४—कारखाने के अन्दर जो वेतन पेमेन्ट का स्थान बनाया गया है वह बहुत संकुचित तथा अपर्याप्त है। वहां पर रुपया पैसा गुम होने और जेब कटने का पूरा-पूरा खतरा है। अतः पेमेन्ट का स्थान वही रखा जाय जो कि आफिस में खजाने की खिड़की पर पुराना स्थान है।

१५—कर्मचारियों तथा यूनियनों के अधिकारियों का आफिस समय में मिल अधिकारियों से मिलने का अबाध अधिकार कायम रखा जाय।

१६—श्री खजान व रमेश द्वारा फिटर मजदूरों को, जो कि गत दो सीजनों से बिना ब्रेक कार्य कर रहे हैं, सीजनल कन्फर्म किया जाय।

१७—तमाम स्वीपरों को स्थायी आदेशों के अनुसार सर्विस बुकें तथा सीध बुकें दी जायं। श्री बलजीत स्वीपर को, जो कि आफिस व स्कूल में कार्य करता है, आफिस तथा स्कूल के साथ रविवार का अवकाश दिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

बलरामपुर, गोंडा में ग्राम चुनाव के दौरान में हुई घटना का संक्षिप्त विवरण

२१ फरवरी, १९६२ को जिस दिन बलरामपुर शहर में पोलिंग आरम्भ हुई, म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, चुनाव केन्द्र पर स्त्री मतदाताओं की काफी भीड़ थी। दो पार्टियों के एजेन्ट अपनी ओर के मतदाताओं को पहले ले जाना चाहते थे। इस पर दोनों दलों में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान दो व्यक्तियों को, जो भीड़ में थे, चाकू भोंका गया। भीड़ में भगदड़ हो गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भागते हुये एक व्यक्ति को चाकू भोंका गया और एक व्यक्ति को घायल किया गया। इनके अतिरिक्त कुछ और व्यक्तियों को चोटें आई। इस घटना के सिलसिले में कुल १२ व्यक्ति घायल हुये जिनमें से २ की बाद में मृत्यु हो गई।

२—झगड़े की खबर पाते ही दूसरे चुनाव केन्द्र से एक पुलिस अधिकारी गारद के साथ तुरन्त वहां पहुंच गये और उन्होंने देखा कि वहां पर तैनात हेड कान्सटेबिल को लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। उन्होंने उसे छुड़ाया तथा भीड़ को शान्त करने का प्रयत्न किया। शीघ्र ही परगनाधीश, बलरामपुर भी आ गये और उक्त अधिकारियों ने भीड़ को शांत किया और बिना किसी रुकावट के पोलिंग जारी रही। शहर में रात में कर्फ्यू लगा दिया गया। झगड़े में शामिल दोनों दलों के २१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

तालिका

वर्ष	उत्तराखंड के विकास के लिये बजट प्राविधान	व्यपगत हुई धनराशि	व्यपगत होने का कारण
१९६०–६१	२,३७,३५,३००	९०,५७,२१७	(क) नये जिले खोले जाने के कारण वहां सभी व्यवस्थायें नये सिरे से करनी थीं। जैसे नये कार्यालयों की स्थापना, उनके लिये इधर-उधर से स्टाफ का प्रबन्ध तथा रहने के लिये स्थान इत्यादि की व्यवस्था जिसमें अधिक समय की आवश्यकता थी। (ख) सड़कों तथा यातायात की असुविधा। (ग) योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों तथा अपेक्षित सामग्री का अभाव।
१९६१–६२	३,९९,२१,८००	९५,८६,८२२	(क) कुछ योजनाओं पर भारत सरकार की स्वीकृति देर से प्राप्त हुई अतः वर्ष भर के लिये निर्दिष्ट प्राविधान का पूरा उपयोग न हो सका। (ख) कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम रूप रेखा निर्णित न हो सकी जिससे वे उस वर्ष में चालू नहीं की जा सकीं। (ग) भूमि उपलब्ध न होने तथा भवन निर्माण संबंधी सामग्री की न्यूनता के कारण भवन निर्माण कार्य निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित न हो सके।

नोट :—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के व्यय के आंकड़ों का अभी महालेखापाल द्वारा पुष्टीकरण नहीं हुआ। अतः उस वर्ष व्यपगत हुई धनराशि में कुछ परिवर्तन सम्भव है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

तालिका

तालिका जिसमें इस प्रदेश की चीनी मिलों पर १९६०–६१ के पूर्व के सीजनों के गन्ने के मूल्य के रूप में जो ३१ मार्च, १९६२ को बकाया रकम थी उसका मिलवार विवरण दिया गया है ।

क्रम-सख्या	चीनी मिल का नाम		सीजन १९६०–६१ के पूर्व गन्ने का मूल्य जो ३१-३-६२ को शेष था (लाख रू० में)
१	बुलन्दशहर	..	०.१४
२	खतौली	..	०.०१
३	रोहाना	..	०.०३
४	सहारनपुर	..	०.५२
५	इकबालपुर	..	०.८७
६	दोईवाला	..	०.५०
७	बरेली	..	१.००
८	बहेडी	..	०.७८
९	रामपुर	..	२.२०
१०	पीलीभीत	..	०.१७
११	अमरोहा	..	०.७५
१२	बिलारी	..	०.०२
१३	बुढवल	..	०.१५
१४	जरवल रोड	..	०.१६
१५	सिसवाबाजार	..	०.१९
१६	छितौनी	..	०.१९
१७	कप्तानगज	..	०.०३
		योग ..	७.७१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर)

तालिका 'क'

कम्पनी का नाम	प्रयोजन		दर प्रति यूनिट	छूट प्रति यूनिट
			न० पै०	न० पै०
झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, झांसी	१—रोशनी व पंखा	.. ..	५०	६
	२—बैटरी चार्जिग	.. ..	३१	६
	३—केवल सिनेमा की मशीन के लिये	.. ..	३०	..
	४—डोमेस्टिक पावर	.. ..	२५	३
	५—इन्डस्ट्रियल पावर (११ बजे रात से दूसरे दिन ५ बजे शाम तक)	एक एच० पी० व उससे ऊंचे मोटर के लिये ३ रु० प्रति मास प्रति हार्स पावर उसके अलावा प्रति यूनिट ..	२०	२
झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, गोरखपुर	१—रोशनी व पंखा	.. ..	५०	६
	२—बैटरी चार्जिग	.. ..	३१	६
	३—केवल सिनेमा की मशीन के लिये	.. ..	३०	..
	४—डोमेस्टिक पावर	.. ..	२५	३
	५—इन्डस्ट्रियल पावर (११ बजे रात से दूसरे दिन ५ बजे शाम तक)	एक एच० पी० व उससे ऊंचे मोटर के लिये ६ रु० प्रति एच० पी० प्रति मास का fixed charge तथा न० पै०	१४	१ रु० प्रति एच० पी०

तालिका 'ख'

अन्य बिजली सप्लाई कम्पनियां जिनके रेट लगभग झांसी बिजली कम्पनी के रेट के समान हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

१—लक्ष्मी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, हरदोई।
२—मैनपुरी इलेक्ट्रिक सप्लाई एन्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि०, मैनपुरी।
३—म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, हल्द्वानी।
४—म्युनिसपल इलेक्ट्रिक सलाई अन्डरटेकिंग, उन्नाव।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर)

जिला गोंडा—प्रथम सोपान विकास क्षेत्र, कटरा बाजार

संख्या कुआं जिनके लिये वर्ष १९५९ में अनुदान दिया गया	संख्या कुआं जिनके लिए वर्ष १९६० में अनुदान दिया गया	वर्ष १९६१ में जितने कुओं के लिए अनुदान दिया गया	नाम गांव जिनमें ये कुएं बन चुके हैं या अवशेष हैं	संख्या जो पूर्ण हो चुके हैं	संख्या जो अवशेष हैं	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
२१	१८	..	रायपुर ..	१	..	..
			पिसइया ..	१	..	..
			पूरे बहोरी ..	३	..	..
			तिलका ..	४	..	..
			रायपुर फकीर	४	..	..
			बसमरिया ..	१	..	वर्ष १९६०-६१ से जन-स्वास्थ्य एवं यातायात के अनुदान का धन ग्राम सभाओं में वितरित कर दिया जाता है।
			बिछूड़ी ..	४	..	
			अशोकपुर ..	२	..	
			लैबुड़वा ..	२	..	
			पूरे महोलिया ..	३	..	
			गन्डाही ..	२	..	
			बाबूपुर ..	१	..	
			जगतापुर ..	१	..	
			चिलबिल महास	१	..	
			नेवादा हासिमपुर	१	..	..
			उड़िला ..	१	..	..
			मझौवा ..	१	..	..
			जैठपुरवा ..	१	..	..
			चुर्रा-मुर्रा ..	१	..	..
			गौरवा जानीपुर	२	..	..
			दुबहा बाजार	१	..	..
			छिराछ ..	१	..	..
				३९	..	

अनुभाग पदेन सचिव

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३८ पर)

विकास क्षेत्र कटरबाजार, जिला गोंडा

वर्ष १९५८-५९ का विवरण		वर्ष १९५९-६० का विवरण		वर्ष १९६०-६१ का विवरण		वर्ष १९६१-६२ का विवरण		ग्राम सभाओं के नाम जिन्हें अनुदान दिया गया	संख्या पुलिया		ब्लाक बजट के अनुदान की धनराशि	ग्राम सभा द्वारा व्यय धन श्रमदान सहित	अन्य विवरण
संख्या पुलिया	ब्लाक बजट के अनुदान की धन राशि	संख्या पुलिया	ब्लाक बजट के अनुदान की धन राशि	संख्या पुलिया	ब्लाक बजट के अनुदान की धन राशि	संख्या पुलिया	ब्लाक बजट के अनुदान की धन राशि		पूर्ण	अपूर्ण			
			रु०		रु०		रु०				रु०	रु०	
..	..	१०	१२,३२०	४	३,६२४	..	..	१-कटुआ-नाला	३	..	२,४४३.००	२,५१५.००	
								२-पूरेमहौ-लिया	३	..	२,७७९.००	४,९८०.८४	
								३-दुबहा-बाजार	१	..	४,४५०.००	५,२३८.९५	
								४-लैबुड़वा	२	..	१,४००.००	२,५२०.००	

५-तिलका	१	..	१,२४०.००	३,३५८.१५	
६-रायपुर फकीर	१	..	५८२.५०	२,५७०.७९	
७-राजगढ़ अमीनपुर	..	१	१,०००.००	२,६४०.९८	इन पुलियों का पूर्ण अनुदान अभी कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र तथा ओवरसियर की जांच के अभाव म अभी नहीं हुआ है।
८-मंझावां	..	२	२,०५०.००	२,३०३.८३	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

विवरण-पत्र

जिसका जिक्र श्री मुकुन्दीलाल के तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर में किया गया है उस नरभक्षी को मारने के लिए अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गए हैं :—

(१) नरभक्षी बाघ को मारने वाले को ४०० रु० का पारितोषिक घोषित किया गया जिसके लिये वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में ४०० रु० की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की। वन विभाग के ठेकेदार संघ ने २०० रुपया देकर शिकारियों के अतिरिक्त खर्चे के लिये सहायता दी।

(२) अब तक स्थानीय शिकारियों के अतिरिक्त बाहर के निम्न शिकारी इस क्षेत्र में भेजे गये किन्तु किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई :

१—श्री मोती राम, फोरेस्ट गार्ड,
२—श्री नरेन्द्र सिंह, लंदोर, सहारनपुर,
३—श्री कैपटेन पवार, गढ़वाल, राईफल, लेन्सडाउन,
४—श्री डी० एन० राजा, बिजनौर,
५—श्री जार्ज वैसले सिंह, कोटद्वार (२ मर्तबा)
६—श्री नेत्रसिंह विष्ट, बिचला
७—श्री जे० पी० घसमाना, बकील, लैन्सडोन,
८—श्री खूशालसिंह, ग्राम डांडा, हड़ियाकोट।

(३) वेस्टर्न सर्किल के कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट ने श्री आलमगीर खान, असिस्टेन्ट कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट, जो कि एक नामी शिकारी हैं, को इस बाघ को मारने के हेतु भेजा है। और श्री खान कुछ समय तक इस क्षेत्र में केवल इसी कार्य पर लगे रहे किन्तु सफलता प्राप्त न हो सकी।

(४) शासन द्वारा श्री ए० एस० खान असिस्टेन्ट कमांडेन्ट, पी० ए० सी०, १५ बटालियन, आगरा की एक टुकड़ी उनकी अधीनता में इस बाघ को मारने के लिये भेजी गई। श्री खान व उनकी पार्टी कुछ अरसे तक रही, किन्तु उनके पैर पर चोट आने से उनको मजबूरन वापस जाना पड़ा और वे भी इस बाघ को मारने में सफल न हो सके।

(५) गढ़वाल राइफल लेन्सडाउन व्वाइज़ बटालियन के अधिकारी भी इस बाघ को मारने के प्रयत्न करते आ रहे हैं। उनकी यूनिटें ४ बार इस क्षेत्र में जा चुकी हैं तथा मेजर सोन मय अपनी पार्टी के दिनांक ८ अप्रैल, १९६२ को हत्या होने पर भी इस क्षेत्र में गये किन्तु सफलता प्राप्त न हो सकी।

(६) श्री वी० यम० हिंगोरानी, मुख्या वन जंतु संरक्षक, भी अपनी यूनिट ले कर इस क्षेत्र में गये किन्तु वह भी सफलता प्राप्त न कर सके।

(७) स्थानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व कानूनगो ने भी दो मर्तबे हांके लगवाकर इस बाघ को मारने के प्रयास किये। इसके अतिरिक्त दो मर्तबे जाल (trap) भी बिछाये गये किन्तु असफलता ही रही।

(८) उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त जिला टेहरी-गढ़वाल के दो अच्छे शिकारियों को भी इस बाघ को मारने का मौका दिया गया तथा मुख्य बन जन्तु संरक्षक उत्तर प्रदेश ने बाहर जिलों के नौ अच्छे शिकारियों को इसे मारने की परमिट भी प्रदान किए।

एक बाघ मारा गया

(९) दिनांक १८ अप्रैल, १९६२ को एक बाघ ग्राम इगारा पट्टी कोडिया में मारा गया है। यह बाघ ६ फीट लम्बा और २ फीट ऊंचा था। इसके आगे के बाएं पंजे पर एक घाव था जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नरभक्षी बाघ वही था जिस पर पहिले फायर की वजह से चोट लगनी कही जा रही थी। और यह ग्राम जहां यह बाघ मारा गया है उस नरभक्षी बाघ के आतंकित क्षेत्र के अन्दर था। परन्तु अभी यह निश्चय करना संभव नहीं है कि यह वही बाघ है। दो-तीन सप्ताह बाद ही यह बात तय हो पायेगी। हाल में दो तीन वाक्यात हुए हैं। परन्तु वे आतंकित क्षेत्र से बहुत दूर हुए हैं।

इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस नरभक्षी के न मारे जाने के कारण

१—जिस क्षेत्र में इस नरभक्षी ने आतंक मचा रखा था वह बहुत घना जंगल है जिससे शिकारियों के लिये शिकार का बन्दोबस्त करना अत्यन्त कठिन है।

२—उक्त क्षेत्र की भूमि (terrain) नरभक्षी के बचाव के हित में है उसमें अनेकों खोह खंडक हैं जिससे जानवर के छिपने की विशेष सुविधाएं हैं।

३—इसके अतिरिक्त इस नरभक्षी को अपने बचाव करने का तजुर्बा भी हो गया था उदाहरणार्थ, हमला करने के बाद यह छिप जाता था और जब तक कि शिकारियों की मौजूदगी की सम्भावना रहती थी बाहर नहीं आता था।

४—गांव वाले भी इसके आतंक के डर से इसके आने की तनिक भी आशंका होने पर शोरगुल कर देते थे जिससे कि यह उचित समय के लिये छिप जाता था और शिकारी लाचार हो जाते थे।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

क्र० सं०	अभियुक्त का नाम, पेशा व पता	धारा जिनके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया।
१	२	३
१—	श्री दुर्गाप्रसाद, रिफन्ड आफिसर, नगरपालिका झांसी, निवासी पुलिसा नं० ९ झांसी।	४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७७- ए०, २०१, १०९, १२० बी०, भा० दं० वि०
२—	श्री भगवानदास उर्फ भैयालाल साहू, चेयरमैन, टैक्स कमेटी, नगरपालिका झांसी, निवासी नैनगढ़ नागरा, झांसी ..	,, ,, ,,
३—	श्री राधामोहन खत्री उर्फ लाट मेम्बर, नगरपालिका झांसी, निवासी नानकगंज, सिपरी बाजार, झांसी ..	,, ,, ,,
४—	श्री रामनरायन शर्मा, मेम्बर, नगरपालिका ललितपुर (झांसी) निवासी मुहल्ला गुरई ललितपुर, झांसी ..	,, ,, ,,
५—	श्री द्वारिकाप्रसाद अग्रवाल, पेपर मर्चेन्ट झांसी, निवासी गुसाईंपुरा, झांसी	,, ,, ,,
६—	श्री विशम्भरदयाल अग्रवाल, पेपर मर्चेन्ट, निवासी गुसाईंपुरा, झांसी	,, ,, ,,
७—	श्री रामचरनलाल, मुहर्रिर वापसी, नगरपालिका झांसी, निवासी १८१ जुगयाना, झांसी।	,, ,, ,,
८—	श्री लक्ष्मीप्रसाद, मुहर्रिर चुंगी, नगरपालिका झांसी, निवासी बरहागांव गेट, झांसी।	,, ,, ,,
९—	श्री जुगलकिशोर, मुहर्रिर चुंगी, नगरपालिका झांसी नि० १५२ गुदड़ी, झांसी।	,, ,, ,,
१०—	श्री हीरालाल, मुहर्रिर चुंगी, नगरपालिका झांसी नि० मुहल्ला जुगयाना, झांसी।	,, ,, ,,
११—	श्री बिहारीलाल, मुहर्रिर चुंगी, नगरपालिका झांसी निवासी मुहल्ला जुगियाना, झांसी	,, ,, ,,
१२—	श्री उदयनारायन, मुहर्रिर चुंगी, नगरपालिका झांसी निवासी जादू की हवेली, झांसी	,, ,, ,,

टिप्पणी—उपरोक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त श्री गोपालदास का चालान किया गया था किन्तु उसे माफी देकर सबूत का गवाह बनाया गया है। यह व्यक्ति अभियुक्त द्वारिकाप्रसाद व विशंभरदयाल के यहां नौकर था। यह गोपालमी खेड़ा, थाना कोतवाली, झांसी का निवासी है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०८० एल० ए०—१९६२—८४५।